ग्रामीण विकास
को समर्पित

कुरुक्षेत्र

वर्ष 57 अंक : 10 अगस्त 2011 मूल्य : ₹10

गांवों में बेहतर प्रशासन

सत्यमेव जयते

सूचना और प्रसारण मंत्रालय
भारत सरकार

समेकित बाल विकास कार्यक्रम

- 12 लाख आंगनवाड़ी केन्द्र स्थापित और 2 लाख नए आंगनवाड़ी केन्द्र स्थापित करने की योजन
- 1.6 करोड़ गर्भवती व स्तनपान कराने वाली महिलाओं को बेहतर पोषण
- 7 करोड़ से अधिक बच्चों को पोषण, स्वास्थ्य व प्रारम्भिक शिक्षा की सुविधा

KH-102/2011

जागो ग्राहक जागो

सरकारी पहचान का प्रमाण सुविधाओं को पाना होगा आसान

आधार पहचान प्रमाण से मिलेगी कई सुविधाएं जैसे...

- बैंक खाता खोलने में
- मोबाइल कनेक्शन पाने में
- स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाने में
- अन्य सरकारी सेवाओं में

आधार नम्बर की और जानकारी के लिए लॉग ऑन करें
www.uidai.gov.in

आधार
आम आदमी का अधिकार

davp 08101/13/0020/1112

राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्प लाइन नं.
1800-11-4000 (टोल फ्री)
011-27662955, 56, 57, 58 (सामान्य कॉल दरें लागू)
(सोमवार–शनिवार प्रातः 9.30 बजे से सायं 5.30 बजे तक)

जनहित में जारी :
भारत सरकार
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
उपभोक्ता मामले विभाग
कृषि भवन, नई दिल्ली – 110001

KH-103/2011

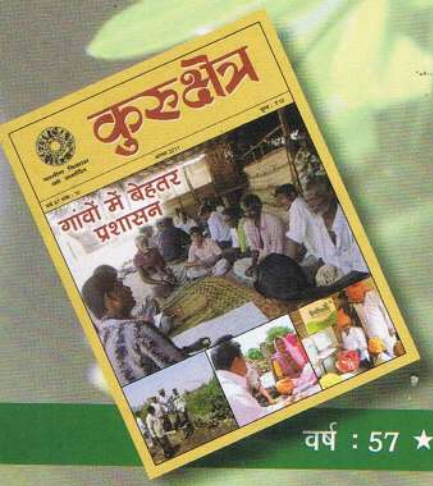

कुरुक्षेत्र

ग्रामीण विकास मंत्रालय की प्रमुख मासिक पत्रिका

वर्ष : 57 ★ मासिक अंक : 10 ★ पृष्ठ : 48 ★ श्रावण–भाद्रपद 1933 ★ अगस्त 2011

प्रधान संपादक
रीना सोनोवाल कौली
वरिष्ठ संपादक
कैलाश चन्द मीना
संपादक
ललिता खुराना
संपादकीय पत्र–व्यवहार
वरिष्ठ संपादक,
कमरा नं. 655, 'ए' विंग,
गेट नं. 5, निर्माण भवन
ग्रामीण विकास मंत्रालय
नई दिल्ली–110 011
दूरभाष : 23061014, 23061952
फैक्स : 011–23061014, तार : ग्राम विकास
वेबसाइट : Publicationsdivision.nic.in
ई–मेल : kuru.hindi@gmail.com
उत्पादन अधिकारी
विनोद कुमार मीना
व्यापार प्रबंधक
सूर्यकांत शर्मा
दूरभाष : 26105590, फैक्स : 26175516
ई–मेल : pdjucir_jcm@yahoo.co.in
आवरण एवं सज्जा
संजीव सिंह और हेमन्त कुमार सिंह

मूल्य एक प्रति : 10 रुपये
वार्षिक शुल्क : 100 रुपये
द्विवार्षिक : 180 रुपये
त्रिवार्षिक : 250 रुपये
विदेशों में (हवाई डाक द्वारा)
पड़ोसी देशों में : 530 रुपये (वार्षिक)
अन्य देशों में : 730 रुपये (वार्षिक)

इस अंक में

पंचायती राज से बेहतर हुआ ग्रामीण प्रशासन — सुरेंद्र बहादुर सिंह — 3

गांवो में बेहतर प्रशासन: आवश्यकता एवं चुनौतियां — डॉ. सुरेन्द्र कटारिया — 9

ई-शासन से बेहतर हुआ गांवों का प्रशासन — अखिलेश चंद्र — 15

गांवों के सुशासन में सूचना प्रौद्योगिकी की भूमिका — डॉ. आलोक शर्मा — 21

योजना एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन हेतु बेहतर प्रशासनिक रणनीति — डॉ. जगबीर कौशिक — 28

तिल की उन्नत खेती — डॉ. वीरेन्द्र कुमार एवं वाई. एस. राठी — 33

औषधीय गुणों से भरपूर पुदीना — अमित नारायण यादव — 39

साधारण किसान से प्रबंधन गुरु तक का खिताब — जतिन कुमार — 44

कुरुक्षेत्र की एजेंसी लेने, ग्राहक बनने और अंक न मिलने की शिकायत के बारे में व्यापार प्रबंधक, (वितरण एवं विज्ञापन) प्रकाशन विभाग, पूर्वी खंड–4, लेवल–7, रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली–110 066 से पत्र–व्यवहार करें। विज्ञापनों के लिए सहायक विज्ञापन प्रबंधक, प्रकाशन विभाग, पूर्वी खंड–4, लेवल–7, रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली–110 066 से संपर्क करें। दूरभाष : 26105590, फैक्स : 26175516

कुरुक्षेत्र में प्रकाशित लेखों में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं। यह आवश्यक नहीं कि सरकारी दृष्टिकोण भी वही हो।

संपादकीय

बेहतर प्रशासन या सुशासन आधुनिक दौर का 'युग नारा' बन चुका है। बेहतर शासन–प्रशासन का सामान्य–सा तात्पर्य ऐसी प्रशासनिक व्यवस्था से है जो पारदर्शी, जवाबदेह, संवेदनशील, विकेन्द्रीकृत तथा जनोन्मुखी हो। और भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में सुशासन या बेहतर प्रशासन की स्थापना का मार्ग पंचायती राज संस्थाओं से होकर ही गुजरता है।

स्वतंत्रता के बाद भारतीय ग्रामीण समाज की सामाजिक संरचना में परिवर्तन लाने और बेहतर प्रशासनिक व्यवस्था कायम करने में पंचायती राज व्यवस्था ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अब लोग न केवल विकास कार्यों में भाग लेने लगे हैं बल्कि विकास कार्यक्रमों के क्रियान्यवयन में आई विफलताओं को भी सामने लाते हुए आलोचनात्मक दृष्टिकोण अपनाने लगे हैं। पंचायती राज संस्थाओं ने ग्रामीणों में उत्तरदायित्व की भावना बढ़ाने में भी महत्पूर्ण योगदान दिया है। सरकार द्वारा बनाए गए विकास कार्यक्रमों को स्थानीय स्तर पर लागू करने तथा उससे अपेक्षित परिणाम दिखाने में पंचायतें महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं।

ई–शासन व्यवस्था लागू होने से ग्रामीण प्रशासन सशक्त हुआ है। ग्राम पंचायत प्रशासन जहां सबूत पेश कर ग्रामीणों का विश्वास जीत रहा है वहीं अविश्वास की स्थिति में ग्राम पंचायत की हर गतिविधि की जानकारी भी प्राप्त कर सकता है। ई–शासन व्यवस्था से ग्राम पंचायत–स्तर की सभी सुविधाएं ग्रामीणों को तुरंत मिल पा रही हैं तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली में ई–शासन का उपयोग करके कई राज्यों में राशन की छीजत को रोका गया है। चेन्नई में ऑनलाइन बिलिंग मशीन का प्रयोग किया जा रहा है तो मध्य प्रदेश में बायोमैट्रिक राशनकार्ड डाटाबेस तैयार किया जा रहा है। स्टॉक होल्डर्स को एसएमएस सेवा से जोड़ा गया है। इस व्यवस्था के बाद करीब 7 लाख फर्जी राशनकार्ड निरस्त किए गए हैं।

इसमें कोई संदेह नहीं है कि पंचायती राज व्यवस्था ग्रामवासियों की जीवन पद्धति में घुलती जा रही है। ग्रामीण जनता की राजनीतिक हिस्सेदारी बढ़ने के कारण ग्राम नेतृत्व पनपने का अवसर पैदा हुआ है। गांवों के अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग में चेतना का संचार हुआ है। आज गांव की महिलाएं भी राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सा लेने लगी हैं। ग्रामीण जनता को अपने अधिकारों और उत्तरदायित्वों के विषय में नई जानकारी मिली है। पंचायती राज व्यवस्था के चलते महिला सशक्तिकरण को भी अत्यधिक बल मिला है।

आज पंचायतें भारतीय लोकतंत्र के एक नए चेहरे का प्रतिनिधित्व कर रही हैं जिनमें साधारण पुरुष एवं महिला प्रतिनिधि असाधारण कार्यों को अंजाम दे रहे हैं। कई दिक्कतों के बावजूद वे भारत में जमीनी स्तर पर लोकतंत्र के समावेशन और सशक्तिकरण की एक आशाजनक तस्वीर पेश कर रही हैं और गांवों में बेहतर प्रशासन के द्वारा सकारात्मक तब्दीली ला रही हैं।

आज आदर्श पंचायती राज व्यवस्था के सपने को हकीकत में तब्दील करने पर विचार हो रहा है। आज ये स्वीकार्य तथ्य है कि विकास की विभिन्न योजनाओं में पंचायतों की भागीदारी आवश्यक है चूंकि पंचायतें स्थानीय जरुरतों को अच्छी तरह समझती हैं और अपने अनुभवों के आधार पर वे कुछ समाधान भी ढूंढ सकती हैं। पंचायती राज संस्थाएं प्रभावी, सक्षम और पारदर्शी बन सकें, इसके लिए जरूरी है कि पंचायती राज संस्थाओं को बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराई जाएं। पंचायती राज संस्थाओं की समस्या की जब भी चर्चा होती है तो उनमें कर्मचारियों का न होना तथा वित्तीय अनुपलब्धता और अधिकार शीर्ष पर होते हैं। इसी के मद्देनजर 13वें वित्त आयोग ने पंचायतों के करों में हिस्सेदारी का सुझाव दिया है।

एक तरफ केंद्र सरकार की ओर से पंचायतों को ढेर सारे अधिकार देकर ग्रामीण प्रशासन को बेहतर बनाने का काम किया जा रहा है तो दूसरी तरफ स्वशासन प्रणाली विकसित करके ग्राम पंचायतों को ग्राम जनतंत्र की अवधारणा से जोड़ने की कोशिश की जा रही है। ग्राम पंचायतों की सीधी मानीटरिंग की दिशा में भी प्रयास किया जा रहा है।

पंचायती राज से बेहतर हुआ ग्रामीण प्रशासन

सुरेंद्र बहादुर सिंह

केंद्र सरकार की ओर से पंचायतों को ढेर सारे अधिकार देकर ग्रामीण प्रशासन को बेहतर बनाने का काम किया जा रहा है। पहले पंचायतों को ढेर सारे अधिकार दिए गए और अब उन्हें एक के बाद एक विभाग की जिम्मेदारी भी सौंपी जा रही है। केंद्र सरकार का मानना है कि ग्रामीण क्षेत्रों में होने वाले हर कार्य की प्रशासनिक इकाई ग्राम पंचायत है। इसलिए उसका सशक्त होना जरूरी है। यही वजह है कि पंचायतों को ग्राम स्वावलंबन से जोड़ने की कोशिश की जा रही है। स्वशासन प्रणाली विकसित करके ग्राम पंचायतों को ग्राम जनतंत्र की अवधारणा से जोड़ने की कोशिश की जा रही है। ग्राम पंचायतों की सीधी मानीटरिंग की दिशा में भी प्रयास किया जा रहा है।

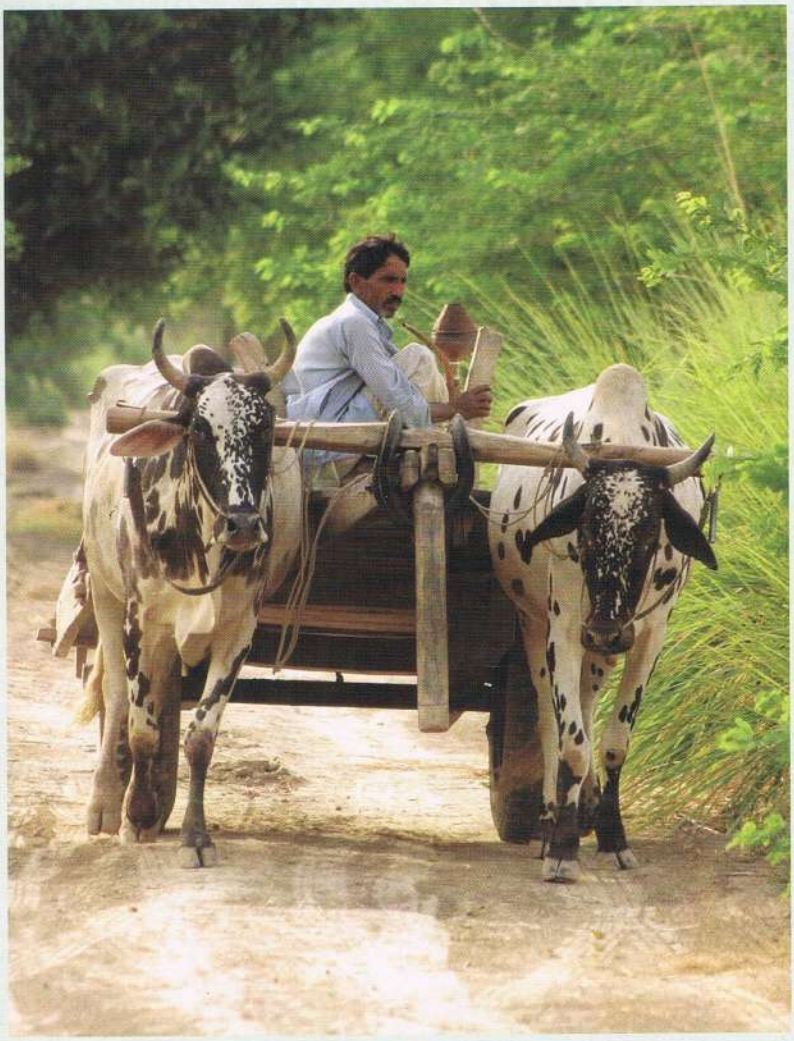

'भारत गांवों में बसता है', यह कहना था महात्मा गांधी का। महात्मा गांधी का यह भी मत था कि देश के विकास के लिए गांवों का विकास आवश्यक है। भारत का संविधान सुसंगठित ग्रामीण समुदाय पर आधारित होना चाहिए। महात्मा गांधी का सीधा–सा तर्क था कि जब तक गांवों का विकास नहीं होगा तब तक सशक्त एवं समृद्ध भारत की कल्पना नहीं की जा सकती है। संविधान निर्माण के वक्त ही गांधीजी के ग्राम स्वराज पर चर्चा हुई और संविधाान के अनुच्छेद 40 में संशोधन करके पंचायत को जोड़ा गया। गांधीजी के ग्राम स्वराज की अवधारणा को पूरा करने के लिए आजादी के बाद ही भारत के गांवों को सशक्त बनाने की दिशा में प्रयास शुरू हुए और आज भी किसी न किसी रूप में जारी हैं। आजादी के वक्त भारत के गांवों की स्थिति काफी खराब थी, लेकिन पंचायतों पर विशेष ध्यान देने के कारण समय के साथ यह प्रयास रंग दिखाने लगा है। बिजली, पानी, सड़क ही नहीं रोजगार, संचार सहित सभी तरह की सुविधाएं ग्रामीणों को मुहैया कराने की कोशिश की जा रही है और इन सभी योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए ग्राम पंचायतों को ढेर सारे अधिकार दिए जा रहे हैं। कई राज्यों में राज्य–स्तरीय ज्यादातर सेवाओं की निगरानी और उनका क्रियान्वयन यहां तक कि संबंधित कर्मचारियों के स्थानांतरण और उनकी मानीटरिंग तक की जिम्मेदारी पंचायतों को दी गई है। अगर हम सामाजिक सुधार और प्रशासनिक व्यवस्था पर ध्यान दें तो देश एवं समाज के विकास में पंचायत की भूमिका को किसी भी कीमत पर नकारा नहीं जा सकता है क्योंकि पंचायत अतीत में भी थीं और आज भी हैं। अतीत और वर्तमान की पंचायतों में काफी अंतर दिख रहा है। अतीत की पंचायतों के पास वे अधिकार नहीं थे, जो आज की पंचायतों को दिए गए हैं। इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि पंचायतों को जिस तरह से अधिकार मिला, उसी गति से गांव में विकास को गति मिली है।

पंचायतों के इतिहास पर गौर करें तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी पंचायतों को किसी न किसी रूप में पोषित किया। अपने अधीन की गई रियासतों में पंच व्यवस्था लागू की। गांवों में पंच चुने और उन्हें कई तरह से अधिकार दिए। अंग्रेजों ने 1860 में सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट बनाया। सन 1870 में लार्ड मियो गवर्नर जनरल ने स्थानीय स्वशासन के नाम पर पंचायतों को नए सिरे से विकसित करने का प्रस्ताव रखा। वर्ष 1882 में लार्ड रिपन ने इन प्रस्तावों का अध्ययन करने के बाद 'लोकल सेल्फ गवर्मेंट' को मंजूरी तो दी, लेकिन यह व्यवस्था कारगर नहीं हो सकी। आजादी के बाद पंचायतों को ताकतवर बनाने की दिशा में भारतीय दृष्टिकोण और भारतीय स्थिति के अनुरूप प्रयास शुरू किया गया।

गांधी जयंती दो अक्टूबर, 1959 को नागौर में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री एवं आधुनिक भारत के निर्माता स्व. पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की। यह प्रयास महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज के स्वप्न को साकार करने की दिशा में सबसे महत्वपूर्ण कदम था। उस समय पंडित नेहरू ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा था कि हम अपने देश में लोकतंत्र की आधारशिला यानी पंचायती राज की नींव रख रहे हैं। यदि महात्मा गांधी आज जीवित होते तो वे बहुत प्रसन्न होते। केंद्र सरकार ने कृषि सुधार और ग्रामीण विकास के साथ ही ग्रामीणों के सामाजिक व आर्थिक विकास को तवज्जो दिया।

समय–समय पर विभिन्न समितियों का गठन कर ग्रामीण विकास में आड़े आ रही समस्याओं की जानकारी दी। समन्वित ग्रामीण विकास की दिशा में दो अक्टूबर, 1952 को देश के चुने हुए विकासखंडों में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस कार्यक्रम में कृषि, पशुपालन, सहकारिता, उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में किए कार्यक्रमों को शामिल किया गया। इन सभी कार्यक्रमों के लिए निर्धारित राशि केंद्र सरकार की ओर से उपलब्ध कराई जाती थी। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का उद्देश्य था कि चुने हुए विकासखंडों का सर्वांगीण विकास हो। इसमें पिछड़े तथा वंचित वर्गों के कल्याण की योजनाओं पर विशेष जोर दिया गया था। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, प्राथमिक पाठशाला, तथा सहकारी समिति इन सभी को आधारभूत संस्था माना गया और इन्हीं के जरिए विकास और जन–कल्याण की मुहिम चलाई गई। इस कार्यक्रम का असर दिखा। विकास के प्रति उत्साह पैदा हुआ। इस उत्साह को देखते हुए केंद्र सरकार ने इन्हें राष्ट्रीय स्तर पर क्रियान्वित करने का फैसला लिया। सामुदायिक विकास एवं राष्ट्रीय प्रसार सेवा कार्यक्रम ने इस प्रकार एक नई प्रशासनिक व्यवस्था प्रारंभ की, जिससे ग्राम पंचायतों के गठन की प्रक्रिया को गति मिली। करीब पांच वर्ष बाद सामुदायिक विकास एवं राष्ट्रीय प्रसार सेवा कार्यक्रम देशव्यापी कार्यक्रम के रूप में गांव–गांव तक फैल गया। भारत सरकार ने जनवरी 1957 में योजना कार्यक्रम समिति के जरिए सामुदायिक विकास एवं राष्ट्रीय प्रसार सेवा के विभिन्न पहलुओं का परीक्षण कराया। इसके लिए एक अध्ययन दल की नियुक्ति की गई, जिसकी अध्यक्षता बलवंत राय मेहता ने की। इस अध्ययन दल ने अपनी रिपोर्ट में ग्राम स्तर से जिला स्तर तक की परस्पर संबद्ध पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना एवं संचालन की सिफारिशें की। बलवंत राय मेहता अध्ययन दल की ओर से कार्यक्रम के क्रियान्वयन, प्रशासन, जनसहयोग, महिला एवं शिशु प्रशिक्षण, सर्वेक्षण एवं मूल्यांकन आदि के संबंध में कई सिफारिशें करने के साथ ही लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के लिए महत्वपूर्ण सिफारिशें की। इसमें प्रमुख निम्नलिखित हैं–

- सरकार को स्थानीय विकास कार्यों का संपूर्ण भार एवं दायित्व स्थानीय संस्थाओं को हस्तांतरित करना चाहिए। सरकार को अपने पास सिर्फ मार्गदर्शन, पर्यवेक्षण एवं उच्चतर आयोजन के कार्य ही रखने चाहिए।
- लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण (पंचायती राज) व्यवस्था में त्रिस्तरीय संरचना करते हुए ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, एवं जिला पंचायत का गठन किया गया। सरकार की ओर से इन सभी संस्थाओं को वित्तीय संसाधन भी उपलब्ध कराए जाए।
- पंचायती राज व्यवस्था की मुख्य इकाई विकासखंड स्तर पर पंचायत समिति को रखा जाए, जबकि जिला पंचायत या जिला परिषद समन्वय एवं पर्यवेक्षण करने वाली संस्था रहे। जो राज्य सरकार जिला परिषद को मुख्य कार्यकारी संस्था बनाना चाहे वे कुछ निर्धारित शर्तों के साथ ऐसा कर सकती है।
- इसी तरह इस दल ने पंचायती राज संस्थाओं के गठन, कार्यप्रणाली, प्रशिक्षण आदि के संबंध में भी विस्तार से रूपरेखा तय करते हुए अपनी रिफारिशें पेश की।

बलवंत राय मेहता अध्ययन दल की सिफारिशों पर राष्ट्रीय विकास परिषद में विचार–विमर्श हुआ और ज्यादातर सिफारिशों को स्वीकृति दी गई। इसके बाद राज्य सरकारों को इसका क्रियान्वयन करने को कहा। केंद्र सरकार की ओर से निर्देश मिलने के बाद सभी राज्य सरकारों ने अपनी स्थिति के अनुरूप पंचायती राज व्यवस्था को अमलीजामा पहनाने की प्रक्रिया शुरू की। पंचायती राज अधिनियम के तहत प्रस्ताव पारित कर त्रिस्तरीय व्यवस्था लागू करने की दिशा में अग्रसर हुए। ग्राम पंचायत से लेकर क्षेत्र पंचायत और जिला परिषद स्तर पर चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई। सहकारी समितियों में भी चुनाव कराए गए।

नई सोच और नई पहल की शुरुआत

पंचायती राज व्यवस्था को सशक्त बनाने की दिशा में विभिन्न समितियों एवं अध्ययन दल की सिफारिशों के बाद भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने जिला कलेक्टरों की पांच प्रादेशिक कार्यशालाएं आयोजित करने के निर्देश दिए। ये कार्यशालाएं दिसंबर 1987 से जून 1988 के बीच जयपुर, भोपाल, हैदराबाद, इम्फाल और कोयम्बटूर में आयोजित की गई। इसके बाद पंचायती राज सम्मेलन हुए। इन कार्यशालाओं और सम्मेलनों में पंचायती राज संस्थाओं के महत्व को सर्वोपरि माना गया। यहीं से 73वें संविधान संशोधन की नींव पड़ी। भारत सरकार की ओर से 64वां संविधान संशोधन विधेयक पेश किया गया, जिसे 10 अगस्त 1989 को लोकसभा में पारित किया गया, लेकिन राज्यसभा में अनुमोदन न मिलने के कारण इसे लागू नहीं किया जा सका।

वर्ष 1990 में पंचायती राज संस्थाओं को समृद्धिशाली बनाने के लिए मंत्रिमंडलीय समिति का गठन किया गया और काफी विचार–विमर्श के बाद नए संविधान संशोधन के निर्णय पर मुहर लगी। इसके बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह की अध्यक्षता में जून 1990 को इस प्रस्ताव को मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में रखा गया। यहां से मंजूरी मिलने के बाद जुलाई 1990 में नया संविधान संशोधन विधेयक तैयार किया गया और सात सितंबर 1990 को इस विधेयक को लोकसभा में पेश किया गया, लेकिन इस बार भी विभिन्न कारणों से यह पारित नहीं हो पाया। इसके बाद 16 सितंबर, 1991 में पी.वी. नरसिंह राव सरकार ने इसे फिर संसद में पेश किया। इस बार इसमें कुछ संशोधन की बात कही गई और संसद की संयुक्त चयन समिति को परीक्षण के लिए सौंपा गया। इस समिति ने परीक्षण के बाद कुछ संशोधन किए और दिसंबर 1992 को लोकसभा एवं राज्यसभा में पारित किया गया। राष्ट्रपति की ओर से अनुमोदन के बाद 24 अप्रैल, 1993 को संविधान (73वां एवं 74वां संशोधन) अधिनियम 1993 लागू किया गया। इस अधिनियम के जरिए भारत के संविधान में भाग आठ के बाद भाग नौ जोड़ा गया। इसमें धारा 243 ए और 243 ओ में पंचायती राज की संरचना , चुनाव, आरक्षण, कार्य एवं शक्तियों, वित्त आयोग आदि के संबंध में प्रावधान किए गए हैं। इसके साथ ही पंचायती राज संस्थाओं के कार्यक्षेत्र के संबंध में भी 11वीं सूची जोड़ी गई है। इस व्यवस्था को वर्ष 1994 में पूरे देश में एक साथ लागू किया गया जिसमें तय हुआ कि पंचायती राज व्यवस्था के तहत त्रिस्तरीय प्रणाली बनाई जाएगी। लोकसभा एवं विधानसभा के तहत ही इस त्रिस्तरीय प्रणाली का भी चुनाव होगा। ये तीन अंग हैं–ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला परिषद। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 (ख) में दिए गए प्रावधानों के अनुसार कुछ प्रदेश सरकारों ने अपने प्रदेश की भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार पंचायतों का गठन किया। वर्ष 2002 के आंकड़ों के मुताबिक भारत में दो लाख 65 हजार ग्राम पंचायतें हैं। यही पंचायतें पंचायती राज व्यवस्था की नींव हैं। चूंकि ग्राम सभा को पंचायती राज व्यवस्था की आधारशिला माना जाता है इसलिए सबसे अधिक जोर ग्राम पंचायत पर दिया गया।

73वें संविधान संशोधन के बाद की स्थिति

संविधान के 73वें संशोधन के जरिए ग्राम स्वराज के सपने को साकार किया गया। पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली–ग्राम स्तर, क्षेत्र पंचायत और जिला परिषद स्तर के चुनाव हो रहे हैं। जिन राज्यों में 20 लाख से कम जनसंख्या हैं, उनके लिए क्षेत्र पंचायत इकाई गठित करने का मामला राज्य सरकार पर छोड़ा गया है। गांव के सभी मतदाताओं को मिलाकर ग्रामसभा का गठन किया जाता है। कम से कम पांच सौ की आबादी पर एक ग्राम पंचायत का गठन होता है। कई बार न्यूनतम संख्या की पूर्ति के लिए दो–दो गांवों को मिलाकर भी ग्राम पंचायत का गठन किया जाता है। ग्रामसभा ही ग्राम पंचायत के कार्यों की निगरानी तथा मार्गगर्शन करती है। आय–व्यय सहित गांव से जुड़ी समस्याओं के निदान के लिए उन्हें फैसला लेने का अधिकार मिले। ग्रामसभा का सरपंच जनता सीधे चुनेगी, जबकि क्षेत्र पंचायत समिति एवं जिला पंचायत समिति का चुनाव जनता की ओर से चुने गए सदस्य करेंगे। तीनों पंचायतों का कार्यकाल प्रथम बैठक के ठीक पांच वर्ष तक होगा। समयावधि से पहले भंग अथवा निर्धारित समय खत्म होने के छह माह के अंदर चुनाव कराना अनिवार्य किया गया है।

तीनों पंचायती संस्थाओं की सीटें प्रत्यक्ष चुनाव से भरने की व्यवस्था दी। ग्राम पंचायत के सरपंच क्षेत्र पंचायत संस्था के सदस्य बन सकेंगे और क्षेत्र पंचायत के सदस्य जिला पंचायत संस्था में सदस्य रहेंगे। सभी पंचायतों मे पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को आरक्षण देने के साथ ही महिलाओं को एक तिहाई सीटों पर अलग से आरक्षण की व्यवस्था की गई। महिला के लिए आरक्षित सीट पर पुरुष चुनाव नहीं लड़ सकेंगे, लेकिन सामान्य सीट पर महिलाएं चुनाव लड़ सकेंगी। सभी संस्थाओं के अध्यक्ष पद के बीच भी आरक्षण का प्रावधान है। तीनों स्तरों पर अध्यक्षों के एक तिहाई पद महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। एक ग्राम पंचायत को विभिन्न वार्डों में बांटा जाता है। यह वार्ड करीब 340 की आबादी पर आधारित होता है। हर वार्ड से एक–एक सदस्य चुने जाते हैं, जिन्हें ग्राम पंचायत सदस्य या पंच कहा जाता है। ग्राम पंचायत के मुखिया को सरपंच कहा जाता है। यह ग्रामसभा का मुख्य नेतृत्वकर्ता होता है। ग्राम पंचायत सदस्य की तरह ही सरपंच का चुनाव भी वयस्क मतदाता करते हैं। ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार की उम्र कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए। बोर्ड के सदस्य ही उप सरपंच का चुनाव करते हैं। इसके अलावा ग्राम पंचायत की अलग–अलग समितियां बनाई जाती हैं, जो विभिन्न कार्यों की निगरानी रखती हैं। ये समितियां होती हैं–सामान्य प्रशासन, फाइनेंस, पब्लिक कार्य, स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक कार्य, सूचना प्रौद्योगिकी और अन्य।

ग्राम पंचायत को मिले अधिकार

भारतीय संविधान के 73वें संशोधन के बाद पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। पंचायतें अधिक सशक्त एवं क्षमताशील हो, इसके लिए उन्हें कई महत्वपूर्ण अधिकार दिए गए हैं। पंचायत पेयजल, ग्रामीण आवास, गरीबी उन्मूलन, प्राथमिक शिक्षा, प्रौढ़ और अनौपचारिक शिक्षा, सांस्कृतिक क्रियाकलाप, परिवार कल्याण, स्वच्छता, महिला एवं बाल विकास, समाज कल्याण, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, सिंचाई, कृषि जल निकासी आदि की व्यवस्था करने के लिए जिम्मेदार है। ग्राम पंचायत को जिम्मेदारी दी गई है कि वह ग्रामसभा की सम्पत्ति की देखभाल करें, वृक्षारोपण तथा वन संरक्षण पर ध्यान दे, निर्धनता उन्मूलन तथा अन्य कार्यक्रमों सहित ग्रामीण कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन दे, आदि।

आर. एन. आई./708/57
डाक–तार पंजीकरण संख्या : डी.एल. (एस)–05/3164/2009–11
आई.एस.एस.एन. 0971–8451, पूर्व भुगतान के बिना आर.एम.एस.
दिल्ली में डाक में डालने के लिए लाइसेंस : यू (डी.एन.)–55/2009–11

R.N.I./708/57
P&T Regd. No. DL (S)-05/3164/2009-11
ISSN 0971-8451, Licenced under U (DN)-55/2009-11
to Post without pre -payment at R.M.S. Delhi.

प्रकाशक और मुद्रक : अरविन्द मंजीत सिंह, अपर महानिदेशक (प्रभारी), प्रकाशन विभाग, सूचना भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003.
मुद्रक : अरावली प्रिंटर्स एण्ड पब्लिशर्स प्रा. लि., डब्ल्यू-30 ओखला इंडस्ट्रियल एरिया-II, नई दिल्ली-110 020 : वरिष्ठ संपादक : कैलाश चन्द मीना

अन्य पंचायत अधिनियम

हालांकि इसके पहले भी समय–समय पर विभिन्न प्रांतों में ग्राम पंचायत संबंधी अधिनियम पारित किए गए। जैसे बंगाल में स्थानीय अधिनियम 1919, मद्रास में स्थानीय सरकार अधिनियम 1920, मुंबई ग्राम पंचायत अधिनियम 1920, उत्तर प्रदेश पंचायत एक्ट 1920, बिहार सरकार अधिनियम 1920, सेंट्रल प्रोविंस पंचायत अधिनियम 1920, पंचायत अधिनियम 1922, आसान सरकार अधिनियम 1925, मैसूर ग्राम पंचायत अधिनियम 1928 , लेकिन इन सबके बीच भारत में पंचायती राज व्यवस्था 73वें संविधान संशोधन के बाद ही असली स्वरूप में आ सकी।

पंचायतों का आधुनिक स्वरूप

73वें संविधान संशोधन के बाद पंचायतों को ढेर सारे अधिकार मिले। इसके बाद पंचायतें लगातार सशक्त हो रही हैं। आज स्थिति यह है कि ग्राम पंचायतें आधुनिक सुविधाओं से लैस हो रही हैं। केंद्र सरकार की ओर से उन्हें ई–गर्वनेंस से जोड़ने की कोशिश की जा रही हैं। आज ग्राम–पंचायत स्तर के चुनाव को काफी गंभीरता से लिया जाता है। तमाम राजनीतिक दल ग्राम पंचायत चुनाव की स्थिति पर ही देश की जनता की मनोस्थिति का आकलन करते हैं और उसी आधार पर ही सरकार के कामकाज की समीक्षा भी की जाती है। पंचायतों को मिले अधिकारों के बाद जिस तरह से बदलाव हो रहा है वह भारत के भविष्य की काफी खुशनुमा तस्वीर दर्शाता है। यही वजह है कि केंद्र सरकार की ओर से पंचायतों को सशक्त बनाने की दिशा में लगातार प्रयास किया जा रहा है। एक तरफ जहां मिड डे भोजन, महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम लागू करके पंचायतों को ग्रामीण विकास को गति देने की दिशा में सबसे बड़ा हथियार थमाया है वहीं अब खाद्य सुरक्षा कानून के जरिए गांवों की गरीबी दूर करने के साथ ही पंचायतों को पहले की अपेक्षा कहीं और अधिक सशक्त बनाने की कोशिश है। शिक्षा, पेयजल, जलनिकासी, स्वास्थ्य, आवास, विकास एवं कानून व्यवस्था में पहले से ही ग्राम पंचायत की भूमिका महत्वपूर्ण है। इस तरह देखा जाए तो केंद्र से लेकर राज्य स्तर तक की कोई भी योजना शुरू होती है, उसमें गांव की भागीदारी होना एक स्वाभाविक प्रक्रिया बन गई है। यानी ग्राम पंचायत की भागीदारी के बिना किसी भी योजना का सफल क्रियान्वयन नहीं हो सकता है।

(लेखक पंचायती राज विभाग से जुड़े हैं)

ई–मेलः surandrabahadur@gmail.com

गांवों में बेहतर प्रशासन : आवश्यकता एवं चुनौतियां

डॉ. सुरेन्द्र कटारिया

बेहतर प्रशासन या सुशासन या अभिशासन (गुड गवर्नेंस) आधुनिक दौर का 'युग-नारा' बन चुका है। संयुक्त राष्ट्र एवं विश्व बैंक से लेकर ठेठ गांव-ढाणियों तक एक ही सर्वव्यापी मुद्दा है कि किस प्रकार लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ लोगों को बेहतर प्रशासनिक सेवाएं उपलब्ध करायी जाएं। बेहतर शासन-प्रशासन का सामान्य-सा तात्पर्य ऐसी प्रशासनिक व्यवस्था से है जो पारदर्शी, जवाबदेह, संवेदनशील, अनुक्रियाशील, विकेन्द्रीकृत तथा जनोन्मुखी हो। गांवों की सामाजिक विकास सम्बन्धी तस्वीर को बदलने के लिए अभी बहुत कुछ किया जाना शेष है। ऐसा बेहतर प्रशासन की स्थापना एवं प्रसार के बिना संभव नहीं है। स्मार्ट शासन ही आधुनिक लोक प्रशासन की आवश्यकता तथा पहचान है।

आज वैश्वीकरण के अन्तर्राष्ट्रीय परिवेश में भारत को विश्व मंच पर सम्मानजनक नजरिए से देखा जाता है। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था है तथा पांचवां बड़ा शक्तिशाली देश का गौरव प्राप्त तटस्थ देश है। कुशल जनसंख्या के मायने में भी हम तीसरे स्थान पर हैं। किन्तु इस सुखद तस्वीर के साथ–साथ कुछ अन्य सामाजिक क्षेत्रों में हम नितांत पिछड़े हुए हैं। मसलन वैश्विक भूख सूचकांक में भारत 67वें स्थान पर, मानव विकास सूचकांक में 134वें स्थान पर, भ्रष्टाचार में 87वें स्थान पर, विश्व समृद्धता सूचकांक में 75वें स्थान पर, विश्व खुशी मापदण्डों में 125वें स्थान पर, सभी के लिए शिक्षा सूचकांक में 105वें स्थान पर, विश्व शांति सूचकांक में 129वें स्थान पर तथा कुपोषण में 24वें स्थान पर है। यह सब इसलिए है कि हमारे पास एक कुशल तथा प्रतिबद्ध नौकरशाही नहीं है। भारत के सरकारी तंत्र (नौकरशाही) को एशिया की निकृष्टतम प्रणाली के रूप में आंका जा चुका है। यहां वर्णित सभी सूचकांकों का सीधा सम्बन्ध ग्रामीण भारत से है। स्पष्ट है कि

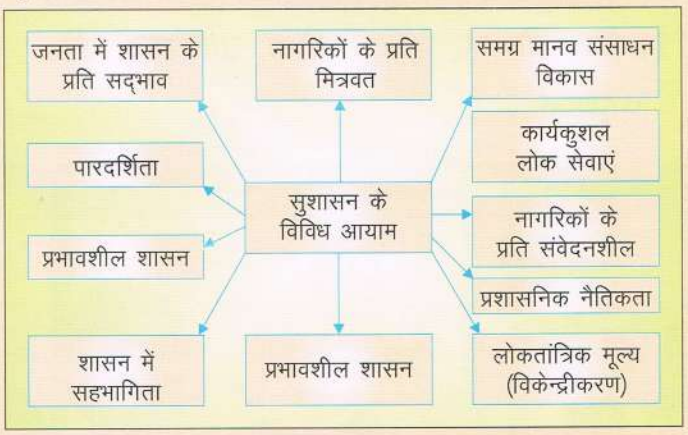

गांवों की सामाजिक विकास सम्बन्धी तस्वीर को बदलने के लिए अभी बहुत कुछ किया जाना शेष है। ऐसा बेहतर प्रशासन की स्थापना एवं प्रसार के बिना संभव नहीं है। **स्मार्ट शासन** (एस–स्माल अर्थात् छोटी सरकार, एम–मोरल अर्थात् शासन में नैतिकता, ए–अकाउण्टेबल अर्थात् उत्तरदायी प्रशासन, आर–रिलाएबल अर्थात् भरोसेमन्द लोकसेवक, टी–ट्रांसपेरेंट अर्थात् प्रशासन की पारदर्शी कार्यप्रणाली) ही आधुनिक लोक प्रशासन की आवश्यकता तथा पहचान है।

भारत में सुशासन की संकल्पना

भारत में **अच्छे शासन** या **सुशासन** की अवधारणा नई नहीं है बल्कि यह रामराज्य एवं स्वराज की परम्परागत अवधारणा का नया नाम है। नैतिक मूल्यों तथा धर्म की विशद् व्याख्या से युक्त भारतीय शास्त्रों में 'राजा' के कर्त्तव्यों तथा राजधर्म के बारे में विस्तृत उल्लेख मिलता है। श्रीमद्भगवद्गीता, यजुर्वेद, मनुस्मृति, महाभारत का शांतिपर्व, चाणक्य के अर्थशास्त्र तथा कामण्डक के शुक्रनीतिसार इत्यादि ग्रंथों में सुशासन के व्यापक नियम वर्णित किए गए हैं। 'बहुजन हितायः बहुजन सुखाय' के मूलमंत्र पर आधारित लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा भी अंशतः सुशासन या अच्छे शासन की दिशा में ही एक कदम है, किन्तु वर्तमान में अच्छे शासन की अवधारणा बीसवीं सदी के अन्तिम दशक में विश्वव्यापी आर्थिक परिवर्तनों तथा लोक प्रशासन की विफलता के क्रम में विकसित हुई है। सार्क देशों द्वारा सन् 2008 **सुशासन वर्ष** के रूप में मनाया जा चुका है।

शिकागो विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्री **मिल्टन फ्राइडमैन** ने इस अवधारणा को प्रचलित किया कि अच्छे शासन के लिए आवश्यक है कि सरकार की भूमिका सीमित हो तथा पूंजीवाद को समाजवाद से बेहतर आर्थिक प्रणाली माना जाए। चूंकि विगत सदी के 80 के दशक में पूंजीवाद की सफलताएं सामने आ चुकी थी तथा शनैः–शनैः समाजवादी अर्थव्यवस्थाएं या तो समाप्त हो रही थी अथवा निजीकरण को अपनाने लगी थी, अतः इस अवधारणा को बल मिला कि सरकार को प्रत्येक गतिविधि में हाथ डालकर अपना कार्यबोझ बढ़ाने से कहीं अच्छा है कि थोड़ा शासन किया जाए, किन्तु वह प्रभावशाली हो। इसी मान्यता को अंगीकार करते हुए ब्रिटेन की पूर्व प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर ने सन् 1979 से नौकरशाही का आकार घटाना तथा निजीकरण अपनाना शुरू किया। भारत में सुशासन की दिशा में प्रथम प्रयास राजीव गांधी के शासनकाल (1984–89) में शुरू हुआ जब इस विषय पर पांच क्षेत्रीय कार्यशालाएं आयोजित की गई। संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन ने भी उदारीकरण की नीतियों को बढ़ावा दिया। इस बीच समाजवादी चीन ने भी निजीकरण तथा उदारीकरण का रास्ता चुन लिया तथा सोवियत संघ के विभाजन सहित बहुत से समाजवादी राज्य बिखरने लगे। भारत ने भी सन् 1991 में नई आर्थिक नीति घोषित कर विश्वव्यापी तूफान में अपनी नाव उतार दी। सन् 1992 में विश्व बैंक ने कतिपय ऐसे बिन्दु रेखांकित किए जोकि विकसित एवं विकासशील देशों में अच्छे शासन हेतु आवश्यक हो सकते थे। इससे पूर्व सन् 1989 में विश्व बैंक ने अपनी एक रिपोर्ट में इस शब्द को प्रयुक्त कर एक सामयिक मुद्दे को प्रारम्भ करने का श्रेय प्राप्त किया था।

अच्छे शासन की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए विश्व बैंक ने निम्नांकित आधार स्पष्ट किए हैं–

- ऐसा शासन जिसमें राजनीतिक जवाबदेयता हो, जिसमें राजनीतिक व्यवस्था को लोगों द्वारा स्वीकारा जाए तथा राजनीतिक शक्ति के प्रयोग हेतु नियमित चुनाव हो।
- शासन की प्रक्रियाओं में विभिन्न धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक तथा पेशेवर समूहों की सहभागिता हो तथा संघ

बनाने की स्वतंत्रता लोगों को प्राप्त हो।

- मानवाधिकारों की रक्षा, सामाजिक न्याय की सुनिश्चितता, शोषण से बचाव तथा शक्तियों के दुरुपयोग को रोकने हेतु स्वतंत्र न्यायपालिका, विधि का शासन तथा सुव्यवस्थित वैधानिक–तंत्र हो।
- सेवाओं की गुणवत्ता, अकार्यकुशलता तथा विवेकाधीन शक्तियों के दुरुपयोग पर नियंत्रण हेतु सरकारी अधिकारियों एवं प्रशासनिक संगठनों के लिए नौकरशाही की जवाबदेयता एवं नियंत्रण की व्यवस्था निश्चित की जाए। इसमें प्रशासनिक खुलापन तथा पारदर्शिता सम्मिलित है।
- सार्वजनिक नीतियों के निर्माण, निर्णयन, प्रबोधन तथा सरकारी निष्पादन के मूल्यांकन के सम्बन्ध में सूचना की स्वतंत्रता हो। इसमें सभ्य समाजों में कार्यरत विश्वविद्यालयों, पेशेवर निकायों तथा अन्य संगठनों द्वारा किया जाने वाला स्वतंत्र विश्लेषण भी सम्मिलित है।
- कार्यकुशलता तथा प्रभावशीलता की सुदृढ़ प्रशासनिक व्यवस्था हो। ऐसा धन के मूल्य तथा लागत प्रभावशीलता को जानने के लिए जरूरी है। प्रभावशीलता का दायरा वैश्विक उपलब्धियों तथा प्रशासनिक व्यवस्था के पंथ निरपेक्ष तथा तार्किक निर्णयन के क्रम में हो तथा प्रशासन स्वयं ही सुधारात्मक कदम उठाने में सक्षम हो।
- सभ्य समाज के संगठनों तथा सरकार के मध्य सहयोग हो।

किसी भी देश के सुशासन को देखने या जांचने का सर्वोत्तम तरीका यह है कि उस देश के प्रशासन ने संविधान में वर्णित आदर्शों की किस सीमा तक प्राप्ति की है। इसी प्रकार विभिन्न नीतियों तथा योजनाओं के लक्ष्य एवं जनाकांक्षाएं किस सीमा तक पूरी हो सकी हैं? कानून एवं व्यवस्था की स्थिति सहित आम आदमी का जीवन भी सुशासन के मापदण्ड बनते हैं। शासन तथा प्रशासन की छवि आम जनता के मनोमस्तिष्क में कैसी है? सबसे महत्त्वपूर्ण मापदण्ड यह है कि किसी समाज का अपनी प्रशासनिक कार्यप्रणाली पर भरोसा कितना है? इन सभी मापदण्डों को आधार बनाएं तो निष्कर्ष यह निकल सकता है कि भारतीय प्रशासन को 'सुशासन' कहलाने के लिए अभी भी बहुत कुछ करना शेष है।

भारत में सुशासन की स्थापना के गंभीर प्रयास सन् 1997 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इन्द्र कुमार गुजराल द्वारा बुलाए गए मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में शुरू हुए थे। उस समय अपनायी नौ–सूत्री कार्ययोजना के अनुसरण में कालान्तर में देश में नागरिक अधिकार–पत्र, सूचना का अधिकार, राजनेताओं तथा अधिकारियों द्वारा सम्पत्ति की घोषणा, मोबाईल तथा ई–शासन का प्रसार, फास्ट ट्रेक अदालतों की स्थापना, प्रशासनिक कानूनों की समीक्षा, लोक सेवकों की छंटनी, विनिवेश, निजीकरण, सिविल सोसायटी की सहभागिता तथा लोक–निजी भागीदारी (पीपीपी) जैसे समसामयिक प्रयास हुए हैं।

चुनौतियां एवं बाधाएं

हमें यह तथ्य भली–भांति तथा निष्पक्ष भाव से स्वीकार कर लेना चाहिए कि भारतीय गांवों का समाज उतना सजग, देशभक्त तथा त्यागी नहीं है जितना कि फिल्मों या कथा–कहानियों में दिखाया या बताया जाता रहा है। कटु वास्तविकता यह है कि जाति, धर्म, नस्ल, वर्ग तथा क्षेत्र इत्यादि श्रेणियों में बंटा ग्रामीण समाज अत्यधिक स्वार्थी तथा संकीर्ण होता है। राजनीतिक दुरभिसंधियों के चलते यह संकीर्णता विगत दशकों में अधिक गंभीर हुई है। चूंकि ग्रामीण क्षेत्रों में अधिसंख्य जातिगत समुदाय तथा उनकी परम्पराएं एवं जटिलताएं हावी हैं अतः 'ऑनर किलिंग'

के फरमान देने वाली तथा समानान्तर न्याय तंत्र चलाने वाली 'जाति पंचायतें' आज भी कानूनी रूप से बनी ग्राम पंचायतों से अधिक सशक्त एवं प्रभावशाली सिद्ध होती हैं। यह सही है कि 73वें संविधान संशोधन के पश्चात् महिलाओं तथा पिछड़े वर्गों का सशक्तिकरण हुआ है किन्तु सिक्के का दूसरा पहलू यह भी है कि परम्परागत समाज में प्रभुत्व रखने वाली सवर्ण जातियां अपने तथाकथित गौरवशाली अतीत के साये से बाहर नहीं आ पा रही हैं। सुशासन स्थापना का कोई भी प्रयास निश्चित रूप से उस ताने–बाने तथा तंत्र को प्रभावित करेगा जोकि सदियों से ग्रामीण समाज में प्रवर्तित रहा है। ऐसे में उन प्रभु जातियों के बड़े जमींदारों को स्वाभाविक धक्का लगेगा जोकि वर्षों से शोषण, अत्याचार तथा भेदभाव की राजनीति एवं व्यवहार करते आए हैं।

एक सर्वमान्य तथ्य यह भी है कि सत्ता का बंटवारा सदैव ही किसी–न–किसी के प्रभाव को कम करता है। पंचायती राज संस्थाओं को शक्तिसम्पन्न एवं प्रभावशाली बनाने की राह में स्वयं राज्य सरकारें ही सबसे बड़ी बाधा हैं क्योंकि विधायकों एवं मंत्रियों को लगता है कि यदि पंचायतें शक्तिशाली हो गई तो उन्हें कौन पूछेगा? यही कारण है कि संविधान की ग्याहरवीं सूची में वर्णित 29 विषयों का विधिवत् एवं समग्रतापूर्वक रूप में पंचायतों को हस्तांतरण नहीं हो पा रहा है तथा पंचायती राज शासन की मूलभूत स्वतंत्र तथा प्रभावी इकाइयां नहीं बन पा रही हैं। बहुत सारे शोध कार्य यह प्रमाणित करते हैं कि आधुनिक पंचायती राज प्रणाली के कारण गांवों का परम्परागत भाईचारा वैमनस्य तथा प्रतिस्पर्धा में परिवर्तित हो चुका है। ऐसे में 'ग्रामीण सुशासन' की कल्पना करना तथा मूर्तरूप प्रदान करना किंचित कठिन कार्य हो गया है। यह कार्य असंभव नहीं है, किन्तु कठिन अवश्य है।

गांवों में इंटरनेट, मोबाइल तथा सूचना प्रौद्योगिकी की कम्प्यूटर आधारित अन्य तकनीकों के माध्यम से ई–शासन का प्रसार किया जा सकता है लेकिन आज भी राजस्थान सहित भारत के लगभग 6 लाख से अधिक गांव मूलभूत सुविधाओं यथा – 24 घंटे बिजली तथा बारहमासी परिवहन मार्गों के संचालन इत्यादि से दूर हैं। यही कारण है कि ई–शासन की कई परियोजनाएं जैसे – ई–मित्र, लोकमित्र, एकल खिड़की तथा लेखा प्रबंधन हेतु करिश्मा परियोजनाएं (कम्प्यूट्राइजेशन ऑटोमेशन रिफाइनमेंट ऑफ इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ मैनेजमेंट एण्ड अकाउंट्स) इत्यादि ग्रामीण क्षेत्रों में पूर्णतया सफल नहीं हो पायी। ग्यारहवें वित्त आयोग तथा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) के निर्देश एवं सहयोग से विकसित हुई सामान्यीकृत लेखा प्रबंधन प्रणाली का क्रियान्वयन सफल नहीं रहा है। इसकी मुख्य वजह पंचायती राज जनप्रतिनिधियों तथा लोकसेवकों की अरुचि तथा नयी प्रणाली के प्रति किंचित भयनुमा अविश्वास रहा है। राजस्व विभाग द्वारा किसानों के भू–सम्बन्धी रिकॉर्ड का कम्प्यूटरीकरण पूरे भारत में संचालित हो रहा एक विशद् कार्यक्रम है किन्तु पटवारीगण की उदासीनता सर्वविदित है।

ग्रामीण क्षेत्र में सुशासन की पद्धति

भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में सुशासन या बेहतर प्रशासन की स्थापना का मार्ग पंचायती राज संस्थाओं से होकर गुजरता है। पूर्ण ग्राम स्वराज तथा रामराज की स्थापना हो सकता है आदर्श बातें हों किन्तु एक सीमा तक इस लक्ष्य को प्राप्त अवश्य किया जा सकता है। इस हेतु यह आवश्यक है कि प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय स्तर पर **मिनी सचिवालय** हो जिसमें पर्याप्त भवन, बैठने की सुविधाएं, कम्प्यूटर, वाहन, टेलीफोन, फैक्स, प्रिंटर, आवश्यक फर्नीचर एवं स्टेशनरी इत्यादि होने चाहिए। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री शिवचरण माथुर की अध्यक्षता में गठित राजस्थान प्रशासनिक सुधार आयोग (1999–2003) ने भी ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम सचिवालय तथा जिला स्तर पर 'जिला सचिवालय' की अनुशंसा की थी। केरल के पंचायती राज मॉडल की सफलता का मुख्य आधार ही यही है कि वहां प्रत्येक ग्राम पंचायत सुविधा–सम्पन्न कार्यालय से सुसज्जित होती है तथा पंचायती सचिव का ओहदा केरल लोक सेवा आयोग से चयनित राजपत्रित अधिकारी के

समकक्ष होता है। दूसरी ओर राजस्थान में वन विभाग के अधिशेष कैटल गार्ड, नाका गार्ड–स्तर के कार्मिकों को ग्रामसेवक (पंचायत सचिव) पद पर नियुक्त किया गया। इसका परिणाम यह हुआ कि ग्राम–स्तर पर संचालित होने वाली 239 केन्द्र प्रवर्तित विकास योजनाओं का क्रियान्वयन गंभीर रूप से प्रभावित हुआ।

ऐसी स्थिति में यह आवश्यक है कि सम्पूर्ण देश में पंचायत सचिव का पद उच्चस्तरीय बनाया जाए ताकि ग्राम स्तर पर कार्यरत अन्य सरकारी विभागों (शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास, सिंचाई, कृषि, पशुपालन) के कार्मिक, कार्य तथा कोष (3'एफ') पंचायतों के अधीन लाए जाएं तो बेहतर ढंग से समन्वय किया जा सके। दूसरी ओर ग्राम पंचायत का सचिव राजपत्रित अधिकारी स्तर का कार्मिक होगा तो कम–से–कम गांववालों के कागजात तो प्रमाणित कर सकेगा तथा पंचायत समितियों का कार्यभार हल्का होगा। इसी प्रकार सरकार के अधिसंख्य कार्य ऑनलाइन होने से गांवों के युवा एवं किसान अपने कार्य पंचायत भवन स्थित ई–मित्र कियोस्क में करवा सकेंगे। ऐसी स्थिति में यह आवश्यक हो गया है कि वर्तमान में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम (मनरेगा) के अन्तर्गत प्रत्येक ग्राम पंचायत में बनाए जा रहे **'भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्रों'** जिनमें सरकारी भवनों के साथ सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से सरकार से उपयोक्ता (जी टू सी) को दी जाने वाली सुविधाओं को ई–शासन के अन्तर्गत प्रदान किया जाना प्रस्तावित है, को विस्तारित करके मिनी सचिवालय का स्वरूप कर देना चाहिए। ग्राम न्यायालय कानून के द्वारा देश भर में लगभग 5000 'चल ग्राम न्यायालय' गठित हो चुके हैं। ऐसे में इन न्यायालयों के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर कैम्प लगाना तथा केस निस्तारण कार्यवाही करते समय ऐसे मिनी सचिवालय बहुत सहायक सिद्ध होंगे।

वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में बने द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने अपनी छठी रिपोर्ट (स्थानीय शासन) में ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर प्रशासन की स्थापना हेतु कुछ सुझाव दिए थे। इनमें प्रमुख सुझाव इस प्रकार हैं–

- संविधान के अनुच्छेद 243(जी) तथा 243(डब्ल्यू) इस प्रकार संशोधित किए जाएं कि क्रमशः पंचायती राज एवं नगरीय स्वशासन संस्थाएं सशक्त बनें तथा ग्यारहवीं एवं बारहवीं अनुसूचियों के कार्य निष्पादित कर सकें।
- संसद एक कानून के द्वारा सभी राज्यों में 'विधान परिषद्' का प्रावधान करते हुए इसमें स्थानीय सरकार से चुने हुए प्रतिनिधियों का प्रावधान करें।
- प्रत्येक जिले में नगरीय एवं ग्रामीण निकायों के प्रतिनिधियों से युक्त एक 'जिला कौंसिल' हो जो अनुच्छेद 243(जी) एवं (डब्ल्यू) के कार्य निष्पादित करे।
- स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को शक्तियों एवं दायित्वों का हस्तान्तरण किया जाए। इस हेतु संघीय एवं राज्य कानूनों में तत्काल संशोधन किया जाए।
- नए कानूनों के निर्माण के समय 'स्थानीय शासन' पक्ष को ध्यान में रखते हुए ही कार्यवाही हो।
- नगरीय स्थानीय संस्थाओं को स्कूली शिक्षा, जन स्वास्थ्य, परिवहन प्रबन्धन एवं सिविल पुलिस, नगरीय पर्यावरण एवं विरासत और भूमि प्रबन्धन (पंजीकरण सहित) हस्तान्तरित कर देने चाहिए।
- भारत सरकार 'स्थानीय शासन हेतु कानून' का मसौदा संसद में प्रस्तुत करे जो शक्तियों, कार्यों एवं दायित्वों के हस्तान्तरण को सुनिश्चित करे।
- यह हस्तांतरण सब्सिडी के सिद्धांत, लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण, कार्यों के विवरण, वास्तविक अर्थों में हस्तान्तरण, समेकन तथा नागरिकोन्मुखता पर आधारित होना चाहिए।
- एक कानून के माध्यम से राज्य वित्त आयोग के सदस्यों की योग्यताओं का निर्धारण कर देना चाहिए।
- स्थानीय निकायों के जनप्रतिनिधियों एवं कार्मिकों हेतु प्रशिक्षण की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए।
- जिला आयोजना समिति प्रस्तावित 'जिला कौंसिल' का परामर्शकारी निकाय बने या समाप्त कर दी जाए। शहरी

क्षेत्रों में नगर नियोजन सम्बन्धी प्राधिकरण इस कौंसिल के अंग बनाए जाएं।

- राज्य सरकारें जिला स्तर पर अंकेक्षण समितियों का गठन करें।
- कुछ जिलों के समूह पर एक सदस्यीय स्थानीय निकाय 'ओम्बुड्समैन' होना चाहिए जो स्थानीय निकायों के जनप्रतिनिधियों एवं कार्मिकों के विरुद्ध कुप्रशासन सम्बन्धी शिकायतों पर सुनवाई करे।
- ओम्बुड्समैन का चयन राज्य के मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष तथा विपक्ष के नेता (विधान सभा) से बनी एक समिति करे तथा ओम्बुड्समैन ऐसा प्रतिष्ठित व्यक्ति हो जिसकी सत्यनिष्ठा निर्विवाद हो एवं वह कार्यरत सरकारी सेवक न हो।
- ओम्बुड्समैन के पास जांच करने की शक्ति हो तथा वह अपनी रिपोर्ट कार्यवाही करने वाली सत्ता को सौंपे।
- सामाजिक अंकेक्षण विधि की स्थापना हेतु राज्य सरकारें कदम उठाएं। स्थानीय निकाय कार्य निष्पादन के मानक निर्धारित करें तथा 'सिटिजन्स रिपोर्ट कार्ड' जैसे नवाचार किए जाएं।
- पारदर्शिता, जवाबदेयता एवं कार्य सरलीकरण हेतु सूचना प्रौद्योगिकी को अपनाया जाए।
- पंचायतों के पास अपने कार्मिकों की भर्ती एवं उनकी सेवा नियमन की शक्तियां होनी चाहिए।
- उच्च स्तर द्वारा निम्न–स्तरीय पंचायती राज संस्था के बजट स्वीकृति की व्यवस्था समाप्त होनी चाहिए।
- राज्य सरकार द्वारा पंचायती राज संस्थाओं द्वारा पारित किसी प्रस्ताव को निलम्बित या रद्द नहीं किया जाना चाहिए।
- स्वैच्छिक या गैर–सरकारी संगठनों को पंचायती राज संस्थाओं को कमजोर या हीन बनाने की अनुमति नहीं मिलनी चाहिए।
- जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों का जिला पंचायतों में विलय कर देना चाहिए।
- ग्रामीण पुलिस एवं अन्य नियामकीय कार्य पंचायतों को सौंप दिए जाएं।
- पंचायतों के वित्तीय संसाधन बढ़ाए जाएं। इस हेतु आवश्यक है कि राज्य सरकारें करों की दरों इत्यादि में हस्तक्षेप न करें।
- पंचायतों को विशिष्ट कार्यक्रमों के अतिरिक्त अन्य निधियां निर्बन्ध राशि के रूप में दी जानी चाहिएं।
- ग्राम एवं पंचायत समिति स्तर पर सूचना एवं संचार सम्बन्धी संसाधन केन्द्र स्थापित किया जाना चाहिए।

चूंकि भारत सरकार इनमें से अधिसंख्य सुझाव स्वीकार कर चुकी है अतः राज्य सरकारों को तत्परता दिखाते हुए पंचायतों को सशक्त करना चाहिए तथा 'भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्रों' के माध्यम से ई–शासन की प्रणाली विकसित कर सुशासन को बढ़ावा देना चाहिए। चूंकि मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश तथा पंजाब में **लोक सेवा गारंटी कानून** बन चुका है तथा राजस्थान में प्रक्रिया जारी है तथा समय की मांग है कि नागरिकों को समय पर प्रभावी, निष्पक्ष तथा पारदर्शी सरकारी सेवाएं मिलें तथा भ्रष्टाचार मुक्त समाज का निर्माण हो।

(लेखक राजकीय महारानी सुदर्शन महिला महाविद्यालय, बीकानेर (राज.) में लोक प्रशासन के व्याख्याता हैं)
ई–मेल : skkataria64@rediffmail.com

सदस्यता कूपन

मैं/हम का नियमित ग्राहक बनना चाहता हूं/चाहती हूं/चाहते हैं।
शुल्क : एक वर्ष के लिए 100 रुपये, दो वर्ष के लिए 180 रुपये, तीन वर्ष के लिए 250 रुपये का
(जो लागू नहीं होता, उसे कृपया काट दें)
डिमांड ड्राफ्ट/भारतीय पोस्टल आर्डर क्रमांक ..... दिनांक ..... संलग्न है।

नाम (स्पष्ट अक्षरों में) .....
पता .....
..... पिन .....

इस कूपन को काटिए और शुल्क सहित इस पते पर भेजिए :

विज्ञापन और प्रसार प्रबंधक
प्रकाशन विभाग, पूर्वी खंड–4, तल–7, रामकृष्णपुरम,
नई दिल्ली–110 066

ई-शासन से बेहतर हुआ गांवों का प्रशासन

अखिलेश चंद्र

विश्व के विभिन्न देशों के मध्य सिमटती दूरियों का एक प्रमुख कारक सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार की बढ़ती भूमिका है। देश में हुई सूचना क्रांति से ग्रामीण जनजीवन में भी बदलाव आया है। अब ग्रामीण महिलाएं भी घूंघट से बाहर आकर कम्प्यूटर और मोबाइल का उपयोग करने लगी हैं। सूचना क्रांति से ग्रामीणों के जीवन स्तर में भी सुधार आया है। ई–शासन ने रही–सही कसर को पूरा कर दिया है। ई–शासन से जहां आम जन की समस्याओं का त्वरित निस्तारण हो पा रहा है वहीं ग्रामीण प्रशासनिक व्यवस्था को भी नई दिशा मिली है। इससे जहां ग्रामीण विकास को नया आयाम मिला है वहीं ग्रामीणों को शासन–प्रशासन की ओर से चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के बारे में तुरंत जानकारी मिल सकी है। पारदर्शी, समयनिष्ठ व परेशानीरहित नागरिक सेवाएं प्रदान करने के लिए समाज के अंतिम तबके तक सूचना व संचार प्रौद्योगिकी के लाभ पहुंचाने के लिए भारत सरकार ने 90 के दशक के अंत में देश में ई–शासन योजना का शुभारंभ किया। उसके बाद, केन्द्र सरकार ने भारत में ई–शासन पहल को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय ई–शासन योजना को 18 मई, 2006 को स्वीकृति प्रदान की, जिसमें 27 मिशन मोड परियोजनाएं और 8 भाग हैं। सूचना प्रौद्योगिकी विभाग तथा प्रशासनिक सुधार व लोक शिकायत विभाग ने राष्ट्रीय ई–शासन योजना का खाका तैयार किया। इस तरह अब ई–शासन के तहत ग्राम पंचायत स्तर पर मुख्य रूप से करीब 30 सूत्रीय कार्यक्रमों को जोड़ा गया है। इसके अलावा 150 अन्य योजनाओं को भी इसमें शामिल किया गया है। ग्राम पंचायतों को जिम्मेदारी दी गई है कि वे 30 सुविधाओं पर विशेष ध्यान रखें और इस क्षेत्र में बेहतर कार्य करें।

ई–शासन व्यवस्था लागू होने से ग्रामीण प्रशासन सशक्त हुआ है। ग्राम पंचायत प्रशासन जहां सबूत पेश कर ग्रामीणों का विश्वास जीत रहा है वहीं अविश्वास की स्थिति में ग्रामीण ग्राम पंचायत की हर गतिविधि की जानकारी भी प्राप्त कर सकता है। तमाम सरपंचों का कहना है कि ई–शासन व्यवस्था ने उनकी प्रशासनिक क्षमता पर निखार लाने का काम किया है। ग्राम पंचायत स्तर की सभी सुविधाएं ग्रामीणों को तुरंत मिल पा रही हैं तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली में ई–शासन का उपयोग करके कई राज्यों में राशन की छीजत को रोका गया है। चेन्नई में ऑनलाइन बिलिंग मशीन का प्रयोग किया जा रहा है तो मध्य प्रदेश में बायोमैट्रिक राशनकार्ड डाटाबेस तैयार किया जा रहा है। स्टॉक होल्डर्स को एसएमएस सेवा से जोड़ा गया है। इस व्यवस्था के बाद वहां करीब 7 लाख फर्जी राशनकार्ड निरस्त किए गए हैं।

इन प्रमुख 30 सूत्रीय कार्यक्रमों में ग्राम पंचायत प्रशासन, जल संसाधन, डेयरी, मत्स्य पालन, सामाजिक कार्य, चुनाव, लघु उद्योग, हाउसिंग, सड़क निर्माण, तकनीकी शिक्षा, उच्च शिक्षा, सांस्कृतिक कार्यक्रम, बाजार, स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, महिला एवं बाल कल्याण, मजदूर कल्याण, लोक कल्याण आदि को शामिल किया गया है। इस तरह ग्राम पंचायतें ई–शासन के जरिए अपनी प्रशासनिक क्षमता का भी विकास कर रही हैं। भारतीय संविधान की धारा 243 जी के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं को आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय से संबंधित योजनाओं की तैयारी के लिए कार्य करना है। इसके अलावा उन पर संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची में शामिल मुद्दों को लागू करने की भी जिम्मेदारी है। इसके

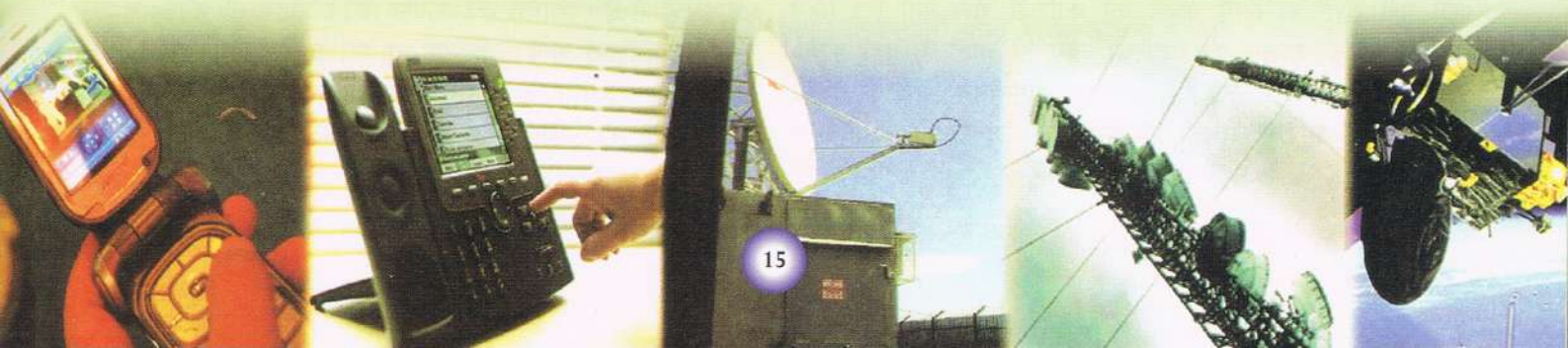

अलावा अतिरिक्त स्थानीय स्तर पर कर लगाने और इन्हें वसूलने की भी जिम्मेदारी पंचायतों की है। उन्हें केन्द्र और राज्य सरकारों की ओर से दी जाने वाली आर्थिक सहायता का भी प्रबंधन करना होता है। जाहिर–सी बात है कि ऐसे में ग्राम पंचायतें सरकार की महत्वपूर्ण सामाजिक योजनाओं को लागू करने की एक नोडल एजेंसी बन गई हैं। इन ग्राम पंचायतों के जरिए ही केंद्र सरकार की ओर से चलाई जा रही महत्वाकांक्षी योजना महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजग़ार योजना (मनरेगा), सर्व शिक्षा अभियान, मध्यान्ह् भोजन योजना (मिड डे मील), एकीकृत बाल विकास योजना(आईसीडीएस) सहित तमाम योजनाओं का संचालन करना है। ऐसे में पंचायतों को ई–शासन का अंग बनाना जरूरी है। चार वर्षों में इस योजना पर करीब 6 हजार 989 करोड़ रुपये खर्च करने का लक्ष्य रखा गया है।

भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्व. राजीव गांधी ने जब संचार क्रांति का खाका तैयार किया था तो उन्होंने स्पष्ट किया था कि सरकार की ओर से चलाई जा रही योजनाओं के बारे में जब तक ग्रामीण पूरी तरह से वाकिफ नहीं होंगे तब तक न तो पंचायती राज की अवधारणा पूरी होगी और न ही संचार क्रांति का वास्तविक सपना पूरा हो सकेगा। निश्चित रूप से केंद्र सरकार की ओर से इसी सपने को साकार करने की दिशा में निरंतर प्रयास किया जा रहा है। विभिन्न योजनाओं के प्रचार–प्रसार के नाम पर करोड़ों रुपये खर्च किए जाते हैं, इसके बाद भी ग्रामीणों को पूरी जानकारी नहीं मिल पाती है। उदाहरण के तौर पर देखें तो केंद्र सरकार ने ग्रामीण स्तर की विभिन्न योजनाओं से लोगों को वाकिफ कराने के लिए वर्ष 2006–07 में 8207 करोड़, वर्ष 2009–10 में 1250 करोड़ रुपये खर्च किए। शहरों के साथ ही ग्रामीण इलाके में भी कम्प्यूटर आ गया है। खबर, सोशल नेटवर्किंग, चिकित्सा, मनोरजंन, ई–मेल और शिक्षा के क्षेत्र के साथ ही अब इसके जरिए हम बिजली, पानी का बिल जमा कर रहे हैं और अपने कृषि संबंधी उत्पादों की जानकारी भी ले रहे हैं।

इंटरनेट सरकारी दफ्तरों से निकल कर घर तक पहुंच चुका है। ऐसे में ई–शासन के जरिए विभिन्न योजनाओं को आम जन तक आसानी से पहुंचाया जा सकता है। ई–शासन की व्यवस्था लागू होने से हर व्यक्ति बिना किसी अड़चन के सरकारी योजनाओं के बारे में जान पा रहा है और योजनाओं का लाभ भी हासिल कर रहा है। आज भारत के करीब–करीब हर राज्य में ई–शासन को पूरी तरह से लागू करने की कोशिशें चल रही हैं। जिन स्थानों पर ई–शासन की व्यवस्था लागू हो चुकी है, वहां इसके परिणाम भी दिखने लगे हैं। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के नेतृत्व में भारत सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी एवं दूरसंचार के विकास को बढ़ावा देने के लिए अनेक कदम उठाए हैं जिससे सरकार की कार्यक्षमता व कार्यप्रणाली में सुधार होने के साथ विकास के लक्ष्यों में अपेक्षित वृद्धि हुई है। प्रधानमंत्री का यह मानना है कि ई–शासन से सुशासन को प्राप्त किया जा सकता है। इसे ग्राम पंचायत स्तर पर लागू किए जाने से ही आम जन को इसका लाभ मिल सकेगा।

विभिन्न राज्यों में ई–प्रशासन एवं सूचना प्रौद्योगिकी परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए चार समितियों का गठन किया गया है–ई–प्रशासन परिषद, राज्य–स्तरीय समिति, ई–प्रशासन परियोजना लक्ष्य दल एवं राज्य–स्तरीय ई–प्रशासन लक्ष्य दल। सभी विभागों के करीब तीन से पांच प्रतिशत बजट का उपयोग सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार के विकास के लिए करने के निर्देश जारी किए गए हैं। यह व्यवस्था देश के करीब–करीब हर राज्यों में लागू की गई है। यह अलग बात है कि कुछ राज्यों ने ई–शासन के क्रियान्वयन में काफी तेजी दिखाई है, वे 10 फीसदी तक बजट ई–शासन में खर्च करके उसका लाभ भी हासिल कर रहे हैं। केंद्र सरकार की ओर से ऐसे राज्यों को निरंतर प्रोत्साहित भी किया जा रहा है। जिन राज्यों ने ई–शासन व्यवस्था को ग्राम पंचायत स्तर पर लागू करने में तेजी दिखाई हैं, उन्हें पुरस्कृत भी किया जा चुका है। जैसाकि गत दिनों राजस्थान सरकार के ई–प्रशासन एवं सूचना प्रोद्यौगिकी विभाग को ई–प्रशासन के राष्ट्रीय सम्मेलन में सर्वश्रेष्ठ स्टॉल एवं ई–संसार के लिए सम्मानित किया गया। इस विभाग के संरक्षण में इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट प्रमोशन कौसिंल ने इण्डिया सॉफ्ट 2010 कार्यक्रम आयोजित किया था, जिसमें 50 देशों के 250 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस तरह देखा जाए तो ई–शासन व्यवस्था के फायदे को देखते हुए केंद्र सरकार के साथ ही विभिन्न संस्थाएं भी बढ़–चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। यही वजह है कि अब किसी तरह की पत्रावलियों के लिए ग्रामीणों को तहसील से लेकर जिला मुख्यालय तक चक्कर नहीं काटना पड़ता है बल्कि वे ग्राम पंचायत से ही सभी पत्रावलियों को प्राप्त कर लेते हैं।

मालूम हो कि विश्व के 42.4 फीसदी यूजर्स अकेले एशिया में हैं। आज राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सूचना नेटवर्क को 'सूचना सुपर हाइवे' कहा जाने लगा है। अब इसे औद्योगिक एवं सामाजिक क्रांति के रूप में भी देखा जा रहा है। इसका असर दिल्ली, मुंबई से होते हुए अब गांव स्तर पर पहुंच चुका है। वर्ष 2005 में प्रधानमंत्री ने ई–पंचायत की घोषणा की। आईटीसी के 5400 ई. चौपाल कियोस्क खुले। अब यह सुविधा ग्राम पंचायत स्तर तक पहुंच चुकी है। कुछ राज्य सरकारों ने इसे व्यापक स्तर पर लागू किया है तो कुछ स्थानों पर अभी काम चल रहा है। इसके पीछे

सरकार की मंशा है कि केंद्र की ओर से जो भी योजनाएं चलाई जाएं वह सीधे ग्राम पंचायत स्तर पर पहुंचे। ग्राम पंचायत को सरकार से जुडने में किसी तरह की दिक्कतें न आए। इसलिए हर ग्राम पंचायत में पंचायत भवन को पूरी तरह से कम्प्यूटरीकृत किया जा रहा है। अगर हम इसके विस्तार पर गौर करें तो अब हर काम इंटरनेट के जरिए हो रहा है। ऐसे में ग्राम पंचायतों को हाइटेक बनाने और सूचनाओं के आदान–प्रदान के लिए ई–गवर्नेंस की व्यवस्था का महत्व बढ़ गया है। इसके जरिए हम तत्काल किसी भी वितरण के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। यही वजह है कि इसकी बढ़ती उपयोगिता को देखते हुए सरकार ने ई–शासन का प्रावधान किया। वास्तव में जवाबदेह, पारदर्शी एवं संवेदनशील प्रशासन सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए जनता को सूचना संचार तकनीक आधारित सेवाएं उपलब्ध कराना भी केंद्र सरकार का एक प्रमुख लक्ष्य है। यही वजह है कि देश के ज्यादातर जिलों में ई–मित्र परियोजना लागू कर दी गई है। स्वास्थ्य मित्र परियोजना के अन्तर्गत सहभागिता से टेलिमेडीसन को साकार किया जा रहा है।

ज्यादातर राज्यों के चिकित्सा महाविद्यालय तथा जिला चिकित्सालय और संभागीय मुख्यालयों को भी ई–शासन व्यवस्था से जोड़ा जा रहा है। मुद्रांक एवं पंजीयन विभाग के करीब–करीब सभी कार्यालय कम्प्यूटर सेवा से जोड़ दिए गए हैं। भू–धारकों के रिकॉर्ड कम्प्यूटरीकृत किए जा चुके हैं। वैट स्वचालित तंत्र भी आरंभ किया जा चुका है जिसमें ई–पेमेंट और ई–रिटर्न की सुविधा भी है। सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार के विस्तार के लिए आवश्यक संरचना का भी विकास किया जा रहा है। जिला कलेक्टर कार्यालयों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा राज्य सचिवालय से जोड़ा जा चुका है। सचिवालय में उचित उपकरणों के वितरण के साथ–साथ सेक्रेटेरियल लोकल एरिया नेटवर्क को सक्रिय किया जा चुका है। जिलों में एनआईसी नेटवर्क के द्वारा आईपी फोन स्थापित किए जा चुके हैं। नागरिकों को विभिन्न सरकारी सेवाएं इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से उपलब्ध कराने के लिए स्टेट डाटा सेंटर क्रियाशील करने के अलावा नागरिक सेवा केन्द्र भी स्थापित किए गए हैं। कुछ राज्यों में दूरस्थ क्षेत्रों के निवासियों का सरकार से संवाद सुगम बनाने के लिए मोबाइल वी–सैट वैन की सुविधा आरंभ की गई है। सरकारी कार्यालयों में क्षमता निर्माण एवं क्षमता संवर्धन के प्रयास किए जा रहे हैं और सूचना प्रौद्योगिकी को शैक्षणिक संस्थाओं में प्रोत्साहित किया जा रहा है। राष्ट्रीय ई–प्रशासन परियोजना को राज्यव्यापी नेटवर्क, राज्य सेवा डिलीवरी गेटवे तथा ई–जिलों की योजना को भी कार्य रूप दिया जा रहा है। वॉयस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, टच–स्क्रीन कियोस्क, सूचना के अधिकार का पोर्टल और ई–संचार आरंभ किए जा चुके हैं। कुछ अभिनव योजनाओं को भी क्रियान्वित करने का प्रयास किया जा रहा है जैसे सुगम, जिसमें नागरिकों की सुविधा के लिए एक राज्य–स्तरीय कॉल सेंटर स्थापित किए गए हैं।

सेवा वितरण केन्द्र

वर्तमान में खासकर दूरदराज़ के क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों को किसी सरकारी विभाग या उसके स्थानीय कार्यालय से कोई सेवा लेने के लिए लम्बी दूरी तय करनी पड़ती है। नागरिक सेवाएं प्राप्त करने में लोगों का काफी समय तथा पैसा खर्च होता है। इस समस्या से निबटने के उद्देश्य से राष्ट्रीय ई–शासन योजना के एक भाग के रूप में प्रत्येक छह गांवों के लिए एक कंप्यूटर तथा इंटरनेट आधारित साझा सेवा केन्द्रों की स्थापना की योजना शुरू की गई है ताकि ग्रामीण जन इन सेवाओं को आसानी से अपने निकटवर्ती केन्द्र से प्राप्त कर सकें।

क्षमता निर्माण कार्यक्रम

राष्ट्रीय ई–शासन योजना के तहत 20 केन्द्रीय विभाग, 35 राज्य व केन्द्रशासित प्रदेश तथा इन राज्यों व केन्द्रशासित प्रदेशों

के 360 विभाग और लगभग 500 क्रियान्वयन एजेंसियां शामिल हैं। कुल मिलाकर लगभग 70,000 मानव वर्ष की आवश्यकता का अनुमान है। इस तरह राष्ट्रीय ई–शासन योजना के लिए अपने उद्देश्य को हासिल करने के लिए जिन क्षमता की कमियों को दूर किया जाना है उनमें शामिल हैं– विशेषज्ञों की नियुक्ति, कौशल का विकास तथा प्रशिक्षण देना।

ई–शासन और ग्राम प्रशासन

ई–शासन के जरिए ग्राम पंचायत के लोगों को केंद्र से लेकर राज्य सरकार तक की योजनाओं के बारे में आसानी से जानकारी मिल रही है। सूचना का अधिकार लागू होने के बाद हर नागरिक ग्राम पंचायतों से विभिन्न तरह की सूचनाओं के बारे में जानकारी हासिल कर रहा है। हर व्यक्ति राजकीय आर्थिक सहायता योजना, स्वास्थ्य, सफाई, रोजगार, अनाज की कीमत, शिक्षा के बारे में जानकारी चाहता है। सूचना अधिकार एक्ट के अनुसार वैसे भी

ई– शासन से गांव में मिलने वाली प्रमुख सुविधाएं
–ऑ लाइन पंजीकरण
–जन्म प्रमाणपत्र प्राप्त करना
–मृत्यु प्रमाणपत्र प्राप्त करना
–ऑन लाइन आवेदन पैन नंबर की सुविधा।
– पैन आवेदन की स्थिति की ऑन लाइन जांच
–कर कटौती खाता संख्या (टैन) के लिए ऑन लाइन आवेदन
–पासपोर्ट आवेदन की स्थिति की ऑनलाइन पूछताछ
–ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करना
–वाहन पंजीकरण
–चोरी के वाहनों की ऑनलाइन स्थिति
–न्यायालय संबंधी फैसले

भारत में इंटरनेट की पहुंच (प्रतिशत में)	
दिल्ली	12.9
तमिलनाडु	12.6
उत्तर प्रदेश	8.5
पश्चिम बंगाल	7.0
राजस्थान	3.0
गुजरात	3.0
हरियाणा	2.9
मध्य प्रदेश	2.3

यह सूचना उपलब्ध करवानी सरकार की जिम्मेदारी भी है जोकि इंटरनेट की सहायता से ऑन–लाइन गर्वनमेंट द्वारा सही–सही मिलनी संभव है। पंचायतों में ई–शासन व्यवस्था होने से हर काम की रिपोर्ट सरकार तक पहुंच सकती है। कितनी सड़कें टूटी हैं और कितनी सड़कों पर काम चल रहा है, कहां, किस तरह की जरूरत है, इसके बारे में ग्राम पंचायत से लेकर केंद्र सरकार तक के आंकड़ें प्राप्त किए जा सकते हैं। इसी तरह स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास के बारे में सरकार की ओर से मिलने वाली विभिन्न तरह की सहायता के बारे में भी हर व्यक्ति जानकारी प्राप्त कर सकता है। जिसे भी किसी भी मामले में आशंका होती है अथवा जानने की इच्छा होती है वह ग्राम पंचायत में स्थापित कियोस्क पर जाकर जानकारी हासिल कर ले रहा है।

किसान की समस्या का समाधान

ई–शासन होने से उपज के रेट भी खुले रहेंगे। ऐसे में ग्राम पंचायत प्रतिनिधि अपने गांव के किसानों को इस बात से अवगत करा सकेंगे कि आज किस उपज का क्या रेट चल रहा है। ऐसे में जिस दिन उचित लगे उस दिन किसान अपनी उपज को मंडी में बेच सकते हैं। ई–शासन व्यवस्था होने से ग्राम पंचायत पर चौपाल आयोजित करना काफी आसान हो गया है। ग्राम पंचायत प्रशासन अपने गांव के किसानों को प्रतिदिन की स्थिति से अवगत कराते हैं। उन्हें बताते हैं कि सरकार की ओर से किसानों के लिए कौन–कौन सी योजनाएं चलाई जा रही हैं। साथ ही किसानों की ओर से पूछे जाने वाले सवालों का भी तत्काल निस्तारण किया जा सकता हैं। जिन सवालों का तुरंत जवाब नहीं मिलता, उनके सवाल ग्राम पंचायत की मेल के जरिए संबंधित विभाग को भेजे जा सकता है। ऐसे में दूसरे दिन संबंधित किसान की समस्या का समाधान हो जाता है। इस तरह देखा जाए तो किसानों की समस्या का निस्तारण करना ग्राम पंचायत की प्रमुख जिम्मेदारी होती है। ई–शासन के जरिए ग्राम पंचायत किसानों के मामले में पूरी तरह प्रशासनिक क्षमता का विकास भी कर सकता है और समस्या का समाधान भी।

रोजगार के खुले द्वार

ई–शासन व्यवस्था होने से ग्राम पंचायत स्तर पर रोजगार की जानकारी मिल सकेगी। ग्राम पंचायत प्रतिनिधि ग्राम पंचायत भवन में बैठकर यह तय कर सकते हैं कि किस विभाग में और किस पद के लिए भर्ती निकली है। ऐसे में वे अपनी ग्राम पंचायत के बेरोजगारों को संबंधित पद के लिए आवेदन भरने और उन्हें प्रोत्साहित कर सकेंगे। ऐसे में एक तरफ जहां बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा वहीं ग्राम पंचायत की छवि जनता के बीच बेहतर बनती है। इसी तरह प्राइवेट कंपनियों में भी रोजगार खोज सकते हैं। अब तो विभिन्न कंपनियों की ओर से ऑन–लाइन आवेदन

मांगे जाते हैं। ऐसे में इस सुविधा का सबसे ज्यादा लाभ बेरोजगारों को मिल रहा है। इतना ही नहीं जिन लोगों के पास अपना कम्प्यूटर नहीं हैं, वे ग्राम पंचायत की मदद से ई–मेल सुविधा का लाभ ले सकेंगे। क्योंकि तमाम प्राइवेट कंपनियों की ओर से ई–मेल पर नियुक्ति संबंधी जानकारी दी जाती है।

भूमि संबंधी समस्या का समाधान

ग्राम पंचायत स्तर पर अक्सर भूमि विभाग के मामले सामने आते रहते हैं। ई–शासन व्यवस्था होने से विवाद की स्थिति में तुरंत ग्रामीणों को उनकी भूमि की स्थिति से अवगत कराकर ग्राम पंचायत प्रशासन विवाद का समाधान कर सकता है। क्योंकि ई–शासन की व्यवस्था होने से किसानों के खेती संबंधी सभी रिकार्ड कम्पयूटराइज्ड कर दिए गए हैं। ऐसे में विवाद की स्थिति में उनका त्वरित निस्तारण किया जा सकता है। इस तरह ई–शासन व्यवस्था के जरिए ग्राम पंचायत प्रशासन विभिन्न विवादों को त्वरित निस्तारित करके जहां बेहतर प्रशासनिक क्षमता दर्शाता हैं वहीं अदालतों पर बढ़ते भार को भी कम करता है। इसके अलावा रिकार्ड की जरूरत पड़ने पर किसान को सभी रिकार्ड मिल जाते हैं। भू–स्वामियों को नाममात्र दर पर अधिकारों का इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड प्रदान किया जाता है। भूमि प्रशासन में मूल्यवर्धन और आधुनिकीकरण के बारे में जानकारी ली जा सकती है।

संपत्ति का लेखा–जोखा

ग्राम पंचायत प्रशासन के पास एक बड़ी जिम्मेदारी होती है विभिन्न संपत्तियों की रक्षा करना। इसमें सरकारी संपत्ति तो होती ही है साथ ही ग्राम पंचायत में रहने वाले हर व्यक्ति की संपत्ति की रक्षा करना और संपत्ति संबंधी विवादों का निस्तारण करना भी पंचायत प्रशासन की नैतिक जिम्मेदारी होती है। ई–शासन व्यवस्था लागू होने से इस समस्या के समाधान में काफी सहयोग मिला है। चूंकि सम्पत्ति खरीदने पर संबंधित प्राधिकरण में पंजीकृत कराना होता है, जिसके जरिए कानूनी स्वामित्व का हक मिलता है। पहले इसमें काफी समय लगता था, लेकिन अब चंद मिनटों में ही यह सारी कार्यवाही हो जाती है। कम्प्यूटरीकृत भूमि और सम्पत्ति पंजीकरण सिस्टम के तहत पंजीकरण करना आसान है। इससे विवाद को जन्म नहीं मिलता। यदि किसी कारण से विवाद होता है तो ग्राम पंचायत उसका त्वरित निस्तारण कर सकती है। ई–शासन के जरिए वह दोनों पक्षों को बैठाकर ऑन लाइन कानून व्यवस्था की भी जानकारी दे सकती है और वास्तविक स्थिति क्या है, इससे दोनों पक्षों को वाकिफ कराकर तनाव खत्म कर सकती है।

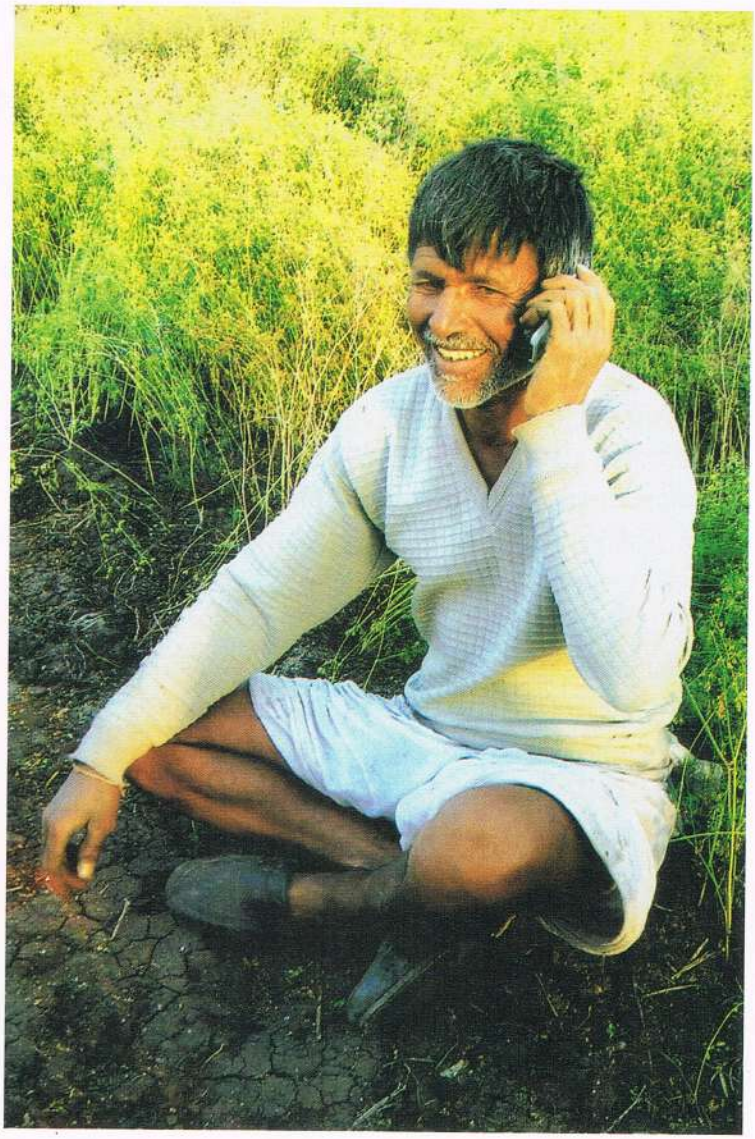

ई–शासन के क्षेत्र में सरकारी प्रयास

केंद्र सरकार की ओर से ई– शासन के विस्तारीकरण की दिशा में कई तरह की पहल की गई हैं। राज्यों को निर्देश दिया गया है कि जिन राज्यों में अभी तक ई–शासन व्यवस्था को पूरी तरह से अमलीजामा नहीं पहनाया है वे जल्द से जल्द जनता से जुड़े राजस्व, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज तथा नगरीय विकास व आवास, तहसीलों, सब रजिस्ट्रार कार्यालय, राष्ट्रीय भूमि सुधार प्रबंधन परियोजनाओं सहित सभी विभागों में ई–शासन को लागू करने के साथ ही इससे आमजन को लाभान्वित करें। खासतौर से लोगों को पंचायत स्तर पर भू–अभिलेख वाजिब लागत पर उपलब्ध कराया जाए, साथ ही इन अभिलेखों की ऑनलाइन उपलब्धता भी सुनिश्चित की जाए। ज्यादातर राज्यों में यह व्यवस्था लागू भी

हो चुकी है। कुछ स्थानों पर यह कार्य तेजी से चल रहा है और राज्य सरकारें अपने बजट में इस मद में भरपूर पैसे का इंतजाम कर रही हैं।

बायोमैट्रिक सिस्टम से होगी हाजिरी

ई–शासन सुविधा लागू करने के साथ ही बायोमैट्रिक सिस्टम से विभिन्न विभागों में कार्यरत कर्मियों की हाजिरी लेने की तैयारी है। डिजिटल सिग्नेचर, बैकेण्ड ऑटोमेशन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। गांवों में ग्रामस्तरीय कर्मचारियों की उपस्थिति की मॉनीटरिंग भी बायोमैट्रिक व्यवस्था से करने की तैयारी चल रही है। निश्चित रूप से इसका लाभ मिलेगा और सरकारी कामकाज में तेजी आएगी। इस व्यवस्था का सबसे ज्यादा फायदा गांवों में प्रशासनिक व्यस्था को बेहतर बनाने में मिलेगा क्योंकि अभी भी अक्सर शिकायत रहती है कि ग्रामीण इलाके की प्रशासनिक व्यवस्था बेपटरी रहती है। कभी लेखपाल गायब रहता है तो कभी ग्राम पंचायत अधिकारी। बायोमैट्रिक सिस्टम लागू होने से सभी कर्मचारियों का ग्राम पंचायत में उपस्थित होना अनिवार्य–सा हो जाएग. क्योंकि उनकी मॉनिटरिंग टॉप टू बॉटम होने लगेगी। ऐसे में गांवों में बेहतर प्रशासन व्यवस्था लागू होगी।

विभिन्न राज्यों में रुकी धांधली

दिल्ली में 400 निजी अस्पताल एवं नर्सिंग होम्स में जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण की ऑनलाइन व्यवस्था की गई है, इससे लोगों को नगर निगम के चक्कर नहीं काटने पड़ते। हालांकि अब यह व्यवस्था सभी स्थानों पर लागू की जा रही है। देश के करीब–करीब हर अस्पताल को ऐसी सुविधा देने के लिए भारत सरकार की ओर से पाबंद किया जा रहा है।

ई–शासन और सार्वजनिक वितरण प्रणाली

लाभ सही व्यक्ति तक पहुंचे, पूरे महीने सेवाओं की उपलब्धता रहे, बोगस व दोहरे कार्ड पर रोक तथा खाद्य सामग्री का रिसाव रोक में ई–शासन व्यवस्था का प्रमुख योगदान है। बीपीएल लिस्ट की समय–समय पर समीक्षा कर अपात्र व्यक्ति को हटाकर पात्र व्यक्तियों का चयन, बीपीएल परिवारों की दी जा रही सुविधाओं का पुनरावलोकन, राशनकार्ड से वितरित की जाने वाली खाद्य सामग्री का वितरण परिवार के सदस्यों की संख्या के आधार पर करने में भी ई–शासन व्यवस्था के जरिए सहयोग मिल रहा है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है कि जिन राज्यों में ई–शासन व्यवस्था लागू करने में सक्रियता दिखाई है वहां इसके परिणाम भी दिख गए हैं। वास्तव में सार्वजनिक वितरण प्रणाली में ई–शासन का उपयोग करके कई राज्यों में राशन की छीजत को रोका गया है। इसके लिए चेन्नई में राशन की दुकानों में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। तमिलनाडु में अगस्त, 2009 से राशनकार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन लिए जा रहे हैं, वहीं चेन्नई में ऑनलाइन बिलिंग मशीन का प्रयोग किया जा रहा है। इसी तरह मध्य प्रदेश में बायोमैट्रिक राशनकार्ड डाटाबेस तैयार किया जा रहा है। स्टॉक होल्डर्स को एसएमएस सेवा से जोड़ा गया है। इस व्यवस्था के बाद वहां करीब 7 लाख फर्जी राशनकार्ड निरस्त किए गए हैं, इससे 14 करोड़ रुपये प्रतिमाह की बचत हो रही है। अरुणाचल प्रदेश में भी बायोमैट्रिक सिस्टम को लागू किया गया है, वहां भी करीब 8 हजार राशनकार्ड निरस्त किए गए हैं। आंध प्रदेश में राशन कार्ड का डिजिटलाइजेशन किया जा रहा है। वहां बारकोडिंग व हॉलोग्राम के जरिए फर्जी राशनकार्डों पर रोक लगाई जा रही है।

ई–गवर्नेंस के तहत बनने वाले पोर्टल

इसमें सामाजिक–आर्थिक आंकड़ों के संकलन, सामाजिक जनसंख्या आंकड़े, लोक ढांचा और सेवा, तथा पंचायतों की भौगोलिक सीमा का ग्राम्यवार विवरण होगा। पंचायतों की संपत्ति और उनकी उपयोगिता के बारे में सूचना के प्रबंधन में मदद मिलेगी। एक प्लान से संबंधित पोर्टल रहेगा, जिसमें निचले स्तर से ज़िलावार कार्ययोजना बनाने में मदद मिलेगी। विभिन्न योजनाओं के लिए कोष को एकीकृत करने, धन के प्रभावी इस्तेमाल को सुनिश्चित करने, धन के आने और खर्च करने का हिसाब और इसके स्रोत का विवरण रखा जाएगा। इसकी पंचायतवार कार्ययोजना बनाने में आसानी, मसौदा योजना, कार्य–योजना और जिन कार्यों में धन खर्च होना है उसके खर्च के अनुमानों के अनुरूप बजट बनाने में मदद मिलेगी। इसी तरह पीआरआईए सॉफ्ट भी होगा, जिसमें धन की प्राप्ति और खर्च का विवरण होगा। स्वतः ही कैश बुक रजिस्टर निर्मित करेगा। योजनाओं के उपयोग संबंधी प्रमाणपत्र देगा। केवल कुछ सामान्य जानकारी दर्ज करते ही ये सभी आवश्यक जानकारी उपलब्ध करा देगा। एक्शन प्लान पोर्टल कार्ययोजना लागू करने और उनकी निगरानी के लिए उपयोग में लाया जाएगा। परिभाषित मानकों के अनुसार पंचायतों को योजनाओं के क्रियान्वयन की स्थिति के बारे में सूचना देने में मदद मिलेगी। ये सभी केन्द्रीय/राज्य की योजनाओं और स्थानीय पंचायत योजनाओं द्वारा प्रयुक्त की जा सकेंगी। शिकायत निवारण पर क्लिक करके आम नागरिक अपनी शिकायत दर्ज करा सकेंगे। इसमें नागरिक पंचायतकर्मियों के खिलाफ या किसी तरह के कदाचार के विरुद्ध शिकायत दर्ज करा सकेंगे। इसमें मामले के अंत तक शिकायत निवारण प्रणाली की समीक्षा की जा सकेगी। इसी तरह एक पंचायत पोर्टल है, जिसमें प्रत्येक पंचायत की वेबसाइट बनाई जाएगी जिसे पंचायत की अन्य सॉफ्टवेयर प्रयोग प्रणाली के साथ जोड़ा जाएगा जिससे कि ये सिंगल डिलीवरी साइन–ऑन गेट वे की तरह काम करे।

(लेखक स्वतंत्र पत्रकार हैं)
ई–मेल : chandra.akhilesh829@gmail.com

गांवों के सुशासन में सूचना प्रौद्योगिकी की भूमिका

डॉ. आलोक शर्मा

सूचना युग की इस नवीन सहस्त्राब्दी में नागरिकों के जीवन-स्तर में सुधार हेतु ई-शासन एक अनिवार्य घटक बन चुका है। तेजी से बदलते वातावरण में समाज, प्रशासन तथा ग्रामीण विकास को नवीन और जटिल समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। यदि जनमत की शक्ति को समुचित महत्व दिया जाए तो परिवर्तनों को न्यूनतम परेशानी तथा अधिकतम समझ और स्वीकृति के साथ अपनाया जा सकता है। इसके लिए जन-साधारण के साथ सूचनाओं की अधिकाधिक सहभागिता आवश्यक है और इसी कारण सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है।

आधुनिक युग में प्रशासनिक व्यवस्था अत्यन्त जटिल एवं व्यापक हो गई है। ऐसी व्यवस्था को गतिमान बनाए रखने के लिए जनसंचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी की आवश्यकता स्वयंसिद्ध है। ठोस नीति–निर्माण के लिए जन–समुदाय के मूल्यों और आकांक्षाओं की आवश्यकता की समझ अत्यन्त आवश्यक है। अपेक्षित परिणामों को सुनिश्चित करने के लिए जन–सामान्य के साथ निरंतर संवाद बनाए रखकर बनाई गई नीतियों के प्रति समझ तथा सद्भावना विकसित करना भी समान रूप से महत्वपूर्ण है।

सूचना प्रौद्योगिकी की उपयोगिता

आधुनिक समाज में सूचना प्रौद्योगिकी ने एक नवीन महत्वपूर्ण सामाजिक भूमिका ग्रहण कर ली है। संचार व सूचना प्रौद्योगिकी समाजीकरण का प्रमुख अभिकरण है। संचार द्वारा सामाजिक और सांस्कृतिक परम्पराएं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हस्तान्तरित होती हैं। 21वीं सदी में सूचना प्रौद्योगिकी की विभिन्न विधाओं के बिना सामाजिक निरंतरता बनाए रखने की कठिनाइयों का अनुमान सहज ही किया जा सकता है। आज समाजीकरण की प्रत्येक स्थिति और उसका प्रत्येक रूप सूचना व संचार तकनीकों पर आश्रित है। मनुष्य जैविकीय प्राणी से सामाजिक प्राणी तब बनता है, जब वह इन साधनों द्वारा सांस्कृतिक अभिवृत्तियों, मूल्यों और व्यवहार और प्रकारों को आत्मसात् कर लेता है।

कोई भी समाज व्यवस्था अपने आप में पूर्ण नहीं होती है तथा उसके पास हर सामाजिक प्रश्न और समस्या का उत्तर भी नहीं होता है। सामाजिक और मानसिक पर्यावरण में होने वाले परिवर्तन नवीन प्रश्नों व समस्याओं को जन्म देते रहते हैं, जिनका समाधान परम्परा की परिधि में प्राप्त करना कठिन प्रतीत होता है। प्रत्येक समाज के विकासक्रम में ऐसी घड़ियां आती हैं जब सामाजिक लक्ष्यों और उन्हें प्राप्त करने के साधनों के विषय में नए सिरे से न्यूनतम सामाजिक सहमति विकसित करनी होती है। सहमति का वातावरण निर्मित करने में सूचना प्रौद्योगिकी का योगदान महत्वपूर्ण होता है। जनसंचार माध्यमों से की गई चर्चा से स्थितियों और समस्याओं को उनके व्यापक सामाजिक परिदृश्य में समझने में सहायता मिलती है और उनके विस्तार, स्वरूप और आयामों के संबंध में सामूहिक विवेक उत्पन्न होता है। यह विवेक इन समस्याओं के सम्भव हल के संबंध में सामाजिक सहमति और तद्विषयक प्रयत्नों को जन्म देता है। सूचना प्रौद्योगिकी का एक अन्य महत्वपूर्ण कार्य है–व्यक्ति और समाज में संज्ञानात्मक मानचित्र का विस्तार। नवीन सूचनाएं मानचित्र क्षितिजों को विस्तारित करती हैं और आकांक्षाओं के धरातल को उठाती हैं। उनके कारण नवीन अभिरुचियां उत्पन्न होती हैं, समस्याओं और उनके सम्भव समाधानों पर ध्यान केन्द्रित होता है और प्रयोग की प्रवृत्ति जाग्रत होती है।

सूचना प्रौद्योगिकी के अन्य दो कार्यों का प्रयोग भी आवश्यक है। प्रथमतः वर्तमान में सूचना प्रौद्योगिकी का मनोविनोद के लिए व्यापक स्तर पर प्रयोग किया जा रहा है। द्वितीयतः सूचना प्रौद्योगिकी के साधनों में सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ाने का गुण होता है। ये साधन व्यक्ति और विचार दोनों का सामाजिक आदर बढ़ा या घटा सकते हैं। नवीन अभिवृत्तियों और मूल्यों को पोषित कर सूचना प्रौद्योगिकी सामाजिक नवनिर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य करती है।

सामाजिक विकास व आधुनिकीकरण के संदर्भ में यदि सूचना प्रौद्योगिकी के इन प्रकार्यों पर विचार किया जाए तो अन्य कई सम्भावनाएं स्पष्ट होंगी। ये साधन जनमानस के सम्मुख नवीन जीवन का एक आकर्षक विकल्प प्रस्तुत कर उसे जड़ता का मार्ग छोड़ सक्रियता की राह अपनाने की प्रेरणा दे सकते हैं। किसी भी लोकतांत्रिक समाज में जाग्रत जनमत उसकी प्रगति की एक अनिवार्य पूर्वापेक्षा मानी जाती है, और इसे तैयार करने में जनसंचार के साधनों की महती भूमिका होती है। भारत में ग्राम पंचायतों के माध्यम से विस्तारित की जा रही ई–शासन सम्बन्धी समस्त योजनाएं एवं कार्यक्रम इसी दृष्टिकोण को पुष्ट करते हैं।

ग्रामीण प्रशासन में सूचना प्रौद्योगिकी का योगदान

सरकार (प्रशासन) सूचनाओं की मुख्य प्रसारक तथा उपभोक्ता है किन्तु सामान्यतः यह मत प्रचलित है कि सरकार इस क्षेत्र में उत्तम कार्य करने में सक्षम नहीं है। जिस प्रकार किसी भी व्यवसाय का पुनर्जीवन भौतिक द्रव्य एवं उपभोक्ताओं की मानसिक संतुष्टि पर निर्भर होता है उसी प्रकार सरकार का पुनर्जीवन इसके नागरिकों की संतुष्टि में सन्निहित है। इसके अतिरिक्त सरकार के अन्तर्गत विभिन्न सहभागियों के मध्य अन्तर्सम्बन्ध भी इसमें सम्मिलित है ताकि प्रौद्योगिकी के लाभों का वितरण उन तक सम्भव हो पाए।

ऐसी मान्यता है कि नागरिक लम्बी कतारों में इंतजार करने, असहिष्णु तथा रूक्ष उत्तरों, तथा रिश्वत देने के अभ्यस्त हो गए हैं। नागरिक इसकी शिकायत नहीं करते क्योंकि इसका कोई फायदा नहीं होता है। वे स्वयं को इस संबंध में बेबस महसूस करते हैं। सूचनाओं में सरकार की सहभागिता सर्वाधिक है तथा यह आवश्यक है कि इसका प्रयोग जनकल्याण के लिए होना चाहिए। सूचनाओं तक द्रुतगामी पहुंच के लिए आवश्यक है कि इसका स्वरूप सबके लिए खुला हो। एक बार सरकार द्वारा ऐसा करने पर अन्य निजी संचालकों को क्रियाशील होने की प्रेरणा प्राप्त होती है। आधुनिक युग में टेलीफोन, कम्प्यूटर व इंटरनेट का प्रयोग किया जा रहा है। इसके परिणामस्वरूप प्रशासनिक गतिविधियों के संचालन में आश्चर्यजनक परिवर्तन हो रहे हैं। जनसंचार के साधन इतने विकसित हो गए हैं कि आम जनता को सभी प्रशासनिक सूचनाओं एवं कार्यों की त्वरित जानकारी प्राप्त हो जाती है। इस सन्दर्भ में यह आवश्यक है कि प्रशासन के अन्तर्गत सूचना प्रौद्योगिकी से

लाभान्वित होने वाले क्षेत्रों को सूचीबद्ध किया जाए। ग्रामीण भारत में सुशासन की स्थापना के लिए सूचना प्रौद्योगिकी निम्नांकित क्षेत्रों में उपयोगी हो सकती है–

- जन दस्तावेजों तक नागरिकों की पहुंच; ऑनलाइन भुगतान; विधिक प्रतिपाद (रिटर्नस्) का विवरण; शिकायत, रोष तथा सुझाव देना; सरकार में सहभागिता; सेवाओं का ऑनलाइन वितरण।

राष्ट्रीय ई–शासन योजना

पारदर्शी, समयनिष्ठ एवं परेशानीरहित नागरिक सेवाएं प्रदान करने के लिए समाज के अंतिम तबके तक सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के लाभ पहुंचाने हेतु भारत सरकार ने 90 के दशक के अंत में देश में ई–शासन योजना का शुभारम्भ किया। उसके बाद, केन्द्र सरकार ने भारत में ई–शासन पहल को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय ई–शासन योजना को 10 मई, 2006 को स्वीकृति प्रदान की जिसमें 27 मिशन मोड परियोजनाएं और 8 भाग हैं। सूचना प्रौद्योगिकी विभाग तथा प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग ने राष्ट्रीय ई–शासन योजना का प्रारूप तैयार किया है। नागरिकों एवं व्यवसायियों को शासकीय सेवाएं प्रदान करने के कार्य में सुधार लाने के उद्देश्य से आरम्भ की गई राष्ट्रीय ई–शासन योजना का मुख्य लक्ष्य–''सभी सरकारी सेवाओं को सार्वजनिक सेवा प्रदाता केन्द्र के माध्यम से आम आदमी तक पहुंचाना और आम आदमी की बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इन सेवाओं में कार्यकुशलता, पारदर्शिता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करना'' निर्धारित किया गया है।

इस लक्ष्य को ग्रामीण जनता की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। मूल आवश्यकता समाज के उन तबकों तक पहुंचने की है जो अभी तक भौगोलिक चुनौतियों तथा जागरुकता की कमी जैसे कारणों से सरकार की पहुंच से लगभग बाहर रहे हैं। राष्ट्रीय ई–शासन योजना में ग्रामीण क्षेत्रों के नागरिकों तक पहुंच के लिए प्रखण्ड स्तर तथा साझा सेवा केन्द्रों तक के सभी सरकारी कार्यालयों को राज्यव्यापी एरिया नेटवर्क से जोड़ने का प्रावधान है।

वर्तमान में खासकर दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों को किसी सरकारी विभाग या उसके स्थानीय कार्यालय से कोई सेवा लेने के लिए लम्बी दूरी तय करनी पड़ती है। नागरिक सेवाएं प्राप्त करने में लोगों का काफी समय तथा पैसा खर्च होता है। इस समस्या से निबटने के उद्देश्य से राष्ट्रीय ई–शासन योजना के एक भाग के रूप में प्रत्येक छः गांव के लिए एक कम्प्यूटर तथा इंटरनेट आधारित साझा सेवा केन्द्रों की स्थापना की योजना शुरू की गई है ताकि ग्रामीण जन इन सेवाओं का लाभ आसानी से अपने निकटवर्ती केन्द्र से प्राप्त कर सकें। इन साझा सेवा केन्द्रों का उद्देश्य है 'कभी भी' 'कहीं भी' के आधार पर एकीकृत ऑनलाइन सेवा प्रदान करना।

सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग शासन को नागरिकों तक पहुंचने की समर्थता देता है और जिसके फलस्वरूप शासन में सुधार होता है। इससे विभिन्न शासकीय योजनाओं की निगरानी तथा उसे लागू करना भी सम्भव होगा जिससे शासन की जवाबदेही तथा पारदर्शिता में वृद्धि होगी।

ई–शासन न्यूनतम मूल्य पर नागरिक केन्द्रित सेवा प्रदान करने के प्रावधान के द्वारा इस लक्ष्य को हासिल करने में मदद करेगा और इसके फलस्वरूप सेवाओं की मांग तथा इन्हें प्राप्त करने में कम समय लगेगा और वह काफी सुविधाजनक भी होगा।

इसलिए इसका उद्देश्य सुशासन को मजबूती प्रदान करने के लिए ई–शासन का उपयोग करना है। विभिन्न ई–शासन पहल के जरिए लोगों को दी जा रही सेवाएं केन्द्र व राज्य सरकारों को अब तक वंचित समाज तक पहुंचने में मदद करेंगी। साथ ही, समाज के मुख्यधारा से कटे हुए लोगों की शासकीय क्रियाकलापों में भागीदारी के द्वारा उनका सशक्तीकरण होगा जिससे गरीबी में कमी आएगी तथा सामाजिक एवं आर्थिक विषमताओं में कमी आएगी।

ई–शासन की विभिन्न योजनाएं

भारत के सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के माध्यम से ई–कॉमर्स, ई–शासन, ई–हस्ताक्षर तथा ई–व्यापार इत्यादि को वैधानिक दर्जा दिया जा चुका है। भारत में सन् 2001 को **ई–शासन वर्ष** के रूप में भी मनाया जा चुका है। अन्तर्राष्ट्रीय एवं

श्रीमती सोनिया गांधी
अध्यक्ष, यूपीए

डॉ. मनमोहन सिंह
प्रधानमंत्री

आंगनवाड़ी से मिला हमें पोषण, अच्छी सेहत और एक खुशहाल ज़िन्दगी

अब मैं खुश, मेरी मुन्नी भी खुश'

davp 22111/13/0010/1112

यूपीए के दो वर्ष

भारत निर्माण
का सपना बुना
तरक्की हुई
कई गुणा

राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं एवं परियोजनाओं का नेटवर्क **'मीडिया लैब एशिया'**, ई–कृषि, ई–चौपाल, ई–परीक्षा, ई–सेवा तथा महाराष्ट्र सरकार का सेतु (एकीकृत नागरिक सरलीकरण केन्द्र) इसी दिशा में हुए उल्लेखनीय प्रयास हैं। बहुत से राज्यों जैसे–आंध्र प्रदेश, मध्यप्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र तथा गुजरात में इस क्षेत्र में तेजी से उल्लेखनीय प्रगति हुई है। सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में संचालित हुई अनेक नवाचारी परियोजनाओं की सफलता से समूचा प्रशासन उत्साहित है। मध्यप्रदेश के धार जिले में जनवरी, 2000 से संचालित हुई **'ज्ञानदूत परियोजना'** के माध्यम से सर्वप्रथम 31 गांवों को इंटरनेट से जोड़कर मण्डी, व्यापार, भू–पट्टे, रिकॉर्ड नकल, वैवाहिक सूचनाएं, ई–मेल, जनशिकायत निवारण तथा समस्या समाधान इत्यादि प्रशासनिक कृत्य सफलतापूर्वक निष्पादित हुए तथा साइबर कैफे एवं कियोस्क के माध्यम से युवकों को रोजगार भी मिला।

आंध्रप्रदेश ने 'कॉम्पैक्ट–2020' योजना के माध्यम से टैक्स रिटर्न की प्रक्रिया इंटरनेट पर संचालित की है। इसी तरह पंजाब में किसी भी पहल की स्थिति आप घर बैठे पा सकते हैं तो गुजरात में चुंगी का निर्धारण इलैक्ट्रॉनिक माध्यमों से किया जा रहा है। राजस्थान में राजकॉम्प संस्था से अधिसंख्य आवेदन–पत्र तथा फार्म कम्प्यूटर पर उपलब्ध कराके नवाचार किया गया है। कर्नाटक का भूमि रिकॉर्ड कम्प्यूटरीकरण का 'भूमि' कार्यक्रम FRIENDS (Fast, Reliable, Instant, Efficient, Network For Disbrusment Of Services) **आंध्रप्रदेश** का **Smart Gov.** तथा ई–सेवा, हरियाणा का दिशा **Disha** (District Level Integrated Services of Haryana) रेलवे का **क्रिस** (Centre for Railway Information System) तथा **कर्नाटक** का **बंगलौर वन (B-1)** तथा चण्डीगढ का **ई–सम्पर्क** ऐसे ही चर्चित प्रयास हैं जिनके द्वारा प्रशासन में सूचना प्रौद्यगिकी को प्रयुक्त कर समयानुकूल सार्थक कदम बढ़ाए गए हैं। ये सब उदाहरण केवल कुछ दृष्टान्त हैं। भारत में सूचना प्रौद्यागिकी तथा ई–शासन की दिशा में तेजी से प्रयास हो रहे हैं।

ग्रामदूत योजना

जनवरी, 2002 से राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा ग्रामदूत नामक एक ऐसी परियोजना शुरू की गई है जो राजस्थान के गांवों को सूचना, संचार, सुविधा एवं मनोरंजन की नई दुनिया से जोड़ देगी। ऑप्टिक फाइबर, एक्सिस, तकनीक पर आधारित इस योजना के माध्यम से ग्रामवासी विभिन्न प्रकार की सेवाओं को तत्काल प्राप्त कर सकेंगे। जयपुर जिला प्रशासन के सहयोग से अक्श ऑप्टी फाइबर लिमिटेड द्वारा तैयार की गई योजना ग्रामीण भारत तथा शेष विश्व के बीच अन्तर को कम करेगी। ऑप्टिकल तकनीक ''एक्सिस'' के माध्यम से ई–गवर्नेंस तथा ग्रामीण कनवरर्जेंस उपलब्ध कराने का यह प्रयोग सफल होने पर सूचना संचार क्रान्ति को उसके पूर्ण स्वरूप में गांवों तक पहुंचाने वाला पहला राज्य राजस्थान बनेगा।

उक्त योजना के अन्तर्गत पहला ग्रामदूत केन्द्र जयपुर जिले के ''डाबड़ी–रामपुरा'' गांव में स्थापित किया गया है। इंटरनेट के माध्यम से यह गांव पूरे विश्व से जुड़ गया है। आने वाले दिनों में शेष गांवों का राजस्व रिकार्ड कम्प्यूटर पर उपलब्ध हो जाएगा जिसे लोग गांव में बैठे–बैठे प्राप्त कर सकेंगे। अक्श लिमिटेड ने आगामी 6 महीनों में जयपुर जिले की सभी 488 ग्राम पंचायतों को इस प्रणाली से जोड़ने का लक्ष्य रखा है।

वस्तुतः ''ग्रामदूत'' एक क्रान्तिकारी अवधारणा है जिसे ग्रामीण भारत तथा शेष विश्व के बीच डिजिटल अन्तर को पाटने के लिए डिजाइन किया गया है। वास्तव में ग्रामदूत एक सूचना गुमटी है जिसमें एक प्रशिक्षित ग्रामीण तैनात रहेगा जो इसका कामकाज संचालित करेगा। इस गुमटी में हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर तथा फाइबर कनेक्टिविटी रहेगी। ग्रामदूत इस बेड़े की आकर्षक दुनिया के वास्तविक एवं क्रान्तिकारी पहलुओं को प्रदर्शित करेगा। यह सरकार, प्रशासन एवं जनता के एक–दूसरे से सम्पर्क एवं कार्य करने के तरीके बदल देगा तथा कम लागत में त्वरित एवं बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराएगा। इसके जरिए केबल टी.वी., शिक्षा, मनोरंजन, लैपटॉप, फैक्स, हॉटलाइन, टेलीफोन, उच्च गति का इंटरनेट, एक्सेस आदि कई सेवाओं का लाभ एक साथ लिया जा सकेगा। अक्श द्वारा विकसित उत्कृष्ट ऑप्टिक फाइबर शहरों से भी बेहतर सेवाएं गांवों में उपलब्ध कराएगा। इसका रखरखाव भी अधिक आसान होगा।

ई–शासन से प्रशासन में जवाबदेयता एवं पारदर्शिता का विकास

सूचना व संचार युग की वर्तमान सहस्त्राब्दि में समानता पर आधारित समाज की रचना, निर्धनता उन्मूलन तथा सभी नागरिकों के उन्नत जीवन–स्तर के लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु ई–शासन स्वयं एक महत्वपूर्ण लक्ष्य हो गया है। ई–शासन व प्रशासन के माध्यम से ई–लोकतंत्र की स्थापना हेतु उत्तम एवं जवाबदेह प्रशासन एक ऐसी पूर्व शर्त है जिससे ई–व्यापार एवं आर्थिक वृद्धि के लक्ष्य की साधना आसानी से की जा सकती है।

अब ई–शासन का युग आ चुका है क्योंकि सूचना प्रसारण में नए–नए तरीके विकसित हो चुके हैं और इसी के परिणामस्वरूप 'शासन व नागरिक एक–दूसरे के आमने–सामने हो गए हैं। ई–गवर्नेंस के कारण लोग चुनावों, लोकनीति, संसदीय कार्यवाही, न्यायिक निर्णय, योजना, कार्यक्रम, सरकार की सफलताएं व विफलताएं आदि के विषय में पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और फिर वे अपना विकल्प भी दे सकते हैं कि वे किस प्रकार का शासन चाहते हैं।

नवीन सहस्त्राब्दि के आरम्भ में वैश्विक परिदृश्य के सम्मुख एक निराशाजनक आर्थिक विरोधाभास परिलक्षित होता है। जहां एक ओर विश्व अर्थव्यवस्था विकसित राष्ट्रों के लिए आर्थिक समृद्धि एवं तकनीकी क्रान्ति के पथ पर अग्रसर है, वहीं दूसरी

ओर, संसार के कई निर्धन राष्ट्र घोर निर्धनता के दुष्चक्र में फंसे हुए हैं। विकासशील एशिया में तो निर्धनों की संख्या अरबों में है।

तृतीय विश्व के अन्य सभी राष्ट्रों के समान भारत में भी विकास के मार्ग में निर्धनता, बेरोजगारी, विषमता एवं शोषण की समस्या विकराल रूप लिए हुए प्रतीत होती है। वस्तुतः भारत में वास्तविक भारत का दर्शन इसके 5,76,126 गांवों में होता है जहां भूख एवं बीमारी आज भी विकराल समस्या के रूप में दृष्टिगोचर होती है तथा लगभग 40 प्रतिशत जनसंख्या निर्धनता की रेखा से नीचे जीवनयापन कर रही है।

विकसित विश्व समुदाय का एक अंग बनने के क्रम में भारत में विद्युतीय प्रशासन के माध्यम से उत्तम शासन की स्थापना विकास प्रक्रिया की एक अनिवार्य पूर्वापेक्षा है। सहभागी, पारदर्शी एवं जवाबदेह प्रशासन पर बल प्रदान करने के लिए यह समाज के निर्धन एवं दलित वर्ग को संसाधनों के निश्चित वितरण का उत्तरदायित्व ग्रहण करता है साथ ही निर्णयों की सुदृढ़ता हेतु उनके विचारों को भी प्रत्यक्षतः ग्रहण करता है।

विकासशील देशों के संक्रमणकालीन परिवेश में एक अधिक उत्तरदायी, पारदर्शी, कुशल एवं ईमानदार प्रशासनिक व्यवस्था की स्थापना करना सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है। किन्तु सरकार द्वारा चालू की गई सूचना प्रौद्योगिकी नीति ने विकास प्रक्रिया में समाज के सभी वर्गों की समग्र सहभागिता के विकास की आशा जागृत की है। इससे लोगों के मस्तिष्क में जीवंत प्रशासनिक संरचना के विकास की जीजिविषा उत्पन्न हुई है।

सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का वंचितों के उत्थान में योगदान

आज के युग में अर्थव्यवस्था की प्रगति एवं रोजगार हेतु सूचना व संचार प्रौद्योगिकी एक शक्तिवान स्रोत बन गई है। साथ ही परोक्ष रूप से निर्धनता उन्मूलन की दिशा में इसका महत्वपूर्ण योगदान है। सूचना व संचार प्रौद्योगिकी प्रत्यक्ष रूप से निर्धनों को लाभान्वित कर सकती है। सूचना व संचार प्रौद्योगिकी का प्रत्यक्ष उपयोग निर्धनों की स्थिति को बेहतर बनाने में निम्नानुसार सहयोग प्रदान कर सकता है–

- अनेक अवसरों तथा व्यापारिक उतार–चढ़ावों के संबंध में जानकारी सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से ही प्राप्त की जा सकती है। इससे युवा निर्धनों के लिए रोजगार अवसरों की उपलब्धता सुगम होती है। इंटरनेट का उपयोग भी इस संबंध में एक उत्तम विकल्प हो सकता है।
- सूचना व संचार प्रौद्योगिकी आधारभूत स्वास्थ्य तथा चिकित्सा सूचनाएं प्रदान करने हेतु भी उपयोगी है। कुपोषण, निम्न स्वास्थ्य, जल एवं अन्य सुविधाओं से अभावग्रस्त क्षेत्रों की दशा में सुधार हेतु सूचना प्रौद्योगिकी की नवीन तकनीकों का उपयोग किया जा सकता है।
- समाज का निम्न आय वर्ग शिक्षा के क्षेत्र में भी सूचना प्रौद्योगिकी का लाभ उठा सकता है। शिक्षा के क्षेत्र में नित नए अनुसंधान सूचना व संचार माध्यमों से जनता के प्रचलन में आ रहे हैं।
- **ई–शासन** की तकनीकों के माध्यम से अधिक कार्यकुशल, पारदर्शी एवं उत्तरदायी प्रशासन की स्थापना करना सम्भव है। प्रशासन का नागरिकों तक विस्तार किया गया है। नागरिकों को अब अपना समय कतारों में अथवा एजेंटों के पास जाने में नष्ट नहीं करना पड़ता है बल्कि सभी प्रशासनिक सुविधाएं उन्हें एक ही समय व स्थान पर उपलब्ध हो सकती

हैं। ई–शासन के माध्यम से नागरिकों को निर्णय–निर्माण प्रक्रिया में सहभागी भी बनाया जा सकता है।

अतः निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि सूचना क्रान्ति के युग में संचार माध्यमों ने समानता पर आधारित समाज की रचना, निर्धनता उन्मूलन एवं नागरिकों के जीवन–स्तर की उन्नति हेतु एक महत्वपूर्ण प्रयास किया है। उत्तरदायी, संवेदनशील और परिपक्व लोकतंत्र के विकास में सूचना प्रौद्योगिकी का अपना एक विशिष्ट महत्व है जिसे लोकतांत्रिक सरकारें जितनी शीघ्रता से आत्मसात् कर सकें, उतना ही श्रेयस्कर होगा। एक स्वस्थ लोकतंत्र की अनिवार्य शर्त के रूप में जागरूक जनमत के विकास में सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई–शासन की असंदिग्ध भूमिका को भी शीघ्रातिशीघ्र रेखांकित किया जाना उचित होगा। सहभागी, पारदर्शी एवं जवाबदेह प्रशासन द्वारा समाज के प्रत्येक वर्ग को संसाधनों के वितरण में सूचना प्रौद्योगिकी का महत्वपूर्ण योगदान है। केन्द्र सरकार के निर्देशन में देशभर की ग्राम पंचायतों में बनाए जा रहे "भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र" ई–शासन के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में सुशासन की स्थापना करेंगे।

(लेखक जगन्नाथ विश्वविद्यालय, चाकसू जयपुर (राज.) में प्रबन्धन संकाय के व्याख्याता हैं।)

ई–मेल : alok.sharma@jagannathuniversity.org

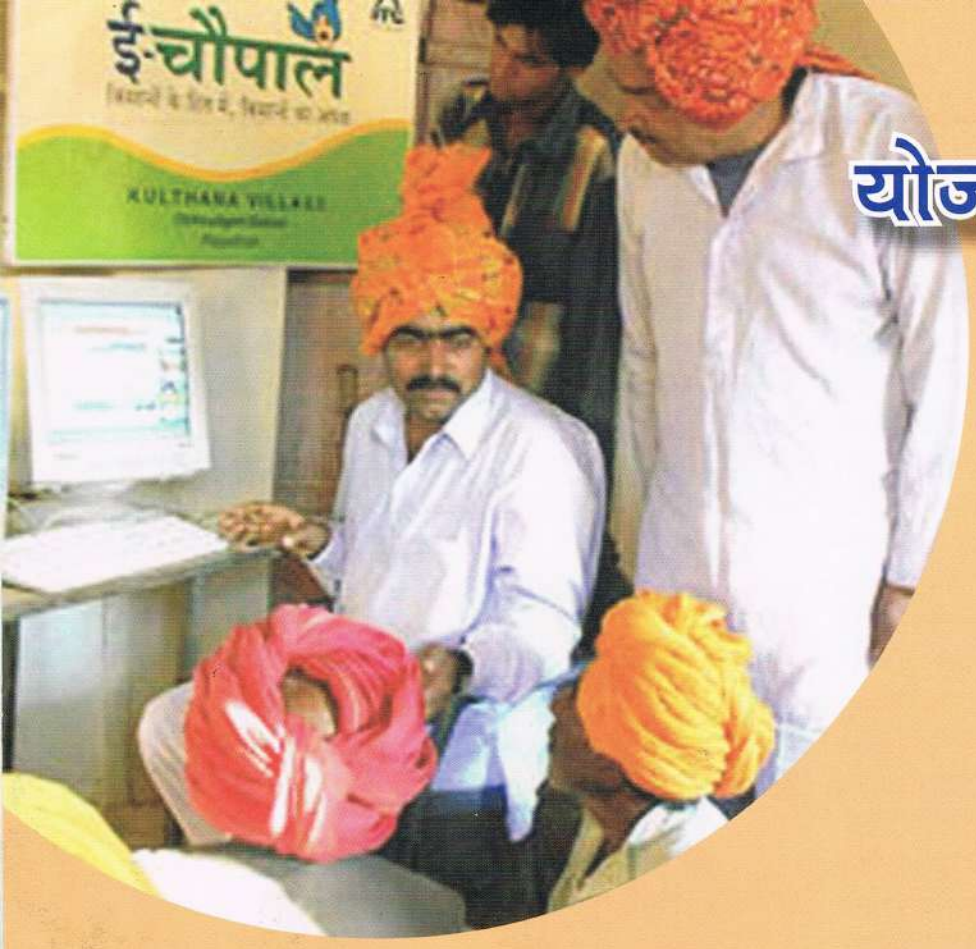

योजना एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन हेतु बेहतर प्रशासनिक रणनीति

डॉ. जगबीर कौशिक

पंचायतों में ई–गवर्नेंस– यह स्वीकृत तथ्य है कि पंचायती राज संस्थाएं स्थानीय स्व सरकार की ऐसी इकाइयां हैं जिन्हें त्रि–स्तरीय शासन की संवैधानिक मान्यता मिली हुई है। भारतीय संविधान की धारा 243 जी के अनुसार इन संस्थाओं को आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय से संबंधित योजनाओं की तैयारी के लिए कार्य करना है। इसके अलावा उन पर संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची में शामिल मुद्दों को लागू करने की भी जिम्मेदारी है। उपर्युक्त कार्यों के अतिरिक्त स्थानीय स्तर पर कर लगाने और इन्हें वसूलने की भी जिम्मेदारी पंचायतों की है। उन्हें केन्द्र और राज्य सरकारों की ओर से दी जाने वाली आर्थिक सहायता का भी प्रबंधन करना होता है।

स्पष्ट है कि अब ग्राम पंचायतें सरकार की महत्वपूर्ण सामाजिक योजनाओं को लागू करने की एक नोडल एजेंसी बन गई हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना (मनरेगा), सर्व शिक्षा अभियान, पिछड़ा क्षेत्र सहायता कोष, स्कूली बच्चों के लिए मध्यान्ह् भोजन योजना (मिड डे मील), एकीकृत बाल विकास योजना (आईसीडीएस) इत्यादि की सफलता में ग्राम पंचायतों की भूमिका बहुत अहम है। पंचायतें अपनी जिम्मेदारियों को बेहतर ढंग से निभा सकें, इसके लिए उनकी क्षमता बढ़ाना आवश्यक है। ई–पंचायत उसी आवश्यक क्षमता को बढ़ाने के उपायों में से एक है।

केन्द्रीय मंत्रालयों, राज्य के विकास से जुड़े विभागों, नागरिकों और पंचायतों की आवश्यकताओं और उससे जुड़ी सूचनाओं को एकत्रित करने के लिए पंचायती राज मंत्रालय ने सभी राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों में इस बारे में एक व्यापक अध्ययन कराने की मंजूरी दी है। इसके बाद सभी राज्यों की पंचायतों में कम्प्यूटर प्रौद्योगिकी युग आरंभ करने के लिए बिजनेस प्रोसेसिंग –इंजीनियरिंग–बीपीआर की आवश्यकता पर विस्तृत तौर पर काम किया गया है। सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के लिए आईएसएनए और बीपीआर पर आधारित विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की गई है। चार वर्षों में पूरी होने वाली इस परियोजना पर करीब 6 हजार 989 करोड़ रुपये का खर्च आएगा। मंत्रालय ने 12 मूल सामान्य प्रयोगों की पहचान की है जो पंचायतों के क्रियाकलापों के सभी पहलुओं पर लागू होते हैं। योजना, निगरानी, क्रियान्वयन, लेखा, और सामाजिक लेखा परीक्षण जैसे आंतरिक कार्य व्यवहार से लेकर नागरिक सेवा प्रदान करने तक सभी कार्य इसके तहत आते हैं। विकेंद्रीकृत योजना के लिए पीआरआई एकाउन्टिंग साफ्टवेयर और प्लान्स प्लस साफ्टवेयर पहले से ही परिचालित कर दिए गए हैं। पंचायतों में इनके प्रभावी उपयोग और इसके लिए आवश्यक संसाधन और कुशलकर्मी उपलब्ध कराने के लिए मंत्रालय उन्हें हर संभव सहायता प्रदान कर रहा है। इसका लाभ केंद्रीय मंत्रालयों, राज्यों के सरकारी विभागों, आम लोगों और स्वयं पंचायतों को मिलेगा। ई–पंचायत से अंततः देश में बड़े पैमाने पर कम्प्यूटर प्रौद्योगिकी लागू की जा सकेगी, जिससे समय पर विकास के एजेंडे को पूरा किया जा सकेगा। इस तरह पंचायती राज संस्थाएं आधुनिकता, पारदर्शिता और

कुशलता की प्रतीक बन जाएंगी।

डिजिटल पंचायतें– देश में लगभग ढाई लाख पंचायतें हैं। ये उन गांवों में हैं जहां असली भारत रहता है और जब तक हम गांवों की इस संस्था तक डिजिटल क्रांति को नहीं पहुंचाते, ई–प्रशासन का हमारा सपना अधूरा ही रहेगा। देश में इस वक्त 2,45,525 पंचायत कार्यालय हैं। इनमें 525 जिला पंचायतों के हैं, 6,299 ब्लॉक पंचायतों के हैं और 2,38,644 ग्राम पंचायतों के कार्यालय हैं। पंचायती राज मंत्रालय के आंकड़ों के हिसाब से इनमें से सिर्फ 58,291 के पास ही कंप्यूटर हैं। झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश में किसी भी स्तर पर एक भी कंप्यूटर नहीं है। यह ठीक–ठीक पता नहीं है कि इनमें से कितने कंप्यूटर वास्तव में काम करते हैं। पंचायत के लोगों से बात करने पर यही जानकारी मिलती है कि इनमें से ज्यादातर या तो काम करते ही नहीं या वहां कोई ऐसा है ही नहीं, जो इन्हें चला सके।

डिजिटल एम्पावरमेंट फाउंडेशन और भारतीय नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ने इसके लिए एक डिजिटल पंचायत परियोजना बनाई है, जो देश के इस डिजिटल डिवाइड को खत्म कर सकती है। पिछले तीन साल से यह कोशिश हो रही है कि हर पंचायत की एक अपनी वेबसाइट बने, इनसे जुड़े लोगों के ई–मेल एड्रेस बनें और हर 20–25 पंचायतों के बीच एक डिजिटल पंचायत केंद्र बने जहां जाकर पंचायत के लोग डिजिटल संसाधनों तक पहुंच सकें, समुदाय की जानकारी हासिल कर सकें, खत–किताबत कर सकें। लेकिन ये डिजिटल पंचायतें उसी सूरत में चल सकती हैं या चलती रह सकती हैं, जब उनका कामकाज ऐसे गैर–सरकारी संगठनों यानी एनजीओ के हाथ में हो, जिनके पास इस काम का अनुभव हो और जिनका इन पंचायतों पर कुछ असर हो। ऐसे एनजीओ को ढूंढना और उन्हें अपने लोगों व संसाधनों को इस काम में लगाने के लिए तैयार करना आसान काम नहीं है। लेकिन इसका कोई विकल्प नहीं है क्योंकि पंचायत से जुड़े ज्यादातर लोगों का शिक्षा–स्तर काफी कम है।

यदि आप एक हजार पंचायत प्रतिनिधियों से बात करें तो इनमें से ज्यादातर ने मोबाइल के अलावा किसी डिजिटल उपकरण का कभी इस्तेमाल नहीं किया। हालांकि वे यह बात कहते हैं कि वे कंप्यूटर और इंटरनेट सीखना चाहते हैं लेकिन प्रशिक्षण के मौके पर वे गायब हो जाते हैं। वे सब वेबसाइट चाहते हैं, लेकिन वे इसके लिए सामग्री जमा करने से ज्यादा कोई मदद नहीं कर सकते।

इन सारी बाधाओं के बावजूद पंचायत हमारे प्रशासन की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है। शिक्षा से लेकर कृषि और गरीबी उन्मूलन तक विकास की 29 ऐसी योजनाएं हैं, जिन्हें लागू करने के लिए हम पूरी तरह से पंचायतों पर निर्भर हैं। इसलिए ऐसा तरीका निकालना जरूरी है, जिससे ये योजनाएं ठीक से और पूरी ईमानदारी से लागू हो सकें और समय पर उनके नतीजे मिल सकें।

विकेन्द्रित योजना– सरकार ने योजना प्रक्रिया को मजबूत और विकेंद्रीकृत करने के लिए कई प्रयास किए हैं, ताकि योजना कार्यों में विकास निधि के खर्च के प्रभावी परिणाम निकल सकें। हालांकि यह प्रयास ज्यादा लाभकारी नहीं रहे हैं। इनके कुछ कारण हैं जैसे हर स्कीम के लिए अलग से योजना बनाई जाती है जिससे निधि के अभिसरण और क्षेत्रीय एकीकरण में कमी आती है। योजना को पारंपरिक रूप से जिला स्तर पर बनाया गया, लेकिन आम लोगों तक इसकी पहुंच न होने से योजनाओं में उनकी जरूरतें और आकांक्षाएं नहीं झलक पाती, योजना खर्च और वास्तविकता में हुए व्यय के बीच सही संयोजकता नहीं होती तथा स्थानीय सरकारों के बीच कोई तालमेल नहीं बैठ पाता।

इन समस्याओं से निजात पाने के लिए योजना आयोग ने 2007 में दिशा–निर्देश जारी किए थे जिसमें यह आदेश दिया गया था कि 11वीं पंचवर्षीय योजना से शहरी और ग्रामीण स्थानीय सरकारों की सभी योजनाओं को विकेंद्रीकृत ढंग से

विकास की धारा जबसे गांवों की तरफ बहने लगी है तब से मुखिया का स्थान ग्रामीण जनों द्वारा चुने गए प्रधान ने ले लिया है और प्रधान के साथ ही सदस्यों का चुनाव भी होने लगा। भारत सरकार की पहल पर ग्रामीण विकास के लिए सभी को साथ लेकर चलने के क्रम में पंचायती राज की अवधारणा अत्यन्त कारगर सिद्ध हुई। अब तो गांवों के विकास में योगदान देने के लिए भारी–भरकम वेतन वाली नौकरियों से त्यागपत्र देकर युवा वर्ग भी आगे आ रहा है। राजस्थान में राजावत परिवार की युवती ने तो ग्रामीण विकास के मायने ही बदल कर रख दिए और यह युवती आज युवा पीढ़ी का रोल मॉडल बन गई है। लेकिन समाज को जोड़े रखना ही विकास के लिए पर्याप्त नहीं होता। केन्द्र एवं राज्य सरकारें ग्रामीण विकास के लिए अनेक नीतियों और कार्यक्रमों को क्रियान्वित करती हैं। इनके माध्यम से गांवों की पंचायतें अपनी प्रशासनिक दक्षता द्वारा गांवों की तस्वीर ही बदल देती हैं।

बनाया जाएगा। सूचना और संचार की क्षमता को पहचानते हुए पंचायती राज मंत्रालय ने राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के साथ मिलकर योजना प्रक्रिया को सरल और मजबूत बनाने के लिए 'प्लान प्लस' नाम से एक सॉफ्टवेयर बनाया है। 'प्लान प्लस' एक बहुत ही सरल और आसानी से प्रयोग होने वाला सॉफ्टेवयर है जिसका अंतराफलक स्थानीय भाषा में है जोकि जिला योजनाओं को सभी सहभागी एजेंसियों के बीच संवादात्मक कार्य के जरिए सरल बनाता है। सॉफ्टवेयर की मुख्य विशेषताएं हैं:

- प्लान प्लस विभिन्न स्कीमों से कार्य में उपयोगी निधि को सही ढंग से इस्तेमाल में लाता है जिससे एक तरफ उपलब्ध निधि के सही उपयोग को सुनिश्चित किया जा सकता है और दूसरी ओर निधि की कमी के कारण अन्य महत्वपूर्ण कार्यों में बाधा नहीं आती। प्लान प्लस क्षेत्रीय एकीकरण करके आयोजक को पृथक कार्य करने की बजाए परियोजना के बारे में शुरू से अंत तक सोचने के लिए प्रेरित करता है। प्लान प्लस पंचायत की उच्च श्रेणी द्वारा निचली श्रेणी के कार्यों को संयोजित करने की सुविधा प्रदान करता है फलस्वरूप लम्बवत एकीकरण को सरल बनाता है। यह बड़ी परियोजना जैसे विषय को भी सम्मिलित करता है, जिसमें दो या दो से अधिक निकाय (ग्रामीण के साथ–साथ शहरी) साझा हित वाले कार्यों को एक साथ मिलकर कर सकते हैं। यह योजना के निर्माण–मूल्यांकन–सुधार–अंतिम रूप को राज्य विशेष की जरूरतों के अनुरूप बनाता है।
- सॉफ्टवेयर, योजना के लिए सामान्य योजना के अतिरिक्त प्लान और स्कीम वाइस प्लान सहित विभिन्न विचारों को बढ़ावा देता है। एक समेकित जिला योजना बनाने के लिए प्लान प्लस शहरी और ग्रामीण स्थानीय सरकारों की योजनाओं को अभिमुख और एकीकृत करता है। राज्य और केंद्र की तैयारी को सरल बनाने के लिए प्लान प्लस का आसानी से विस्तार किया जा सकता है।
- आयोजक और जिला योजना समिति की मदद के लिए कई ग्राफिकल रिपोर्ट बनाई जाती हैं ताकि योजना के निवेश पर विचार किया जा सके। इससे यह सुनिश्चित करने में मदद मिलती है कि योजना में किसी विशेष क्षेत्र के लिए पक्षपात नहीं किया जा रहा। योजना प्रक्रिया में विभिन्न राज्यों के अनुभवों और क्षमताओं के विविध स्तरों को देखते हुए सॉफ्टवेयर कार्य को बहुत सरल बनाता है ताकि राज्य अपनी क्षमता के अनुसार कार्य कर सकें।
- सॉफ्टवेयर राज्यों की स्थानीय भाषा पर आधारित होता है ताकि स्थानीय निकाय अपनी भाषा में काम कर सकें। योजना प्रक्रिया के हर स्तर पर योजना के निरीक्षण के लिए उसे आम लोगों के बीच रखा जाता है जिससे योजना तैयार करने में पारदर्शिता और लोगों की सहभागिता को सम्मिलित किया जा सके। पर्याप्त प्रमाणीकरण के साथ सॉफ्टवेयर वेब आधारित हैं तथा 24×7 आधार पर उपलब्ध रहता है। देश के नागरिक, पंचायती राज संस्थान, नगरपालिकाएं, जिला योजना समितियां, वित्तीय संस्थान और राज्य सरकार विभाग सॉफ्टवेयर के उपभोक्ता हैं। प्लान प्लस का चार जिलों जैसे वीरभूम (पश्चिम बंगाल), पलक्कड़ (केरल), गुलबर्ग (कर्नाटक), और धमतरी (छत्तीसगढ़) में निरीक्षण किया गया था। सॉफ्टवेयर की अब शुरुआत हो चुकी है और पिछड़ा क्षेत्र अनुदान राशि के अंर्तगत आने वाले देश के 250 जिलों में उपलब्ध उपभोक्ताओं को इसका प्रशिक्षण दिया जा रहा है।
- प्लान प्लस वेब आधारित है। यह इस्तेमाल करने में बहुत ही आसान है और यूनिकोड फोंट के इस्तेमाल से स्थानीय भाषा में काम करने में मदद करता है। इंटरनेट एक्सप्लोर 6.0 या अधिक या मोजिला फायरफॉक्स 2.0.0.1. के इस्तेमाल से इस सॉफ्टवेयर को एक्सेस किया जा सकता है। सॉफ्टवेयर के ऑनलाइन (http:èèplanningonline.gov.in) और ऑफलाइन दोनों प्रारूप उपलब्ध हैं।

लैब टू लैण्ड कार्यक्रम– ग्रामीण समुदाय के विकास पर कार्यक्रमों का सीधा प्रभाव पड़ता है। ग्रामीण विकास, कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, जल, वन और पर्यावरण, स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, उद्योग, महिलाओं, बच्चों, अनुसूचित जाति/जनजाति और शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के विकास, ग्रामीण विद्युतीकरण, भूमि अभिलेखों का प्रबंधन और ऐसे कई क्षेत्रों में केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा अनेक कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इन कार्यक्रमों में से ज्यादातर जिला कलेक्टरों और प्रखंड विकास अधिकारियों की देखरेख में कार्यान्वित किए जा रहे हैं। इन कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में सरकारी विभागों, गैर–सरकारी संगठनों और पंचायती राज संस्थाओं जैसे कई अंशधारक बड़ी संख्या में शामिल हैं। इन कार्यक्रमों की सफलता अंशधारकों की प्रतिबद्धता, उचित ज्ञान, कार्यक्रमों की समझ और इनके बीच परस्पर सहयोग पर निर्भर करती है।

नेतृत्व के निर्माण, ज्ञान के प्रसार और उत्साहजनक पहलों के माध्यम से कार्यक्रमों की प्रभावशीलता बढ़ाने की काफी गुंजाइश है। इस क्रम में ग्रामीण विकास मंत्रालय ने लैब टू लैण्ड नाम से एक महत्वाकांक्षी पहल शुरू की है जिसका लक्ष्य अंशधारकों के सहयोग तथा काम करने वालों के व्यावहारिक प्रशिक्षण के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यक्रम कार्यान्वयन के प्रभाव में वृद्धि करना है।

उद्देश्य

- नीति निर्माताओं, क्रियान्वयनकर्ताओं, वित्तीय संस्थानों, शैक्षिक संस्थानों, गैर–सरकारी संगठनों, विशेषज्ञों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों समेत सभी अंशधारकों को मिलाकर ज्ञान और

नवाचार आधारित विकास को बढ़ावा देना।

- ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यान्वयन के लिए तैयार सभी कार्यक्रमों (रोजगार, आय, स्वास्थ्य, शिक्षा, महिलाओं, बच्चों, खाद्य सुरक्षा, कृषि, जल, वन, भूमि, बिजली, सड़कों, रिकॉर्ड आदि से संबंधित) के उद्देश्यों की प्राप्ति के बारे में अंशधारकों के बीच एक पूरी समझ विकसित करना।
- एक ऐसी विकास प्रक्रिया का सृजन जो आम लोगों विशेष रूप से गरीब, अनुसूचित जातियों/जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, अल्पसंख्यकों और महिलाओं के जीवन की गुणवत्ता में व्यापक सुधार करे।
- तीव्र और अधिक समावेशी विकास पर ध्यान देना।

लैब टू लैण्ड पहल का लक्ष्य अंशधारकों को ज्ञान एवं नवाचार समुदाय के रूप में संगठित करना है जो ग्रामीण क्षेत्रों में स्थायी और समावेशी विकास के लिए चल रहे विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों के उद्देश्यों की सफलता के साथ मिलकर काम कर सकें। इस पहल के प्रारंभिक चरण में इस प्रयोजन के लिए प्रत्येक राज्य में एक प्रखंड की पहचान की गई है जिसमें कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में शामिल अंशधारकों को चिन्हित किया जाएगा और उनके हितों और क्षमताओं का आकलन किया जाएगा। राज्यों, जिलों और प्रखंडों में जिला कलेक्टरों तथा प्रखंड विकास अधिकारियों के नेतृत्व में सभी अंशधारकों को शामिल करने के लिए एक कार्यक्रम तैयार किया जाएगा। इसके माध्यम से पता लगाया जाएगा कि इच्छित परिणामों और संकेतकों तक पहुंचने के लिए कैसे कदम उठाना जरूरी है। इससे कार्यान्वयन के लिए कार्ययोजना का गठन होगा, जिसकी मदद से कार्यान्वयन को मूर्त रूप दिया जा सकेगा। कार्ययोजना अंततः लोक संस्थाओं के विकास, प्राकृतिक संसाधनों के बेहतर प्रबंधन, बुनियादी ढांचे का विकास, ग्रामीण उत्पादों के बेहतर विपणन और ग्रामीण आय का सतत प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए काम करेगी।

इस पहल के तहत देश भर के 28 राज्यों के 43 जिलों का चयन किया गया है जिनमें प्रायोगिक आधार पर प्रशिक्षण के माध्यम से कार्यक्रम कार्यान्वयन के प्रभाव क्षेत्र का विस्तार किया जाएगा। पहल का लक्ष्य ज्ञान और नवाचार के स्तर पर एक परस्पर सहयोगी समुदाय का निर्माण करना और ग्रामीण क्षेत्र की सभी योजनाओं (ग्रामीण विकास, कृषि, वाटरशेड, पर्यावरण, आय सृजन, रोजगार, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वच्छता, पेयजल, विद्युतीकरण, खाद्य सुरक्षा, भूमि अभिलेख, उद्योग, सिंचाई, नागरिक अधिकार पत्र, शिकायत निवारण तंत्र आदि) के लक्ष्यों की संपूर्ण प्राप्ति प्रदर्शित करना है।

विभिन्न अंशधारकों के बीच एक साझा समझ बनाने तथा ज्ञान और नवाचार आधारित समुदाय के गठन के लिए प्रखंड और जिला–स्तरों पर प्रशिक्षण कार्यक्रम जिले में आयोजित किया जाएगा। अंशधारकों को विभिन्न कार्यक्रमों के तहत संसाधनों की उपलब्धता से अवगत कराया जाएगा और यह भी बताया जाएगा कि किस तरह इन संसाधनों का अधिकतम उपयोग किया जा सकता है। जोर इस बात पर दिया जाएगा कि निर्वाचित पंचायती राज प्रतिनिधियों, सामुदायिक संसाधनों के प्रयोग से संबद्ध व्यक्तियों, स्वयंसहायता समूहों, युवा क्लबों, महिला मंडलों, उपयोगकर्ता समूहों, वाटरशेड समितियों, जेएफएमसी सदस्यों और युवा स्वयंसेवकों जैसे अन्य लोगों तथा संस्थानों के ज्ञान तथा प्रबंधन कौशल में सुधार हो। नवीनतम पहलों और कार्यक्रम प्रबंधन में प्रयोग में लायी जा रही सर्वोत्तम व्यवस्थाओं की जानकारी सभी हितधारकों के साथ साझा की जाएंगी। लोगों में जागरुकता बढ़ाने के लिए सामुदायिक रेडियो के साथ अन्य संचार माध्यमों, विशेष रूप से पुस्तिकाएं, पर्चे, पत्रिकाओं, रेडियो, टीवी, लोकगीत, नृत्य, नाटक, कठपुतली, लघु समाचार–पत्रों आदि के उपयोग को बढ़ावा दिया जाएगा। सरकार के कार्यक्रमों के प्रति समुदाय की समझ और ज्ञान को बढ़ाने के लिए प्रश्नोत्तरी का आयोजन किया जा सकता है। दूरदर्शन और आकाशवाणी के क्षेत्रीय केन्द्रों, क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय और संगीत एवं नाटक प्रभाग सहित सूचना और प्रसारण मंत्रालय की विभिन्न मीडिया इकाइयों से इस कार्यक्रम को लोकप्रिय बनाने के लिए सहयोग मांगा जाएगा।

इस पहल के तहत तैयार कार्ययोजना विभिन्न कार्यक्रमों के लिए उपलब्ध संसाधनों के माध्यम से लागू की जाएगी। एक प्रखंड में प्रशिक्षण कार्यक्रम तीन से चार महीने की अवधि में पूरा

हो जाएगा। कुल कार्यान्वयन अवधि आमतौर पर दो साल की हो सकती है, जिसमें तीन से चार महीने प्रशिक्षण कार्यक्रम के सफल समापन पर खर्च होंगे। जिला प्रशासन द्वारा जिले के अन्य प्रखंडों में इसी तरह की गतिविधियां शुरू की जाएंगी। राज्य सरकार किसी अन्य जिले के अन्य प्रखंड का चयन इस पहल को शुरू करने के लिए कर सकती है। प्रखंड की उपलब्धियां अन्य प्रखंडों में पहल शुरू करने के लिए एक गाइड के रूप में इस्तेमाल की जा सकती हैं। इसके बाद यह उस क्षेत्र में सरकारी कार्यक्रमों का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए लहर पैदा करेगी। उम्मीद की जाती है कि यह पहल राष्ट्रपिता महात्मा गांधी द्वारा प्रणीत ग्राम स्वराज की अवधारणा और इससे जुड़े सपनों को पूरा करने में अहम भूमिका निभाएगी।

ग्रामीण भारत की तस्वीर– अगर ग्रामीण विकास मंत्रालय अपनी योजनाओं को कार्यान्वित कर लेता है तब इंडिया इंक जल्दी ही पंचायतों के साथ कंसेशन एग्रीमेंट कर सकता है। इंडिया इंक यह समझौता ग्रामीण भारत में सात अर्बन सेंटर बनाने के लिए करेगा।

ग्रामीण विकास मंत्रालय जल्द ही प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों से प्रोविजन ऑफ अर्बन अमेनिटीज इन रूरल एरियाज (पूरा) स्कीम के तहत अभिरुचि–पत्र (ईओआई) मंगा सकता है। इसकी कल्पना पूर्व राष्ट्रपति डॉ० ए.पी.जे. अब्दुल कलाम ने की थी। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने बताया कि इसमें रुचि लेने वाली कॉरपोरेट कंपनियों को उनकी पसंद की जगह पर प्रस्तावित अर्बन सेंटरों को बनाने की इजाजत दी जा सकती है।

इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी (आईडीएफसी), इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड (आईएलएंडएफएस) और श्रेय जैसी कोर सेक्टर की कुछ कंपनियों के अलावा आईटीसी और हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसी एफएमसीजी कंपनियों ने पब्लिक–प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) के तहत पंचायतों के साथ काम करने में रुचि दिखाई है। मंत्रालय के मुताबिक भारत में पहली बार इस तरह के प्रोजेक्ट पर काम हो रहा है। पंचायत इसमें छूट देने वाली संस्थाओं से समझौता करेगी, उसे राज्य और केंद्र सरकार का समर्थन मिलेगा। इस तरह से प्राइवेट सेक्टर को ग्रामीण इलाकों में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इन सभी अर्बन सेंटरों को 30,000 से 40,000 की आबादी वाले ग्रामीण इलाकों में बनाया जाएगा। इसमें कई तरह की शहरी सुविधाएं होंगी जिसमें पीने का पानी, सीवरेज, ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जैसी सुविधाएं शामिल हैं।

मंत्रालय ने बताया कि योजना के मुताबिक प्रत्येक अर्बन सेंटर पर करीब 100 करोड़ रुपये खर्च करने की योजना है। इस बजट का 35 फीसदी केंद्रीय अनुदान से हासिल किया जाएगा। बाकी का 55 फीसदी मौजूदा ग्रामीण विकास योजनाओं से और 10 फीसदी कॉरपोरेट सेक्टर से जुटाया जाएगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने अगले तीन साल में इस तरह के प्रोजेक्ट पर खर्च करने के लिए 248 करोड़ रुपये का बजट अलग रखा है। मंत्रालय ने बताया, 'इस काम को शुरुआत में पायलट बेसिस पर छह से सात स्थानों पर शुरू किया जाएगा। प्राइवेट कंपनी का चुनाव और डीपीआर (विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट) को तैयार करने का काम साल के अंत तक पूरा हो जाने की उम्मीद है। अगर यह सफल होता है तो इसे आगे अपनाया जाएगा।'

मंत्रालय ने मॉडल कंसेशन एग्रीमेंट तैयार कर लिया है और प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां पंचायतों के साथ रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल पर काम करेंगी। ग्रामीण पर्यटन, हस्तकला हब जैसे प्रोजेक्ट से निजी कंपनियां राजस्व जुटा सकेंगी। आईएलएंडएफएस के क्लस्टर डेवलपमेंट इनिशिएटिव को देख रहे कंपनी के सीईओ आर.सी.एम. रेड्डी ने कहा कि उनकी कंपनी इस तरह के प्रोजेक्ट के लिए बोली लगाएगी। उन्होंने कहा कि हम पंचायतों के साथ पार्टनरशिप करने को तैयार हैं और यह बड़े ग्रामीण विकास प्रोजेक्ट के साथ जुड़ने की पहल होगी। यह एक सकारात्मक पहल है।

(लेखक मासिक पत्रिका के सहायक संपादक हैं)
ई–मेल : dr.kanshik@rocketmail.com

पाठकों / लेखकों से अनुरोध

आप "कुरुक्षेत्र" पत्रिका के नियमित पाठक / लेखक हैं तो आप जरूर चाहेंगे कि आपके गांव या उसके आसपास आ रहे बदलाव के बारे में सभी लोगों को पता चले। आपके गांव या आसपास जरूर ऐसी कोई महिला / पुरुष या स्वयंसेवी संस्था होगी जिसके बूते पर बदलाव की ब्यार चली हो। सरकारी प्रयासों के चलते भी आपके गांव का कुछ कायापलट तो हुआ ही होगा।

अगर आपके पास ऐसी कोई भी जानकारी है तो आप उसे अपने शब्दों में लिखकर (फोटो सहित) भेजें। लेख छपने पर उसका उचित पारिश्रमिक भी दिया जाएगा। रचना दो प्रतियों में टाइप की हुई हो (kruti dev font 010) और उसके साथ ई–मेल तथा मौलिकता का प्रमाणपत्र संलग्न हो। हमारा पता है – वरिष्ठ संपादक, कुरूक्षेत्र (हिंदी), कमरा नं. 655, 'ए' विंग, निर्माण भवन, ग्रामीण विकास मंत्रालय, नई दिल्ली–110011, आप हमें लेख ई–मेल भी कर सकते हैं।
ई–मेल : kuru.hindi@gmail.com

तिल की उन्नत खेती

डॉ. वीरेन्द्र कुमार एवं वाई. एस. राठी

तिल एक खाद्य पोषक, भोजन व खाने योग्य तेल, स्वास्थ्यवर्धक व दवाइयों के रूप में उपयोगी है। तिल का तेल पौष्टिक, औषधीय व श्रृंगारिक प्रसाधनों व भोजन में गुणवत्ता की दृष्टि से अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसका प्रयोग परफ्यूम तेल बनाने में भी किया जाता है। तेल निकालने के बाद बची खली का प्रयोग खाने के लिए किया जाता है। तिल की खली का प्रयोग दुधारू पशुओं को खिलाने में भी किया जाता है। खली का प्रयोग खाद के रूप में भी किया जा सकता है। इसकी खली में 6.0–6.2 प्रतिशत नाइट्रोजन, 2.0–2.2 प्रतिशत फॉस्फोरस और 1.0–1.2 प्रतिशत पोटाश पाया जाता है। तिल की हाल के वर्षों में अर्न्तराष्ट्रीय मांग एवं व्यापार बढ़ा है। प्रस्तुत लेख में दी गयी आधुनिक नवीनतम तकनीकी तथा उन्नत सस्य क्रियाओं को अपनाकर किसान भाई तिल की खेती से अधिकतम उपज ले सकते हैं।

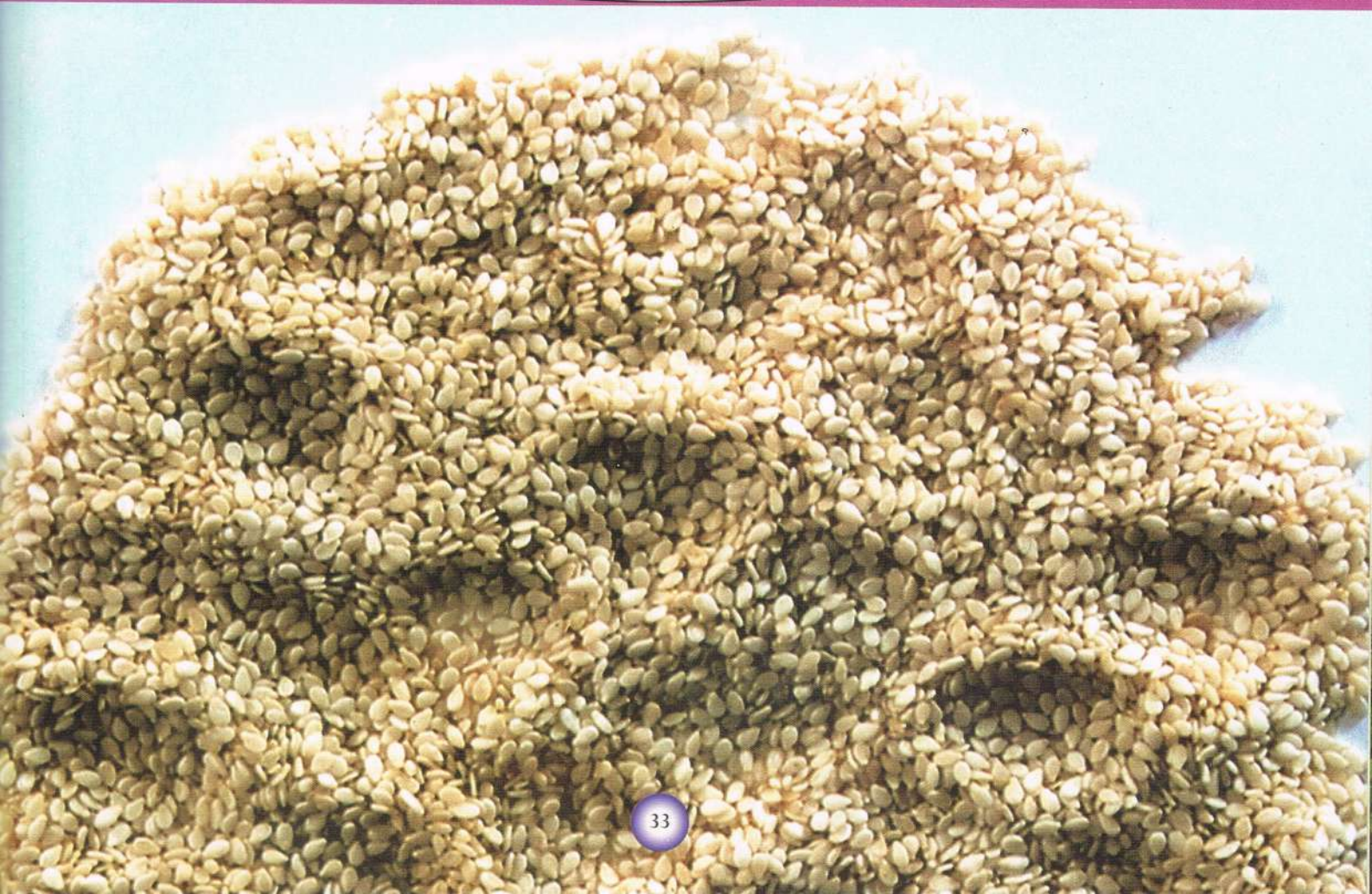

तिलहनी फसलों की रानी 'तिल' सबसे प्राचीन तिलहनी फसल है, भारत में तिल की फसल की खेती लगभग 5000 वर्षों से की जाती है। संसार के कुल तिल क्षेत्रफल का 36.3 प्रतिशत क्षेत्रफल तथा 25.8 प्रतिशत उत्पादन एवं सबसे अधिक 40 प्रतिशत निर्यात भारत से होता है। भारत में तिल लगभग 1.76 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र में उगायी जाती है, जबकि इसका कुल उत्पादन और उत्पादकता क्रमशः 0.60 मिलियन टन और 363 कि.ग्रा. प्रति हेक्टेयर है। विश्व में तिल की औसत उत्पादकता 465 कि.ग्रा. प्रति हेक्टेयर है। संसार में तिल उत्पादन में भारत का चीन के बाद दूसरा स्थान है। भारत के तिल उत्पादक राज्यों में राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, आन्ध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक और उड़ीसा प्रमुख है। यद्यपि भारत तिल के उत्पादन और निर्यात में अग्रणी देश है। परन्तु उचित फसल प्रबन्धन और नवीनतम प्रौद्योगिकियों को न अपनाने के कारण हमारे देश में तिल की उत्पादकता बहुत कम है। भारत में पश्चिम बंगाल में तिल की उत्पादकता सर्वाधिक है।

तिल उत्पादन कम होने के प्रमुख कारण

- तिल की बुवाई हेतु अनुपजाऊ तथा असिंचित क्षेत्रों का चुनाव करना।
- तिल की खेती के लिए नवीनतम उन्नत सस्य तकनीकियों का ज्ञान न होना।
- तिल के स्थान पर अधिक लाभ देने वाली फसलों जैसे गन्ना, धान, गेहूं इत्यादि को तिल उगाने वाले क्षेत्रों में बोना।
- तिल की खेती में रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग को नजरअंदाज करना व फसल की कम देखभाल करना।
- तिल की अधिक उपज देने वाली उन्नतशील/संकर किस्मों की कमी और उनकी उपलब्धता का अभाव होना।
- समय पर बीमारियों और कीट पतंगों के प्रकोप की रोकथाम न होना।
- खरीफ ऋतु की फसल में खरपतवारों की रोकथाम उचित समय पर न होना।
- सामान्यतया तिल की खेती वर्षा के भरोसे करना।
- फसल की समय पर कटाई, मड़ाई व ओसाई करना।
- तिल की फसल को अंतःफसल के रूप में बोना।
- भंडारण तथा बीज रखरखाव की उचित जानकारी का अभाव होना।
- बीजों से तेल निकालने हेतु उन्नतशील/आधुनिक मशीनों की कमी होना।
- उपज का उचित बाजार मूल्य न मिल पाना इत्यादि।

तिल एक कम अवधि वाली और सूखा सहन करने वाली फसल है। सोयाबीन, सरसों, मूंगफली और सूरजमुखी के बाद तिल भारत की पांचवीं महत्वपूर्ण तिलहनी फसल है। यह जैविक व अजैविक कारकों के प्रति भी संवेदनशील है। साधारणतया तिल की खेती कम उपजाऊ और शुष्क क्षेत्रों में बिना खाद व उर्वरकों के की जाती है। यह एक उच्च जोखिम वाली फसल है क्योंकि इसकी उत्पादकता वर्षा के वितरण और अन्य जलवायुनीय कारकों से अत्यधिक प्रभावित होती है। यह पेड़ेलिएसी कुल का एक वर्षीय पौधा है। तिलहनी फसलों में तिल का महत्वपूर्ण स्थान है। तिल खरीफ ऋतु में उगायी जाने वाली एक महत्वपूर्ण तिलहनी फसल है। यह कम लागत में अधिक उत्पादन देने वाली फसल मानी जाती है।

तिल के बीजों में सामान्यतः 45–50 प्रतिशत तेल तथा 18–20 प्रतिशत प्रोटीन पायी जाती है। तिल के 100 ग्राम दानों से 592 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। तिल के कुल उत्पादन का 78 प्रतिशत तेल निकालने में, 2.5 प्रतिशत बीज के लिए तथा शेष का प्रयोग खाद्य पदार्थों व धार्मिक कार्यों में किया जाता है। कुल तेल उत्पादन का 73 प्रतिशत खाने के रूप में, 8.3 प्रतिशत साबुन उद्योग में तथा 4.2 प्रतिशत अन्य उद्योगों जैसे रंग–रोगन, दवाईयां तथा कीटनाशी बनाने में किया जाता है। तिल के दानों को भूनकर तथा चीनी के साथ मिलाकर विभिन्न व्यंजन बनाए जाते हैं। तिल का तेल दक्षिण भारत में भोजन बनाने में प्रमुखतया से प्रयोग होता है। यह वास्तव में गरीबों के लिए 'घी' का विकल्प है।

उन्नतशील प्रजातियां

तिल की उन्नतशील प्रजातियों का चुनाव स्थानीय प्रजातियों की अपेक्षा 20–25 प्रतिशत अधिक उपज दिला सकता है क्योंकि ये उन्नत किस्में न केवल अधिक उपज देती हैं बल्कि ये विभिन्न रोगों के प्रति प्रतिरोधी भी हैं। तिल की उन्नतशील प्रजातियों की जानकारी निम्न प्रकार है। स्वेता, टी.के.एस.–65, प्राची, जी.टी.–10, वी.आर.आई.एस.वी.–1, टी.एस.एस.–6, आर.टी.–127, गुजरात तिल–3, गुजरात तिल–2, राजस्थान तिल–46, राजस्थान तिल–125, टी.के.जी–22, टी.के.जी.–55, जे.टी.एस.–8, शेखर,

प्रताप, टी–12, टी–22, टी–4, हरियाणा तिल नं.–1, फूले तिल नं.–1, पंजाब तिल नं.–1, ग्वालियर–5, विनायक, जी–35, एन–32, माधवी, गौरी, सावित्री, रामा तिलोत्मा (बी–67), आर.टी. 54 (एन.सी.), गुजरात तिल नं.–1, गुजरात तिल नं.–10, पी.के.डी.एस.–64, टी.के.जी.–353, पी.के.डी. एस.–11 इत्यादि। उपरोक्त प्रजातियों की उत्पादन क्षमता 800 से 1000 कि.ग्रा./हेक्टेयर पायी जाती है। साथ ही ये रोगों व कीटों के प्रति प्रतिरोधी भी हैं। तिल की सफेद और काले व भूरे रंग के बीजों वाली दो प्रजातियां होती हैं। सफेद दानों वाली प्रजातियों में काले–भूरे दानों वाली प्रजातियों की अपेक्षा अधिक तेल पाया जाता है। सफेद दानों वाली प्रजातियों में पतला छिलका होने के कारण भंडारण के समय कीटों द्वारा अधिक नुकसान होता है। जबकि काले दाने वाली प्रजातियों को लंबे समय तक भंडारित किया जा सकता है। निर्यात के संदर्भ में यूरोपीय देशों द्वारा सफेद रंग की तिल को प्राथमिकता प्रदान की जाती है। काला व भूरे रंग के बीजों वाला तिल भारत में उगाया जाता है। जिसे मुख्यता एशियन राष्ट्रों व ओसियान द्वारा प्राथमिकता दी जाती है।

जलवायु

तिल की खेती पर जलवायु का विशेष प्रभाव पड़ता है। अगर जलवायु अनुकूल नहीं है तो पैदावार के साथ–साथ तेल की मात्रा और गुणवत्ता दोनों पर ही प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तिल मुख्य रूप से गर्म क्षेत्रों की फसल है। यह मैदानों और 1250 मीटर ऊंचाई वाले क्षेत्रों में आसानी से उगायी जा सकती है। अधिकतम उत्पादन हेतु इसे वृद्धि के समय मध्यम गर्म जलवायु की आवश्यकता होती है। अंकुरण, प्रारंभिक वृद्धि और फूल बनने के समय 25–27 सेंटीग्रेड तापमान आवश्यक है। फूल बनने के समय कम तापमान के कारण परिपक्व होने से पहले ही गिर जाते हैं। तिल अत्यधिक लगातार वर्षा और जलभराव के प्रति संवेदनशील है। ऐसे क्षेत्र जहां पर पाला और ओला पड़ने की संभावना रहती है, वहां पर उसकी खेती संभव नहीं है क्योंकि इससे पौधों की बढ़वार रुक जाती है तथा बीजों में तेल की मात्रा भी प्रभावित होती है।

मृदा

तिल की खेती विभिन्न प्रकार की मृदाओं में आसानी से की जा सकती है। परन्तु समुचित जल निकास वाली दोमट व बलुई दोमट भूमि जिसका पी.एच.5.5 से 8.0 तक हो तथा पर्याप्त जलधारण क्षमता वाली मृदाएं तिल की खेती के लिए उपयुक्त समझी जाती है। अत्यधिक क्षारीय एवं अम्लीय मृदाएं इसके लिए उपयुक्त नहीं है। इसकी खेती के लिए उचित जलनिकास वाली मृदा का ही चुनाव करें। जहां पानी भरता हो, ऐसी मृदा इसके लिए बिल्कुल उपयुक्त नहीं है। इसे उचित जलनिकास वाली भारी मटियार दोमट मृदाओं में भी आसानी से उगाया जा सकता है।

खेती की तैयारी

चूंकि तिल के बीज बहुत छोटे होते हैं, अतः इसके अच्छे अंकुरण के लिए खेत बहुत अच्छी तरह तैयार होना चाहिए। तिल की खेती के लिए मिट्टी पलटने वाले हल से गहरी जुताई कर मिट्टी को भुरभुरा व चूर्णित बना लें, ताकि बीजों के अंकुरण के लिए उपयुक्त वातावरण बन सके। इसके लिए दो जुताइयां हैरो से करें। अन्तिम जुताई के बाद पाटा लगाकर खेत को समतल कर लें। अन्तिम जुताई से पूर्व खेत में 10–15 टन प्रति हेक्टेयर की दर से अच्छी तरह सड़ी हुई गोबर की खाद खेत में मिलाएं। दीमक का प्रकोप कम करने के लिए खेत की पूरी सफाई करें जैसे सूखे डण्ठल हटाना, कंपोस्ट या गोबर की कच्ची खाद का प्रयोग न करना। बुवाई के समय खेत में पर्याप्त नमी होनी चाहिए जिससे बीजों का अकुरण शीघ्र व एक समान अंकुरण हो सके।

बुवाई का समय

उत्तर भारत में खरीफ ऋतु में तिल की बुवाई का उचित समय जून के अन्तिम सप्ताह से लेकर जुलाई के प्रथम सप्ताह के मध्य है। इसके अंकुरण के लिए 25–27 सेंटीग्रेड तापमान उचित माना जाता है। देरी से बुवाई करने पर मानसून की वर्षा से फसल को हानि होने की संभावना रहती है। साथ ही रबी की बुवाई भी समय पर नहीं हो सकेगी। जबकि उत्तर भारत में ग्रीष्मकालीन तिल की बुवाई हेतु 15 फरवरी से 10 मार्च के बीच का समय उपयुक्त है। समय पर बुवाई करने से न केवल दाना व भूसा की उपज में वृद्धि होती है बल्कि बीजों में तेल की मात्रा

भी बढ़ती है। साथ ही सही समय पर बुवाई करने से फसल की वृद्धि एवं विकास के लिए उपयुक्त वातावरण मिल जाता है। दक्षिण भारत में तिल की बुवाई खरीफ ऋतु में मई से जुलाई तक जबकि रबी ऋतु की बुवाई अक्टूबर से नवम्बर के मध्य की जाती है। उत्तर भारत के जिन क्षेत्रों में फाइलोड़ी नामक बीमारी फसल में लगती है उन क्षेत्रों में तिल की बुवाई 15 जुलाई के बाद करनी चाहिए। ऐसा करने से तिल की फसल को बीमारी से बचाया जा सकता है।

बुवाई की विधि

तिल की बुवाई हमेशा पंक्तियों में करनी चाहिए। खरीफ ऋतु में कतार से कतार की दूरी 45 सें.मी. एवं पौधे से पौधे की दूरी 15 सें.मी. रखनी चाहिए। जबकि ग्रीष्मकालीन फसल के लिए कतार से कतार की दूरी 30 सें.मी. तथा कतारों में पौधे से पौधे की दूरी 10 सें.मी. रखनी चाहिए। बीजों को 2–3 सें.मी. से ज्यादा गहराई पर नहीं बोना चाहिए। बुवाई के समय खेत में पर्याप्त नमी होनी चाहिए। यदि वर्षा आगमन से पहले बुवाई करनी है तो पलेवा करके ही बोएं। गर्मी की फसल में पौधों की बढ़वार अधिक नहीं होने के कारण कतार से कतार की दूरी कम रखते हैं।

बीज एवं बीजोपचार

खरीफ ऋतु में एक हेक्टेयर क्षेत्र में बुवाई हेतु 3–4 कि.ग्रा. बीज पर्याप्त होता है। जबकि ग्रीष्मकालीन व रबी फसल के लिए 5 कि.ग्रा. बीज प्रति हेक्टेयर की दर से बोना चाहिए। स्वस्थ व साफ–सुथरे बीज का ही चुनाव करें। बीज कीट–व्याधियों से संक्रमित नहीं होना चाहिए। अधिक पुराने और भंडारित बीजों की जीवनक्षमता तेजी से कम होती जाती है। अतः इनका प्रयोग नहीं करना चाहिए। तिल के बीज का आकार बहुत छोटा होता है। अतः खेत में बीज के एक समान वितरण हेतु बुवाई से पूर्व बीज को सूखी मिट्टी या बालू या गोबर की खाद के साथ मिला लेना चाहिए। बीज एवं पौधों को बीज तथा मृदाजनित बीमारियों से बचाव हेतु बुवाई पूर्व 2 ग्राम बॉबिस्टीन या थाइरम फफूंदीनाशक से प्रति कि.ग्रा. बीज की दर से उपचारित करना चाहिए। बीजों को दीमक से बचाव हेतु क्लोरोपाइरीफॉस 20 ई.सी. 125 मि.ली. प्रति 5 कि.ग्रा. बीज दर से उपचारित करें। इसके बाद बीजों को फॉस्फेट विलयशील जीवाणु (पी.एस.बी.) से भी उपचारित करें। इसके लिए 1.0 से 105 लीटर पानी में 250 ग्राम गुड़ घोल लें। घोल को ठंडा होने पर इसमें पी.एस.बी. कल्चर के 200 ग्राम के तीन पैकेट अच्छी तरह मिलाएं। इसके बाद उपरोक्त घोल में बीजों को अच्छी तरह मिलाएं, जिससे बीजों पर कल्चर का लेप भली–भांति चिपक जाएं। उपचारित बीजों को छाया में सुखाकर तुरन्त बुवाई कर दें। उपरोक्त जीवाणु खाद सभी कृषि विश्वविद्यालयों के सूक्ष्म जीव विभागों से आसानी से प्राप्त किए जा सकते हैं। इसके प्रयोग से तिल की खेती में उत्पादन लागत में कमी की जा सकती है। साथ ही फॉस्फोरस उर्वरकों के प्रयोग में 10–20 प्रतिशत तक बचत की जा सकती है।

खाद एवं उर्वरक

तिल की फसल जिस खेत में ली जा रही है, उसकी मिट्टी की जांच अवश्य करा लें। सिफारिश की गई उर्वरकों की मात्रा को ही फसल में दें। यदि मिट्टी की जांच संभव न हो तो तिल के लिए प्रति हेक्टेयर 60 कि.ग्रा. नाइट्रोजन/40 कि.ग्रा. फॉस्फोरस व 30 कि.ग्रा. पोटाश की आवश्यकता होती है। परन्तु किसान भाइयों द्वारा इसकी खेती अपेक्षाकृत कम उपजाऊ भूमि में बिना उर्वरकों के ही प्रयोग की जाती है जिसके परिणामस्वरूप तिल की अपेक्षित उपज नहीं मिल पाती है। सामान्यतः तिल की खेती पूर्ववर्ती फसलों द्वारा अवशेष उर्वरता के भरोसे की जाती है। फॉस्फोरस व पोटाश की संपूर्ण संस्तुत मात्रा का प्रयोग बुवाई के समय करना चाहिए। बलुई मृदाओं में नाइट्रोजन की संपूर्ण मात्रा को तीन जबकि भारी मृदाओं में दो बार में देना चाहिए। हल्की मृदाओं में नाइट्रोजन की एक तिहाई मात्रा को बुवाई के समय, एक तिहाई मात्रा बुवाई के 30 दिन बाद तथा शेष एक तिहाई नाइट्रोजन बुवाई के 50 दिन बाद देनी चाहिए। भारी मृदाओं में नाइट्रोजन की आधी मात्रा बुवाई के समय तथा शेष मात्रा बुवाई के 30 दिन बाद देनी चाहिए। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस व पोटाश का प्रयोग क्रमशः यूरिया, डाई अमोनियम फॉस्फेट व म्यूरेट ऑफ पोटाश के रूप में करना चाहिए। तिल की अच्छी बढ़वार के लिए सल्फर भी एक आवश्यक तत्व है। इससे तिल की पैदावार और गुणवत्ता में सुधार होता है, साथ ही फलियां दानों से भरी होती है। सल्फर तैलिय बीजों का प्रमुख अवयव है। सल्फर का सबसे सस्ता स्रोत जिप्सम है। अति अच्छी गुणवत्ता की फसल हेतु प्रति हेक्टेयर 250 कि.ग्रा. जिप्सम आवश्यक है। इसका प्रयोग बुवाई के समय खेत में समान रूप से बिखेरकर करना चाहिए। तैलिय यौगिकों में वसीय अम्लों के निर्माण में सल्फर की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आजकल सघन फसल प्रणाली के अन्तर्गत लगातार सल्फररहित उर्वरकों के प्रयोग से मृदा में सल्फर की कमी होती जा रही है। सल्फर के प्रयोग से तिल की पैदावार में 25 से 30 प्रतिशत तक की वृद्धि की जा सकती है।

सिंचाई प्रबंधन

सामान्यतः खरीफ ऋतु में बोयी गयी फसल में सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। खरीफ ऋतु में वर्षा का कोई भरोसा नहीं होता है। कभी अत्यधिक, कभी बिल्कुल नहीं होती है। अतः कम वर्षा होने पर सिंचाई करें तथा अधिक होने पर जल निकास की व्यवस्था करे। फसल की विभिन्न वृद्धि अवस्थाएं सूखा के प्रति

संवेदनशील हैं। ग्रीष्मकालीन तिल की खेती उन्हीं स्थानों पर करनी चाहिए। जहां पर सिंचाई के पर्याप्त साधन उपलब्ध हैं, पहली सिंचाई बुवाई के 25–30 दिन बाद करनी चाहिए। जबकि दूसरी और तीसरी सिंचाई क्रमशः बुवाई के 45–50 (फूल बनने पर) और 60–70 दिनों बाद (फली बनने पर) करनी चाहिए। फसल को गिरने से बचाने के लिए हल्की सिंचाई शाम के समय करें जब हवा न चल रही हो। फली बनने के समय सिंचाई अति आवश्यक है जिससे फलियों का पूर्ण विकास हो सके।

खरपतवार प्रबन्धन

खरीफ तिल की फसल में वर्षा का मौसम होने के कारण खरपतवारों का अधिक प्रकोप होता है। यदि आरंभ से ही खरपतवार फ़सल पर हावी हो जाते हैं तो इसका फसल की वृद्धि, विकास और उपज पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अतः फसल में समय–समय पर निराई–गुडाई करके खरपतवारों को समाप्त किया जा सकता है। तिल के पौधों की शुरूआती वृद्धि भी धीरे–धीरे होती है जिससे खरपतवारों को पनपने का पूरा मौका मिल जाता है। पहली निराई–गुड़ाई बुवाई के 20–25 दिनों बाद करनी चाहिए। साथ ही विरलीकरण भी करते रहना चाहिए जिससे पंक्तियों में पौधों का आपसी फासला 15 सें.मी. बनाये रखा जा सके। रासायनिक शाकनाशियों द्वारा भी खरपतवारों को आसानी से कम खर्च में नष्ट किया जा सकता है। इसके लिए बेसालिन 1 कि.ग्रा. सक्रिय तत्व को प्रति हेक्टेयर की दर से 800–1000 लीटर पानी में घोलकर बुवाई से पूर्व छिड़काव करके मिट्टी में अच्छी तरह से मिला दें।

अन्तः फसल प्रणाली

खरीफ ऋतु में तिल को शुद्ध या अन्तः फसल के रूप में उगाया जा सकता है। उत्तर भारत में तिल को सामान्यतः अरहर, ज्वार, बाजरा, मूंगफली, कपास और मक्का के साथ मिश्रित फसल के रूप में उगाया जाता है। तिल की शुद्ध फसल के बाद रबी ऋतु में अलसी, चना, जौ व मसूर की फसल ली जा सकती है।

रोग प्रबन्धन

तिल की फसल में रोगों का प्रकोप बुवाई से कटाई तक रहता है जिससे उत्पादन का अधिकांश हिस्सा रोगों से नष्ट हो जाता है। तिल की फसल में लगने वाले रोगों का संक्षिप्त विवरण यहां पर दिया जा रहा है :–

फाइलोड़ी :– यह तिल की फसल में लगने वाली भयंकर बीमारी है। यह प्रायः सभी खेतों में लगती है। यह माइकोप्लाज्मा नामक जीव द्वारा होती है जो लीफ होपर द्वारा फैलती है। इसका प्रकोप पुष्पावस्था पर होता है। इस बीमारी के संक्रमण से पुष्प विन्यास में अतिरिक्त वानस्पतिक वृद्धि के कारण दाने नहीं बन पाते है। आंशिक रूप में संक्रमित पौधों के निचले भागों में फलियों का निर्माण हो सकता है परन्तु ये फलियां वजन में हल्की होती है। साथ ही दानों में तेल की मात्रा भी कम होती है। इस बीमारी की रोकथाम हेतु लीफ होपर को नष्ट करना चाहिए। इसके लिए मेटासिस्टाक्स की 1 मि.ली. मात्रा को एक लीटर पानी में घोलकर पर्णीय छिड़काव करें। इसके अलावा तिल की बुवाई 15 जुलाई के बाद करें।

कीट नियंत्रण

खरीफ ऋतु में तापमान एवं आर्द्रता कीट पतंगों के प्रकोप को बढ़ाने में अत्यधिक महत्वपूर्ण है। तिल की फसल में कई कीट लगते हैं, जिससे तिल के उत्पादन एवं गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। मुख्य कीट एवं उनकी रोकथाम के उपाय इस प्रकार हैं:–

तिल की पत्ती एवं फलीछेदक :– इस कीट का वैज्ञानिक नाम एन्टीगैस्ट्रा कैटालुनालिस है। प्रारंभिक अवस्था में इस कीट की सूड़ियां कोमल पत्तियों को खाती है जिससे पत्तियों की भीतरी जाली नजर आने लगती है। पुष्पावस्था में यह फूलों के भीतरी भाग को खाती है। इसके बाद फलियों में छेद कर दानों को नुकसान पहुंचाती है। यह कीट पूरे मौसम में फसल पर आक्रमण करता है। अधिक सूखे की स्थिति में प्रकोप अधिक होता है। परन्तु अधिक वर्षा में कीट धूल जाने से उनकी संख्या कम हो जाती है। तिल की फसल में पत्ती तथा फली छेदक सूंडी से बचाव के लिए एण्डोसल्फान 35 ई.सी.

की 1.20 लीटर/हेक्टेयर की दर से 500–600 लीटर पानी में घोलकर फूल व फली आते समय छिड़काव करें। इसके अलावा क्यूनाल फोस 25 ई.सी. 1 लीटर या कार्बोरिल 50 प्रतिशत चूर्ण 2.5 कि.ग्रा. प्रति हेक्टेयर की दर से भी प्रयोग किया जा सकता है। ग्रसित पत्तियों, तनों एवं फलियों को तोड़कर नष्ट कर दें। तिल के साथ मूंग या उड़द की मिश्रित खेती से भी तिल की पत्ती एवं फली छेदक कीट का प्रकोप कम होता है। साथ ही पैदावार भी अधिक होती है।

तिल हॉक माथ एवं फड़का :– इस कीट का वैज्ञानिक नाम एकरोनशिया स्टीक्स है। इस कीट की सूड़ियां पत्तियों को खाती है जिससे पौधा पत्ती रहित हो जाता है। यह फसल को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाता है। परन्तु जब फसल परिपक्व होती है तब पूरे मौसम में यह कीट सक्रिय रहता है। इसकी रोकथाम हेतु कार्बोरिल या मोनोक्रोटोफास 0.04 प्रतिशत का छिड़काव करें।

तिल गॉल मक्खी :– इस कीट का वैज्ञानिक नाम एस्फोन डाइसिया सिसामी है। यह कीट फूल के भीतरी भाग को खाना आरंभ करता है जिसके परिणामस्वरूप फूल के सभी अंग नष्ट हो जाते हैं। संक्रमित पौधे की फलियां फूलकर गांठ का रूप धारण कर लेती है। संक्रमित फूल से फली व दानों का निर्माण नहीं हो पाता है। अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में कीट का प्रकोप अधिक होता है। फली बनने की अवस्था में ही कीट दिखाई देने लगते हैं जो सितम्बर से नवम्बर तक सक्रिय रहते हैं। इसकी रोकथाम हेतु कार्बोरिल 50 प्रतिशत घुलनशील चूर्ण 0.1 प्रतिशत या मोनोक्रोटोफोस 0.04 प्रतिशत के घोल का छिड़काव करें। यद्यपि फली छेदक कीट के नियंत्रण हेतु किए गए उपायों से इसका नियंत्रण स्वतः हो जाता है।

बिहार रोमयुक्त सूंडी :– इसका वैज्ञानिक नाम डाइक्रिसिया ऑबलिया है। यह तिल का एक भयंकर कीट है। इसके लारवा सामूहिक रूप से सभी पौधों पर आक्रमण करते हैं। सूंडियां दूसरे पौधों पर जाकर केवल तने को छोड़कर सभी भागों को नष्ट कर देती है। उत्तर भारत में इस कीट का प्रकोप सितम्बर–अक्तूबर में गंभीर रूप धारण करता है। इससे बचाव हेतु एण्डोसल्फान 35 ई.सी. की प्रति हेक्टेयर 1.5 लीटर का पानी में घोल बनाकर छिड़कें। मोनोक्रोटाफोस 0.04 प्रतिशत के छिड़काव से भी इस कीट का नियंत्रण हो जाता है। प्रभावित पौधों के भागों को काटकर नष्ट कर दें। गर्मियों में खेत की गहरी जुताई करें।

मोयला/कातरा :– इस कीट के शिशु व प्रौढ़ पौधों की पत्तियों, कोमल तनों और फूलों का रस चूसते हैं जिससे पौधे पीले पड़कर सूख जाते हैं। इसकी रोकथाम हेतु एण्डोसल्फान 35 ई.सी. की 1.5 लीटर मात्रा को प्रति हेक्टेयर की दर से 500–600 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें।

कटाई

जब तिल के पौधे की पत्तियां पीली पड़नी शुरू हो जाती हैं, परन्तु कैप्सूल का रंग हरा बना रहता है तो उस समय फसल की कटाई प्रारंभ कर देनी चाहिए। देर से कटाई करने पर कैप्सूल से दानों के चटकने का अंदेशा रहता है। कटाई उपरांत पौधों के बंडल बनाकर 6 से 7 दिनों के लिए खलियान में सूखने देना चाहिए। तिल के बीज यदि लगातार सूर्य के प्रकाश, नमी व कीटों के संपक्र में रहते हैं तो बीजों की चमक समाप्त हो जाती है।

मंडाई व उड़ाई

मंडाई करने से पूर्व खलियान को अच्छी तरह से साफ–सुथरा कर लेना चाहिए जिससे बीजों की गुणवत्ता में सुधार लाया जा सके। मड़ाई व उड़ाई थ्रैसिंग मशीन द्वारा की जा सकती है। भंडारण के समय दानों में 5 से 8 प्रतिशत से अधिक नमी नहीं रहना चाहिए अन्यथा गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। साथ ही भंडार में कीटों के लगने का डर रहता है। बाजार में अधिकतम कीमत लेने के लिए व निर्यात करने के लिए बीज का उचित रूप से ग्रेडिंग करके ही विक्रय करना चाहिए।

उपज

तिल की उपज प्रजातियों, खेती के तरीके और मौसम की अवस्थाओं से प्रभावित होती है। नवीनतम कृषि प्रौद्योगिकियों को अपनाकर किसान भाई तिल की फसल से 8–10 क्विंटल बीज प्रति हेक्टेयर तक प्राप्त कर सकते हैं।

(लेखक क्रमश : राष्ट्रीय तिलहन एवं वनस्पति तेल विकास बोर्ड, कृषि मंत्रालय, सेक्टर–18, गुड़गांव, हरियाणा, सहायक निदेशक (तिलहन) एवं राष्ट्रीय पादप आनुवंशिकी संसाधन ब्यूरो, पूसा कैम्पस, नई दिल्ली में तकनीकी अधिकारी के पद पर कार्यरत हैं।)

ई–मेल : v.kumarnovod@yahoo.com

कुरुक्षेत्र मंगवाने का पता
विज्ञापन और प्रसार प्रबंधक
प्रकाशन विभाग
पूर्वी खंड-4, तल-7
रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली-110066

मूल्य एक प्रति	:	10 रुपये
वार्षिक शुल्क	:	100 रुपये
द्विवार्षिक	:	180 रुपये
त्रिवार्षिक	:	250 रुपये
विदेशों में (हवाई डाक द्वारा)		
पड़ोसी देशों में	:	530 रुपये (वार्षिक)
अन्य देशों में	:	730 रुपये (वार्षिक)

औषधीय गुणों से भरपूर पुदीना

अमित नारायण यादव

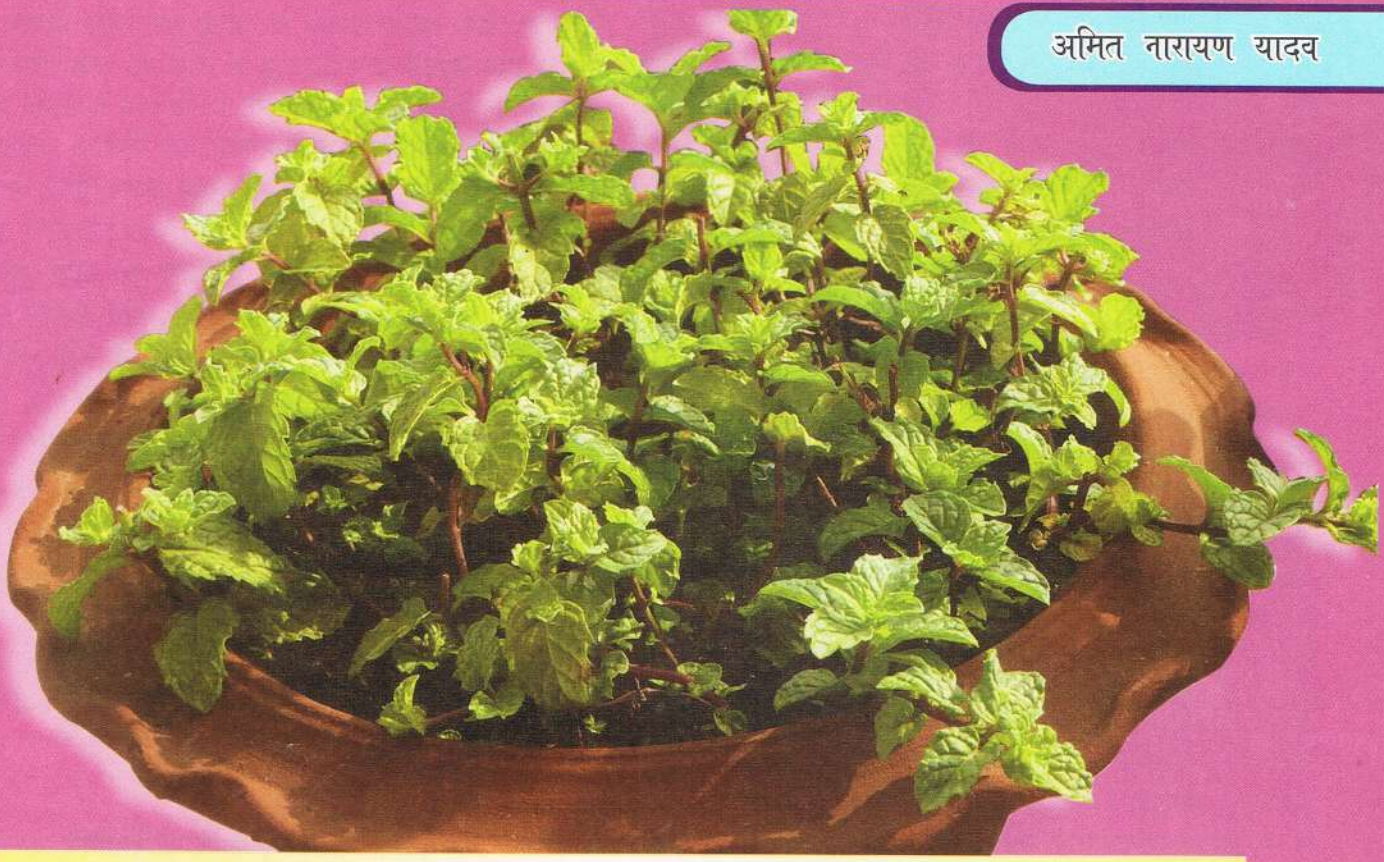

विभिन्न औषधीय गुणों से युक्त पुदीना का न सिर्फ व्यावसायिक उपयोग है बल्कि यह सबसे ज्यादा घरेलू उपयोग में कारगर है। पुदीना की चंद पत्तियों को अपने नियमित भोजन में शामिल करके कई बीमारियों से छुटकारा पाया जा सकता है। इसके अलावा यह तमाम ऐसी बीमारियों में भी लाभकारी है जिसकी शिकायत परिवार के किसी न किसी सदस्य को अक्सर रहती है। घरेलू उपयोग के लिए पुदीना उगाना हो तो भी इसे आसानी से उगाया जा सकता है। पुदीना का घर में मौजूद रहने का सीधा-सा मतलब है तमाम बीमारियों को दूर भगाना।

प्रकृति ने हमें अनमोल खजाना दिया है। हमारे आसपास तमाम जड़ी-बूटियां होती हैं, जिन्हें हम रोज अपनी आंखों से देखते भी हैं, लेकिन जानकारी के अभाव में उनका प्रयोग अपने खाद्य पदार्थों में नियमित रूप से नहीं कर पाते हैं। इन्हीं में से एक है पुदीना जिसे हम आसानी से उगा भी सकते हैं और इसकी चंद पत्तियों को नियमित भोजन में शामिल कर स्वास्थ्य में निखार ला सकते हैं। व्यापारिक स्तर पर पुदीना को तैयार करने में भले लंबे-चौड़े खेत की जरूरत पड़े, लेकिन यदि हम चाहें तो इसे अपने घर की छोटी-सी क्यारी और गमले में भी उगा सकते हैं। इसकी इन्हीं विशेषताओं के कारण आयुर्वेद में पुदीना को सर्वगुणयुक्त बताया गया है। पुदीना सिर्फ स्वादिष्ट और ताजगी भरा ही नहीं है बल्कि यह स्वास्थ्य को भी कई तरीकों से संवारता है। दरअसल, कई बीमारियों में यह रामबाण औषधि से कम नहीं है। पुदीने का स्वाद ड्रिंक्स व चटनी में सभी को खूब लुभाता है, लेकिन सेहत के लिए यह किसी बड़े खजाने से कम नहीं है। अक्सर कई छोटी-मोटी बीमारियों में पुदीने को घरेलू उपचार के लिए भी काम में लाया जाता है। यही वजह है कि इसे घर में रखने की सलाह दी जाती है। पुदीना के गुणों की जितनी भी तारीफ की जाए, कम है। पुदीना कटु, उष्ण, वीर्य, दीपन, रोचक, पाचक तथा कफ, वायु, उल्टी, पेटदर्द, आफरा और कृमि का

नाशक है। यूनानी मत के अनुसार पुदीना आमाशय को शक्ति देने वाला, पसीना लाने में सहायक बताया गया है। गर्भाशय को उत्तेजित करने वाला गुण भी इसमें होता है। यह मासिक धर्म के अवरोध को दूर कर देता है। यही वजह है कि पुदीने को पुरुषों से कहीं ज्यादा फायदेमंद महिलाओं के लिए माना गया है। यदि महिलाएं नियमित रूप से पुदीने का प्रयोग करें तों उनकी कई ऐसी बीमारियां दूर हो सकती हैं, जिनकी वजह से वे अक्सर परेशान रहती हैं।

कहां से आया पुदीना

पुदीना मेंथा वंश से संबंधित एक बारहमासी खुशबूदार जड़ी है। इसकी विभिन्न प्रजातियां यूरोप, अमेरिका, एशिया, अफ्रीका और आस्ट्रेलिया में पाई जाती हैं। साथ ही इसकी कई संकर किस्में भी उपलब्ध हैं। अब इसकी व्यापारिक स्तर पर खेती होती है। इसका उद्‌भव भूमध्यसागरीय बेसिन में हुआ तथा वहां से ये प्राकृतिक तथा अन्य तरीकों से संसार के अन्य हिस्सों में फैला। पुदीना ब्राजील, पैरागुए, चीन, अर्जेन्टीना, जापान, थाईलैंड, अंगोला तथा भारतवर्ष में खूब उगाया जा रहा है। भारत में मुख्य रूप से तराई इलाके में इसकी व्यावसायिक खेती बड़े पैमाने पर हो रही है। इनमें नैनीताल, बदायूं, बिलासपुर, रामपुर, मुरादाबाद तथा बरेली इन दिनों पुदीना उत्पादन का मुख्य केंद्र बने हुए हैं। इसके अलावा गंगा–यमुना–दोआब यानी उत्तर प्रदेश के लखनऊ, बाराबंकी, फैजाबाद तथा इलाहाबाद व रायबरेली के कुछ हिस्से में भी इसकी व्यावसायिक खेती की जा रही है। इसी तरह पंजाब के कुछ क्षेत्रों लुधियाना तथा जालंधर में भी इसकी व्यावसायिक खेती की जा रही है। इन दिनों हरियाणा के कुछ हिस्से और पूर्वी राजस्थान में अलवर के आसपास भी पुदीना की व्यावसायिक खेती की जा रही है। इसके अलावा सब्जी के रूप में तो हर इलाके में पुदीना की खेती हो ही रही है। इसकी उपयोगिता को देखते हुए तमाम लोग इसे अपने घरों में गमले में भी लगा रहे हैं।

औद्योगिक प्रयोग

पुदीना में मेंथोल पाया जाता है और इसका उपयोग बड़ी मात्रा में दवाइयों, सौंदर्य प्रसाधनों, कानफेक्शनरी, पेय पदार्थों, सिगरेट, पान मसाला आदि में किया जाता है। इसके अलावा इसका तेल यूकेलिप्टस के तेल के साथ ही कई रोगों को दूर करने में काम आता है। यही वजह है कि कई कंपनियों की ओर से पेट संबंधी बीमारियों की दवाइयों, दर्द निवारण दवाओं, तथा गठिया आदि रोगों की दवाओं में भरपूर प्रयोग किया जाता है। तमाम कंपनियां पुदीना की खेती करने वाले किसानों से सीधे फसल खरीद लेती हैं। ऐसे में किसानों को सीधे–सीधे लाभ मिलता है। इसके अलावा तमाम किसान अपनी फसल को मंडी में ले जाते हैं, जहां खाद्य पदार्थ के रूप में लोग पुदीना को खरीदते हैं।

पुदीना में पाए जाने वाले प्रमुख तत्व

पुदीना मेंथोल का प्राथमिक स्रोत है। ताजी पत्ती में 0.4–0.6 फीसदी तेल होता है। तेल का मुख्य घटक मेंथोल (65–75 फीसदी), मेंथोन (7–10 फीसदी) तथा मेंथाइल एसीटेट (12–15 फीसदी) तथा टरपीन (पिपीन, लिकोनीन तथा कम्फीन) आदि भी इसमें पाया जाता है। तेल का मेंथोल प्रतिशत वातावरण के प्रकार पर भी निर्भर करता है। सामान्यतः यह गर्म क्षेत्रों में अधिक होता है।

विटामिन 'ए' से भरपूर

ताजा हरा पुदीना अधिक गुणकारी व विटामिन 'ए' से भरपूर होता है। इसका स्वाद व सुगंध भोजन को स्वादिष्ट व रुचिकर बनाता है। पुदीना को घरों में उपलब्ध छोटी–सी जगह, जैसे गमलों आदि में आसानी से उगाया जा सकता है। यह भारत में सर्वत्र लगाया जाता है। घरों में पुदीने की चटनी बनाई जाती है। ताजा पुदीना न होने पर इसके पत्तों को सुखाकर उपयोग में लाया जा सकता है। पुदीने का अर्क या सत विशेषतौर पर औषधि के रूप में इस्तेमाल किया जाता है।

विभिन्न रोगों में पुदीना की उपयोगिता

डाइजेशन

पुदीना एक अच्छा एपिटाइजर होने के नाते पाचनशक्ति को बढ़ाने में बेहद सहायक होता है। इसलिए इसे चटनी के रूप में नियमित भोजन में शामिल करके लाभ पाया जा सकता है। यह पेट में जलन या सूजन को भी जल्दी ही कम कर देता है। पुदीने की खुशबू स्लाइवा ग्लैंड्स को एक्टिव बना देती है जिससे डाइजेस्टिव सिस्टम संतुलित बना रहता हैं। आयुर्वेद में इसकी चंद पत्तियों को नियमित रूप से प्रयोग करने की सलाह दी गई है।

उबकाई और सिरदर्द

पुदीने की रिफ्रेशिंग खुशबू उबकाई में तुरंत आराम पहुंचाती है। पुदीने की पत्तियों को रगड़कर सूंघने से उबकाई में बहुत जल्द आराम मिलता है। पुदीने का बाम और तेल सिर पर रगड़ने से सिरदर्द पलक झपकते ही दूर हो जाता है। धनिया, सौंफ व जीरा समभाग में लेकर उसे भिगोकर पीस लें। फिर 100 ग्राम पानी मिलाकर छान लें। इसमें पुदीने का अर्क मिलाकर पीने से उल्टी का शमन होता है।

हिचकी

अगर किसी को हिचकी आ रही हो तो पुदीना से आराम पाया जा सकता है। इसके लिए हरे पुदीने की 20–25 पत्तियां, मिश्री व सौंफ 10–10 ग्राम और कालीमिर्च 2–3 दाने इन सबको पीस लें और सूती, साफ कपड़े में रखकर निचोड़ लें। इस रस की एक चम्मच मात्रा लेकर एक कप गुनगुने पानी में डालकर पीने से हिचकी बंद हो जाती है।

अजीर्ण व पेट दर्द

अजीर्ण होने पर पुदीने का रस पानी में मिलाकर पीने से लाभ होता है। पेटदर्द और अरुचि में 3 ग्राम पुदीने के रस में जीरा, हींग, काली मिर्च, कुछ नमक डालकर गर्म करके पीने से लाभ होता है। यदि गैस के कारण पेट में दर्द हो रहा तो पुदीने को पीसकर नमक के साथ पी लेने से तुरंत आराम मिलता है।

पित्त रोग

आमतौर पर लोगों को पित्त की समस्या रहती है। ऐसे में दस ग्राम पुदीना व बीस ग्राम गुड़ दो सौ ग्राम पानी में उबालकर पिलाने से बार–बार उछलने वाली पित्ती ठीक हो जाती है।

रेस्पिरेटरी डिस्ऑर्डर

पुदीना की सुगंध सांस संबंधी किसी भी डिस्ऑर्डर में आराम पहुंचाने में काफी कारगर होती है। पुदीने की स्ट्रॉन्ग सुगंध बंद नाक, गले की खिचखिचाहट और सांस लेने में आ रही दिक्कत को भी दूर करती है। इसके अलावा, यह खांसी की तकलीफ में भी तुरंत आराम पहुंचाता है।

अस्थमा

पुदीने का नियमित इस्तेमाल अस्थमा के मरीज के लिए बेहद फायदेमंद होता है। यह फेफड़े को साफ रखता है और सांस लेने में होने वाली दिक्कतों को दूर करता है। साथ ही अस्थमा के अटैक पर भी कंट्रोल रखता है। यह खून को जमने भी नहीं देता। अस्थमा के मरीजों को पुदीने की कुछ पत्तियां सलाद के रूप में नियमित प्रयोग करनी चाहिए।

स्किन केयर

स्वास्थ्य के साथ–साथ खूबसूरती बढ़ाने में भी पुदीने का जवाब नहीं। पुदीने का रस एक बहुत अच्छा स्किन क्लींजर है।

यह स्किन इंफेक्शन, पिंपल, खुजली आदि में काफी कारगर है। ताजा–हरा पुदीना पीसकर चेहरे पर बीस मिनट तक लगा लें। फिर ठंडे पानी से चेहरा धो लें। यह त्वचा की गर्मी निकाल देता है। कुछ दिन तक नियमित रूप से पुदीना की पत्तियों को चेहरे पर लगाते रहने से झांइयां व अन्य दाग खत्म हो जाते हैं। चेहरा दमकने लगता है। इसके अलावा हाथ–पैर व अन्य किसी स्थान पर दाग हो तो भी उस पर पुदीना की पत्तियां पीस कर लगाने से फायदा होता है। नियमित प्रयोग करने से कुछ दिनों में दाग खत्म हो जाता है।

मुंह की दुर्गंध

इन दिनों मुंह के दुर्गंध की समस्या बढ़ती जा रही है। खानपान में हो रहे बदलाव और भागमभाग भरी जिंदगी में दांतों के रोगों को बढ़ावा मिला है। पुदीना मुंह की दुर्गंध को दूर करने में बेहद कारगर है। साथ ही यह मुंह में होने वाले छालों को भी कंट्रोल करता है। यह मुंह में पैदा होने वाले बैक्टीरिया को खत्म करके सांस में ताजगी भर देता है। यदि मुंह से दुर्गंध आती है, तो पुदीना पीसकर एक गिलास पानी में घोल लीजिए। इस पुदीना–मिश्रित पानी से दिन भर में दो–तीन बार कुल्ला करते रहने से मुख की दुर्गंध दूर हो जाती है।

कैंसर

हाल ही में आई एक रिसर्च से यह पता चला है कि पुदीने में कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो कैंसर से बचा सकते हैं। फिलहाल इस संबंध में अभी भी रिसर्च चल ही है, लेकिन आयुर्वेद चिकित्सकों का दावा है कि पुदीना को नियमित खानपान में शामिल करके कैंसर से बचा जा सकता है।

हैजा

हैजे में पुदीना, प्याज का रस, नींबू का रस बराबर–बराबर मात्रा में मिलाकर पिलाने से लाभ होता है। उल्टी–दस्त, हैजा हो तो आधा कप पुदीना का रस हर दो घंटे में रोगी को पिलाएं। पीड़ित व्यक्ति को अजवायन का सत्व एवं पुदीने का अर्क देते रहने से व्यक्ति शीघ्र स्वस्थ हो जाता है। डी–हाइड्रेशन की घातक अवस्था से बचाने के लिए भी पुदीना लाभदायक होता है।

प्रसव पीड़ा

प्रसव के समय होने वाली पीड़ा में भी पुदीना कारगर है। अधिक कष्ट से बचने के लिए प्रसूता को पुदीने का रस पिलाने से प्रसव आसानी से हो जाता है।

मासिक धर्म

कई महिलाओं में मासिक धर्म के अनियमित होने की शिकायत रहती है। यदि वे अपने खानपान में पुदीने को शामिल कर लें तो इस समस्या से निजात मिल सकती है। क्योंकि पुदीना मासिक धर्म के अवरोध को खत्म कर देता है और मासिक स्राव नियमित होता है। पुदीने का प्रयोग करते रहने से कभी अधिक और कभी कम माहवारी होने की समस्या धीरे–धीरे खत्म हो जाती है। इसके अलावा गर्भ संबंधी अन्य कई बीमारियों में भी पुदीना कारगर माना गया है। इसलिए महिलाओं को इसे जरूर प्रयोग करना चाहिए।

बिच्छू का दंश

कीड़े के काट लेने पर संबंधित स्थान पर पुदीने को पीसकर लेप कर देने से आराम मिलता है। खासतौर से बिच्छू या बर्रे के दंश में पुदीना बहुत ही कारगर होता है। जिस स्थान पर दंश हो, उसी स्थान पर पुदीने का अर्क लगाने से यह विष को खींच लेता है और दर्द को भी शांत करता है।

बुखार

पुदीने को पानी में उबालकर थोड़ी चीनी मिलाकर उसे गर्म–गर्म चाय की तरह पीने से बुखार दूर हो जाता है। साथ ही बुखार के कारण आई निर्बलता भी दूर होती है। पुदीने और सौंठ का क्वाथ बनाकर पीने से सर्दी के कारण होने वाले बुखार में राहत मिलती है। पुदीने के पत्तों को पीसकर शहद के साथ मिलाकर दिन में तीन बार चाटने से अतिसार से राहत मिलती है। बुखार से पीड़ित को यदि बार–बार प्यास लग रही हो तो पुदीने का रस तात्कालिक रूप से रोगी को पिलाएं। इससे प्यास तो बुझेगी ही, साथ ही शारीरिक गरमी से भी मुक्ति मिलेगी।

तलवे में जलन

कई बार तलवे में जलन होने लगती है। ऐसे में पुदीने का रस लगाना लाभकारी होता है। जलन की शिकायत होने पर पुदीने की पत्तियों को बारीक पीस कर तलवे पर लेप करना चाहिए। इससे तलवे की जलन तो दूर होती ही है साथ ही तलवे में अधिक पसीना आने की समस्या से भी निजात मिल जाती है।

लू लगना

गर्मियों में पुदीने की चटनी तथा प्याज का नित्य सेवन करने से लू लगने की आशंका से मुक्ति मिल जाती है। यदि लू लगने का अहसास हो तो भी पुदीने की चटनी अथवा पुदीने को पीस कर घोल बना लें और दिन में तीन बार पीने से लाभ मिलता है। गर्मी का असर कम हो जाता है और शरीर को स्फूर्ति मिलती है।

मुहांसे

हरा पुदीना पीसकर उसमें नींबू के रस की दो–तीन बूंद डालकर चेहरे पर लेप करें। कुछ देर लगा रहने दें। बाद में चेहरा ठंडे पानी से धो डालें। कुछ दिनों के प्रयोग से मुंहासे दूर हो जाएंगे तथा चेहरे की कांति खिल उठेगी।

बालों की स्वच्छता

पुदीने का सत निकालकर साबुन के पानी में घोलकर सिर पर डालें। 15–20 मिनट तक सिर में लगा रहने दें। बाद में सिर को साफ पानी से धो लें। दो–तीन बार इस प्रयोग को करने से बालों में पड़ गई जुएं मर जाएंगी। साथ ही बालों की खुश्की भी खत्म हो जाएगी। बाल चमकदार दिखेंगे।

मूर्छा दूर करने में सहायक

यदि कोई व्यक्ति मूर्छित हो जाए तो भी पुदीने का प्रयोग

करके उसे होश में लाया जा सकता है। पुदीने के ताजे पत्तों को मसलकर मूर्छित व्यक्ति को सुंघाने से मुर्छा दूर होती है। होश में आने के कुछ देर बाद संबंधित व्यक्ति को पुदीनेयुक्त पानी पिलाने से भी राहत मिलती है।

हृदय रोग

यह हृदय को शक्ति प्रदान करता है। कफ एवं खांसी को दूर करता है। पुदीने में फेफड़ों में जमा हुए बलगम को छांट–छांट कर शरीर से बाहर कर देने का विलक्षण गुण पाया जाता है। इसी कारण कफ से होने वाली खांसी, हिचकी एवं दमा को यह दूर करता है। पुदीने को सुखाकर, बारीक कपड़छन चूर्ण तैयार कर लें। यह चूर्ण एक चाय चम्मच भर मात्रा में दिन में दो बार पानी के साथ सेवन करें।

सूजन होने पर

यदि किसी भी स्थान पर सूजन हो तो पुदीने का प्रयोग करना चाहिए। यदि चोट लगने पर सूजन हो तो संबंधित स्थान पर पुदीने की पत्तियों को पीस कर लगा दें। यदि किसी कीड़े के काट लेने के कारण सूजन हो तो भी पुदीना कारगर होता है। यह सूजन को नष्ट करता है।

पीलिया में लाभकारी

जलोदर अथवा पेट में पानी भरना तथा पीलिया में भी इसका सेवन लाभ देता है। यह आमाशय को शक्ति प्रदान करता है। इसके लिए पुदीने का किसी न किसी रूप में प्रतिदिन सेवन अवश्य करना चाहिए। पीलिया से पीड़ित व्यक्ति को फलों के रस अथवा गन्ने के रस में पुदीना पीस कर देने से अधिक फायदा मिलता है। पानी के साथ भी पुदीने की पत्तियों को पीस कर पीने से फायदा मिलता है। धीरे–धीरे पीलिया का असर कम हो जाता है।

ब्लडप्रेशर

पुदीना उच्च और निम्न दोनों ही ब्लडप्रेशर को नियंत्रित करता है। इस कार्य के लिए पुदीने की चटनी और रस का उपयोग किया जा सकता है। उच्च रक्तचाप से पीड़ितों को बिना चीनी एवं नमक डाले हुए ही पुदीने का सेवन करना चाहिए। निम्न रक्तचाप के रोगी पुदीने की चटनी या रस में सैंधा नमक, काली मिर्च तथा किशमिश डालकर सेवन कर सकते हैं।

नकसीर

नाक से रक्तस्राव होने पर प्याज एवं पुदीने का रस मिलाकर नाक में डाल देने से लाभ मिलता है। इससे रक्तस्राव तो बंद हो जाता है।

फीमेल स्टेरिलिटी

इस बारे में जानकारों के दो मत हैं। कुछ का कहना है कि मेंथोल के लगातार इस्तेमाल से महिलाओं में गर्भधारण करने की क्षमता पर असर पड़ता है। यह भी माना जाता है कि पुरुषों में नॉर्मल सिगरेट पीने की तुलना में मेंथोल सिगरेट ज्यादा पीने से नपुंसकता हो सकती है। लेकिन ऐसा तंबाकू से होता है या पुदीने से यह साफतौर पर कह पाना मुश्किल है। जबकि दूसरा मत रखने वाले जानकारों का मानना है कि पुदीने का इस्तेमाल फीमेल स्टेरिलिटी को कम करने में किया जा सकता है।

चूर्ण के रूप में भी कर सकते हैं प्रयोग

पुदीने की हरी पत्तियां ही नहीं इसका सूखा चूर्ण भी फायदेमंद है। यदि हरी पत्तियां आसानी से उपलब्ध न हो तो इसका चूर्ण भी प्रयोग किया जा सकता है। इसके लिंए पुदीने की हरी पत्तियों को सुखाकर उसका चूर्ण बनाकर भी रखा जा सकता है। इस चूर्ण को भोजन में अलग–अलग तरीके से प्रयोग किया जा सकता है। इससे जहां खाद्य पदार्थ का स्वाद बढ़ जाता है वहीं उसकी गुणवत्ता भी बढ़ जाती है। ऐसे में पुदीने को किचन का महत्वपूर्ण तत्व माना गया है।

घर को रखे स्वच्छ सुगंधित

पुदीना के गुणों को देखते हुए अब इसे लोग अपने किचन गार्डन में तैयार कर रहे हैं। एक छोटे से गमले में पुदीना को आसानी से लगाया जा सकता है और इसका लाभ लिया जा सकता है। आयुर्वेद के जानकारों का कहना है कि घर में पुदीना की मौजूदगी से वातावरण स्वच्छ रहता है। साथ ही इसकी पत्तियों की सुगंध फैलते रहने से कई तरह के कीड़े– मकोड़े घर के आसपास नहीं रहते। ऐसे में हर व्यक्ति को ज्यादा न सही तो कम से कम एक गमले में पुदीना जरूर लगाना चाहिए।

(लेखक पेशे से अध्यापक हैं और स्वतंत्र पत्रकार के रूप में लेखन कार्य कर रहे हैं)
ई–मेल : yadavmit0786@gmail.comcom

साधारण किसान से प्रबंधन गुरु तक का खिताब

जतिन कुमार

कुछ लोग खेती को घाटे का सौदा कहकर मुंह मोड़ लेते हैं, लेकिन जो लोग खेती से प्यार करते हैं उन्हें खेती अपनी बांहों में भर लेती है और भरपूर दुलार देती है। मिट्टी से जुड़कर वे खुद तो आमदनी प्राप्त करते ही हैं, साथ ही तमाम बेरोजगारों के लिए मार्गदर्शक बन जाते हैं। ऐसे लोगों की मदद में सरकार भी खड़ी रहती है। उनके कृषि कारोबार को पोषित करने के लिए बैंक खुद उनके द्वार पहुंचते हैं। ऐसे ही हैं राजस्थान के कीरतपुरा के प्रगतिशील किसान कैलाश चौधरी। प्रगतिशील किसान होने के कारण उन्हें केन्द्र सरकार की ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में राजस्थान सरकार के किसान प्रतिनिधि के रूप में शामिल किया गया। कैलाश ने अपनी लगन से साबित कर दिया है कि खेती के जरिए अकूत धन कमाया जा सकता है। वह खुद कहते हैं कि अब मेरी दृढ़ मान्यता है कि खेती घाटे का सौदा नहीं है। इससे तकदीर बदल सकती है।

राजस्थान के कीरतपुरा गांव निवासी कैलाश चौधरी अब किसानों के लिए ही नहीं बल्कि रोजी–रोटी की तलाश में इधर–उधर भटकने वाले युवाओं के लिए भी मार्गदर्शक बन गए हैं। इन्होंने साबित कर दिया कि कुछ कर गुजरने की तमन्ना हो तो कामयाबी खुद–ब–खुद मिलती चली जाती है। कामयाबी के लिए किसी तरह से शार्टकट तरीके अपनाने की भी जरूरत नहीं होती है। बस जरूरत है तो कड़ी मेहनत और लगन की। जो लोग पूरी तत्परता से खेती में जुट जाते हैं, उन्हें अपनी जरूरतों के लिए किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ती है। इनकी लगन एवं मेहनत ने रंग दिखाया। खुद तो स्वावलंबी बने ही साथ ही सैंकड़ों लोगों को अब प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार भी मुहैया करा रहे हैं। कैलाश बताते हैं कि उनकी हमेशा कोशिश होती है कि उम्दा किस्म का उत्पाद तैयार किया जाए। उत्पाद की गुणवत्ता में वह किसी तरह का समझौता नहीं करते। इसके लिए उन्होंने समय–समय पर विभिन्न केंद्रों की ओर से चलाए जाने वाले प्रशिक्षण शिविरों में हिस्सा लिया। उन इलाकों का दौरा किया, जहां खेती को वैज्ञानिक तरीके से करने की कोशिशें की जा रही थीं। खेती की बारीकियां सीखी और अधिक उपज प्राप्त करने के गुर भी सीखे। प्रशिक्षण शिविरों में वैज्ञानिकों की ओर से बताई गई बातों को गंभीरता से लिया। कृषि वैज्ञानिकों ने जो सीख दी, उसे आत्मसात करते हुए नए–नए प्रयोग किए। उनके प्रयोग रंग लाए और आज वह आईसीएआर के अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी संस्थान (सिफेट), लुधियाना की मदद से पूरे देश में नाम और पैसा दोनों कमा रहे हैं।

कैलाश की जिंदगी काफी उतार–चढ़ाव भरी रही। वह बताते हैं कि खेती को बचपन से देखते आ रहे हैं। उनके पास जमीन पर्याप्त थी, लेकिन खेती सिर्फ दो बीघे में ही होती थी। क्योंकि उस समय उनके पास न तो संसाधन थे और ही खेती को ढंग से करने का तरीका। नतीजा था कि परिवार के लोग सिर्फ उतनी ही खेती करते थे, जिससे परिवार के सदस्यों को खानेभर का अनाज मिल जाए। उस समय यह सोच ही नहीं थी कि खेत से पैसा कमाया जा सकता है। थोड़ी–सी सक्रियता और मेहनत के दम पर खेत से रुपये निकाले जा सकते हैं। यही वजह है कि परंपरागत खेती तक ही किसान सीमित थे। उनके परिवार के अलावा उनके गांव के दूसरे लोग भी बस किसी तरह खाने भर की उपज प्राप्त करते थे। इस वजह से किसानों की हालत काफी खराब थी। उन्हें चंद रुपयों के लिए साहूकारों के दरवाजे खटखटाने पड़ते थे। किसान दीनहीन थे।

कैलाश चौधरी बताते हैं कि जब वह कक्षा सात में पढ़ रहे थे तभी से सक्रिय रूप से खेती में जुट गए। पहले खेती मौसम पर आधारित होती थी। बारिश हुई तो खेत में बुवाई हुई और बारिश नहीं हुई तो खेत खाली। यह काफी खलता था क्योंकि पानी का इंतजाम नहीं था। शुरुआती दिनों में ऊंट से खेती होती थी और फिर बैल से। सन 1970 में अलग कुंआ खुदवाया और रेहट लगाकर खेती शुरू की। पहले जहां दो बीघा जमीन पर ही श्वास धौकनी की तरह चलने लगती थी वहीं रेहट ने अब मुश्किलों को कुछ आसान बना दिया। पानी का इंतजाम हुआ तो पैदावार दस गुना बढ़ गई। परिवार के लोगों के लिए खानेभर का पर्याप्त अनाज तो हुआ ही साथ ही बाजार में बेचकर पैसा भी कमाया गया। कमाई बढ़ी तो कुछ और करने की लालसा जगी और 1974 में डीजल का इंजन लगाकर खेती में नए प्रयोग शुरू कर दिए, जो उस दौर की बड़ी उपलब्धि थी। सन 1977 में ट्रैक्टर खरीदा गया और खेती को जीवन का आधार बना लिया। सन 1977 में बोरवेल खुदवाकर तेरह सौ मन अनाज पैदा किया, जो एक सपने की तरह लगा। इस अनाज को बेचने पर अपार खुशी हुई। ऐसा लगने लगा कि अब हम भी दूसरे लोगों की तरह ही सुविधासंपन्न न सही तो कम से कम अपने बच्चों की परवरिश अच्छे ढंग से कर सकेंगे। परिवार की सभी जरूरतें आसानी से पूरी कर सकेंगे। इसके बाद तो खेती में ऐसा रमा कि दूसरे काम के बारे में सोचना ही बंद कर दिया। हमेशा यह सोचता रहता कि खेती को और अधिक मुनाफेदार कैसे बनाया जाए। जब भी लोगों के बीच बैठते यही चर्चा करते कि कहां और किस तरह की खेती की जा रही है। परंपरागत खेती के अलावा व्यावसायिक रूप में कौन–सी खेती की जा सकती है। इसका असर यह हुआ कि सामाजिक सक्रियता बढ़ गई। सामाजिक कार्यों में सक्रिय रहने लगे। गांववालों का भरपूर प्यार मिलने लगा। लोग आपस में मिल–बैठकर यह तय करते कि इस बार किस खेत में क्या बोया जाए। सामाजिक कार्यों में बड़ी रुचि की वजह से 1977 में गांववालों ने निर्विरोध वार्ड–पंच चुन लिया। वर्ष 1978 में पंचायत के सभी किसानों की भूमि की पैमाइश कराई। गांव की चकबंदी हुई तो किसानों की जमीन एकमुश्त हो गई।

वार्डपंच रहते हुए उन्होंने हमेशा यही कोशिश की कि सरकार की ओर से जो भी योजना चलाई जाए, उसका फायदा उनके वार्ड के लोगों को जरूर मिले। उनकी इस जागरुकता का असर भी दिखा। सरकार की ओर से चलाई जा रही तमाम योजनाएं किसी न किसी रूप में उनके वार्ड में जरूर पहुंची। सबसे बड़ी उपलब्धि यह हुई कि 1980 में एक साथ गांव में 25 कृषि कनेक्शन कराए गए। इतनी भारी संख्या में कृषि कनेक्शन होने के बाद तो इलाके की तस्वीर ही बदल गई। क्योंकि जब पानी की पर्याप्त व्यवस्था हो गई तो खेतों का लहलहाना स्वाभाविक था। अब इस इलाके में हर तरह की खेती होने लगी। किसानों को लगातार जागरूक करने और किसानों को विभिन्न योजनाओं

का लाभ दिलाने के कारण सन् 1982 में एक बार फिर से वार्डपंच चुन लिया गया। अब पूरे गांव के किसान एक तरह से सहयोगी बन गए थे। हम सभी लोग मिलकर खेतीबाड़ी करते और खेती में आड़े आने वाली समस्याओं का निस्तारण भी करते। किसानों की आपसी एकजुटता का ही कमाल रहा कि हमारे गांव के लोगों के बीच किसी तरह का विवाद नहीं होता था और सन 2005 तक थाने में एक भी मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। अगर किसी के बीच मतभेद होता तो हम सभी लोग मिलकर आपस में ही निबटा लेते थे। खेती की कमाई से ही भाईयों और बहनों की शादी–विवाह आदि जो भी घरेलू काम होते सभी का निबटारा होता रहा। कहने का मतलब है कि खेती से होने वाली आमदनी से जिंदगी की जो भी आधारभूत जरूरतें थीं, वह मजे से पूरी होने लगीं। बेटों ने उच्च शिक्षा ग्रहण की, लेकिन सरकारी नौकरी के पीछे दौड़ने के बजाय खेती में जुट गए।

अपनायी जैविक खेती

पहले खेतों में रासायनिक खाद का प्रयोग किया जाता था। विभिन्न स्थानों पर प्रशिक्षणों के दौरान बताया गया कि रासायनिक खाद के बजाय जैविक खेती का प्रयोग किया जाए तो खेत की उर्वरता भी बनी रहती है और पैदावार भी अधिक होती है। इतना ही नहीं उत्पादन की गुणवत्ता बेहतर रहती है यानी जैविक खाद से तैयार की जाने वाली उपज स्वास्थ्य के लिए भी अच्छी होती है। इसलिए मैंने सन 1990 में जैविक खाद का प्रयोग शुरू किया। केंचुआ खाद बनाना शुरू किया और 1999 में कीटनाशी बनाकर खेतों में प्रयोग करने लगे। कीटनाशी बनाने में भी नीम, आक, धतूरे का इस्तेमाल करने से साइड इफेक्ट का खतरा नहीं रहा। उनके इस प्रयोग की भी खूब वाहवाही हुई। रासायनिक के बजाय जैविक खेती करने के कारण लोगों का ध्यान उनकी तरफ आकर्षित हुआ और दूसरे लोग भी उनकी तरह ही खेती करने के लिए तैयार हो गए।

जैविक खेती वाले किसानों का समूह

जैविक खेती शुरू करने के बाद कुछ ही दिनों में उनके काम और नाम दोनों की तारीफ होनी शुरू हो गई। फिर 50 किसानों का एक ग्रुप बनाया और देखते ही देखते सफलता की नई इबारत लिखी जाने लगी। तीन साल तक तो मुनाफा नहीं हुआ लेकिन इसके बाद जो सफलता मिली तो फिर पीछे देखने की जरूरत नहीं पड़ी। वे खुद ही नहीं बल्कि उसका पूरा गांव जैविक खेती करने वाले किसानों के रूप में पहचाना जाने लगा। हर किसी को पता चला कि इस इलाके में ऐसी खेती होती है, जिसकी उपज स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है। इससे फसल के 10–15 प्रतिशत दाम अधिक मिलने लगे। जैविक खाद से तीसरे साल ही आय बढ़ गई। सिंचाई में लागत कम हो गई। ग्रुप बनने के बाद हमारी उपज खरीदने के लिए बड़े व्यापारी भी आने लगे। इस तरह कैलाश चौधरी ने खुद तो फायदा कमाया ही साथ ही अपने गांव के दूसरे किसानों को भी अधिक मुनाफा कमवाया। एक तरफ अधिक मुनाफा मिल रहा था तो दूसरी तरफ जैविक खेती होने से भरपूर उत्पादन मिल रहा था। इसके अलावा मिट्टी की उर्वरता भी बची रही। इस तरह जैविक खेती से एक साथ कई फायदे मिले।

आंवले के पेड़ लगाए

जैविक खेती से मिली सफलता से उत्साह इतना बढ़ गया कि सन 2001 में एक हेक्टेयर भूमि में जैविक तरीके से चार सौ आंवले के पेड़ लगा डाले। चार साल बाद इसमें फल आ गए। संयोग से उन दिनों आंवले के फल की कीमत कम थी। लिहाजा ऐसा लग रहा था कि यह घाटे का सौदा हो जाएगा। क्योंकि बाजार में जो कीमत थी, लागत के अनुरूप घाटा दिख रहा था। पूरे परिवार के लोगों में निराशा थी। हम पूरे परिवार के लोग मिल–बैठकर यही सोचते कि इस घाटे से कैसे उबरा जाए। इसी दौरान हमारी बहू, जिसने गृह विज्ञान में पढ़ाई की थी, उसने सुझाव दिया कि क्यों न आंवले का उत्पाद बनाकर बाजार में उतारा जाए। यह सुझाव सभी को अच्छा लगा और यहीं से शुरू हुआ एक नया सफर। अभी तक हम खेती तक सीमित थे और अब बाजार की ओर बढ़ने लगे।

यूं सीखा प्रोसेसिंग

कैलाश चौधरी बताते हैं कि प्रोसेसिंग के लिए हम तैयार तो हो गए, लेकिन जब तक पूरी तरह से ट्रेनिंग न ली गई हो, उसकी सफलता पर सवाल खड़ा होता है। मैं हमेशा से ही प्रयोगधर्मी रहा हूं। इसलिए मैं सोचता रहा कि जब तक प्रैक्टिकली प्रोसेसिंग के बारे में जानकारी नहीं होगी तब तक इसमें सफल होना पूरी तरह से संभव नहीं है। मन में आशंका थी कि कहीं इस काम में असफल हुए तो वर्षों के किए धरे पर पानी फिर जाएगा। इसलिए मैंने तय किया कि पहले प्रोसेसिंग के बारे में जाना जाए। प्रासेसिंग सीखने के लिए मैं उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ सहित अनेक शहरों में गया, वहां आंवले के छोटे–छोटे गृह उद्योग देखे। उद्योग स्थापित करने से लेकर उसे चलाने के बारे में सीखा। आंवला आधारित उद्योग चलाने वालों से बातचीत करके यह जानने की कोशिश की कि किन–किन परिस्थितियों में विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। प्रतापगढ़ में जिस तरह से काम हो रहा था, उसे देखने और काफी कुछ समझने के बाद लगा कि सपने सच हो सकते हैं। आंवले से बनते लड्डू, जूस, कैंडी, मुरब्बा, अचार, पाउडर, शरबत सहित अनेक उत्पाद देखे और उन्हें तैयार करने की विधियों पर विशेष निगाह रखी। प्रतापगढ़ से ही एक मिस्त्री लेकर गांव आया। खेत में एक कमरा बनवाया और प्रासेसिंग की शुरुआत सन 2005 में की। चौधरी एग्रो बायोटैक के नाम से फर्म रजिस्टर्ड कराकर खादी ग्रामोद्योग

से वित्तीय सहायता लेकर काम शुरू किया। इस काम में पूरा परिवार लगा। सभी ने जमकर मेहनत की। कुछ ही दिनों में सभी की मेहनत और लगन रंग लाई। आंवले से तैयार किए गए हमारे उत्पादन बाजार में खूब पसंद किए गए। धीरे–धीरे इनकी मांग बढ़ने लगी। जब हमारे उत्पाद बाजार में धूम मचाने लगे तो उत्साह दुगुना हो गया। इस दौरान हमने तय किया कि गुणवत्ता में किसी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा और यही मंत्र हमारे काम आया। हमारे उत्पादन का नाम बाजार में छा गया और जहां हम लोग घाटे को लेकर भयभीत थे वहीं मुनाफे से उत्साहित रहने लगे।

गेहूं प्रसंस्करण भी किया

कैलाश बताते हैं कि गेहूं के बारे में उन्हें जानकारी मिली कि स्थानीय कमीशन एजेंट उन्हें गेहूं की जो कीमत देते, जयपुर में उससे दुगुनी कीमत पर वहीं गेहूं बेचा जाता है। इस दौरान गेहूं का श्रेणीकरण करते हुए पैकेजिंग के बारे में भी जानकारी हासिल की। पैकेजिंग के बारे में जानकारी प्राप्त करने के बाद वर्ष 2004 में अपने गांव में एक छोटे से कमरे के अंदर एक लाख रुपये का निवेश करके खाद्य प्रसंस्करण इकाई की स्थापना की। इसमें भी सफलता मिली। इसके बाद वह सिफेट के संपर्क में आए। यहां से उन्हें बहुत जानकारी मिली। खाद्य प्रसंस्करण उत्पादों क ी गुणवत्ता अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बनाए रखने में काफी मदद मिली। कैलाश का कहना है कि संस्थान के संग उसका जुड़ाव जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। वर्ष 2006 में उसे सिफेट की ओर से तैयार आंवला की ग्रेडिंग और पंचिंग मशीनें मिलीं। इसके अतिरिक्त उसने अपने खाद्य पदार्थों के लिए जरूरी प्रसंस्करण तकनीक से जुड़ी कई जानकारियां भी संस्थान से प्राप्त की। इससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के उत्पाद बनाने में काफी मदद मिली।

देशभर के किसानों के प्रतिनिधि

खेती के क्षेत्र में लगातार की गई तरक्की और अपने इलाके के किसानों को खेती के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए कैलाश चौधरी को कोई कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। ब्लॉक से लेकर जिला और राज्य से लेकर देश स्तर तक इन्हें एक के बाद एक सम्मान मिला। इन सम्मानों के बीच सबसे बड़ा सम्मान उन्हें तब मिला जब राजस्थान सरकार ने उनका नाम प्रदेश के प्रगतिशील किसान प्रतिनिधि के रूप में पेश किया। केंद्र सरकार की ओर से उन्हें 11वीं पंचवर्षीय योजना में प्रगतिशील किसान प्रतिनिधि के रूप में शामिल किया गया है। इससे कैलाश काफी उत्साहित हैं। वह कहते हैं कि किसान प्रतिनिधि के रूप में उन्हें यह बताने का मौका मिला कि किसानों को किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। विभिन्न योजनाओं में किसान की भागीदारी कैसे बढ़ाई जाए, इस पर भी अपनी बात रखने का मौका मिला।

मिला सम्मान

कैलाश चौधरी को चंडीगढ़ एग्रीटेक में हर्बल उत्पाद में प्रथम पुरस्कार से नवाजा गया। वह कहते हैं कि यह सम्मान हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात था क्योंकि यह मेरी मेहनत का सम्मान था। इस दौरान तीन दिन में हमने 80 हजार का उत्पाद बेचा। इस सफलता ने हमें उत्साहित भी किया। इसके बाद सन 2009 में केएस बायो फूड्स के नाम से हमने दूसरी फर्म का गठन किया। अपने प्रोजेक्ट के बारे में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थानीय शाखा को अवगत कराया। बैंक अधिकारियों ने सहयोग किया। बैंक से ऋण लिया। इस तरह हमारा प्रोजेक्ट चल पड़ा। गत वर्ष लाखों का कारोबार हुआ। हमारा कारोबार लगातार बढ़ रहा है और अब इसे करोड़ में पहुंचाने का लक्ष्य है। आंवले की खेती के साथ ही अब सौ पेड़ ग्वारपाठा भी लगवाया है। इसके अलावा बेल से कैंडी, मुरब्बा, शर्बत और ग्वारपाठे से जूस, जैल, शैम्पू, साबुन सहित अन्य उत्पाद भी हमारे फर्म में बनने लगे हैं। इन सभी की प्रोसेसिंग में गांव के दर्जनों लोग लगे हुए हैं। फर्म से बनने वाले आंवला जूस, आंवला पाउडर, एलोवेरा जूस, स्क्वैश, आचार, मिठाई आदि का अमेरिका, इंग्लैंड, यूएई और जापान तक में निर्यात हो रहा है। उनके उत्पाद के.एस. बायो फूड्स ब्रांड नेम से बाजार में उपलब्ध हैं।

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत किसान कैलाश चौधरी (कोटपूतली वाले) को सम्मानित करते हुये एवं साथ में खडे कृषिमंत्री श्री हरजी राम बुरडक

महिला सशक्तिकरण में भागीदारी

कैलाश ने अपनी मेहनत और लगन के दम पर यह साबित कर दिया कि खेती के साथ जुड़कर एक नया मुकाम हासिल किया जा सकता है। इसके साथ ही वह महिला सशक्तिकरण की दिशा में भी सक्रिय सहयोग दे रहे हैं। उन्होंने जैविक कृषि उत्पाद महिला सहकारी समिति, कीरतपुरा का गठन किया। इस समिति की महिलाएं घर–गृहस्थी का काम निबटाने के बाद उनके फर्म पर काम करती हैं। इस तरह ये महिलाएं स्वावलंबन की नई कहानी कह रही हैं। इसके अलावा उन्होंने जैविक खेती और खाद्य प्रसंस्करण के लिए 1500 किसानों का एक समूह बनाया है। इस समूह की वजह से उनकी और उनके उत्पाद की पहचान और बढ़ गई है। कैलाश बताते हैं कि तहसील कोटपुतली के ग्रामीणों ने अब बारिश के पानी से सिंचाई छोड़ दी है। अब बागों के लिए ड्रिप प्रणाली और अन्य फसलों के लिए स्प्रिंक्लर का प्रयोग किया जा रहा है। इसके साथ ही हम बारिश के पानी को भी बचा रहे हैं जिससे पानी की अधिकतम उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके।

मिला सभी का सहयोग

कैलाश चौधरी बताते हैं कि जब उन्होंने खेती शुरू की तो अकेले थे। कई बार परिवार के दूसरे सदस्यों को लगता था कि मैं खेती को लेकर इतना गंभीर क्यों रहता हूं। वर्षों से परिवार में खेती होती रही है, इससे ज्यादा से ज्यादा खानेभर का अनाज हो सकता है बाकि जरूरतों के लिए तो कमाई का दूसरा जरिया ढूंढना ही चाहिए। लेकिन जब खेती के परिणाम सामने आने लगे तो परिवार के लोग भी इससे जुड़ते गए। परिवार का हर सदस्य जिस लायक था, उस तरह मेहनत की। इसके बाद अलग–बगल के किसानों ने भी एकजुटता दिखाई। इस एकजुटता का लाभ भी मिला। किसान समूह गठित हुए और कई सुविधाएं भी मिली। जब मैंने प्रोसेसिंग की शुरुआत की तो सरकारी योजनाओं का भरपूर लाभ मिला। कृषि विभाग, उद्यान विभाग सहित अन्य सभी विभागों ने सहयोग किया। प्रशिक्षण दिए, खेती और प्रोसेसिंग के तरीके बताए। बैंकों ने भी सहयोग किया।

इस तरह सभी के सहयोग से आज हमारा ब्रांड भारत ही नहीं दुनिया के दूसरे देशो में भी नाम कमा रहा है। वह कहते हैं कि मेहनत कभी भी बेकार नहीं जाती। सरकारी उपेक्षा के बावजूद वह कहते हैं कि जब हम किसी काम के लिए पूरे आत्मविश्वास से तैयार रहेंगे तो सरकारी अधिकारी व कर्मचारी खुद सहयोग करेंगे। हमें सबसे पहले अपने आपको तैयार करना चाहिए। जब हमारी दिशा तय रहेगी कि हम करना क्या चाहते हैं तो सभी का सहयोग मिलेगा। सरकार की ओर से किसानों से संबंधित तमाम योजनाएं चलाई जा रही हैं। संबंधित विभाग की यह जिम्मेदारी है कि उन योजनाओं का किसानों को लाभ दे। ऐसे में यदि किसान थोड़ी–सी जागरुकता बरते तो योजनाओं का लाभ उन्हें भरपूर मिलेगा। हालांकि यह संबंधित विभागों की जिम्मेदारी है कि वे उन योजनाओं का क्रियान्वयन सही रूप में करें, लेकिन यदि कोई किसान खुद योजनाओं की तलाश में लगा रहेगा तो उसे लाभ मिलना स्वाभाविक है।

किसानों को संदेश

मेरी तो सभी किसानों, नौजवानों से यही अपील है कि सरकार की ओर से चलाई जा रही योजनाओं के बारे में जानकारी हासिल कर सबसे पहले यह तय करें कि उन्हें करना क्या है। अपना रास्ता खुद तय करने के बाद आगे बढ़े, सफलता अपने आप मिलती चली जाएगी। हां, इस बात का ध्यान रखने की जरूरत है कि यदि किसी भी वित्तीय संस्था से ऋण लेकर कारोबार शुरू करते हैं, तो इस बात का ध्यान रखें कि वह पैसा आपको उधार मिला हुआ है। बैंक से मिले हुए पैसे को हर हाल में वापस करना है। बैंक से जिस काम के लिए पैसा लें, उसे उसी काम में खर्च करें। किसी भी प्रोजेक्ट में सफलता तभी मिलेगी जब आय और व्यय का ब्यौरा मुकम्मल होता रहा। हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि आप जो काम कर रहे हैं, उससे कितनी आय हो रही है और आप खर्च कितना कर रहे हैं। यदि आमदनी से अधिक खर्च किया तो प्रोजेक्ट का फेल होना स्वाभाविक है।

(लेखक बैंकिंग सेवा से जुड़े हैं)
ई–मेल : jatinkumarsingh@gmail.com

हमारे आगामी अंक

सितंबर, 2011 – ग्रामीण महिला सशक्तिकरण

अक्तूबर, 2011 – (विशेषांक) ग्रामीण भारत में नई पहल

इसके अतिरिक्त ग्रामीण विकास, कृषि, रोजगार व स्वास्थ्य से संबंधित लेख भी इनमें शामिल किए जाएंगे। उपरोक्त विषयों पर सारगर्भित लेख (आम बोलचाल की भाषा में) व फोटो हमें भेजे जा सकते हैं। पत्रिका के प्रकाशन की तिथि आगामी माह से तीस दिन पूर्व होती है। अतः प्रकाशन सामग्री कम से कम 45 दिन पूर्व हमें मिल जानी चाहिए।

प्रकाशन विभाग
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
भारत सरकार

राष्ट्र निर्माण की प्रतिबिंब
कुछ पुस्तकें

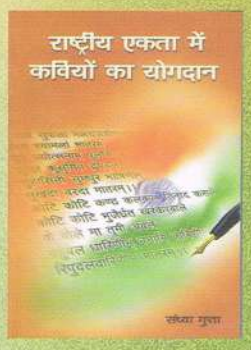

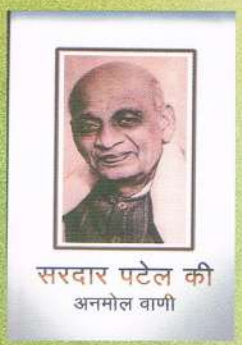

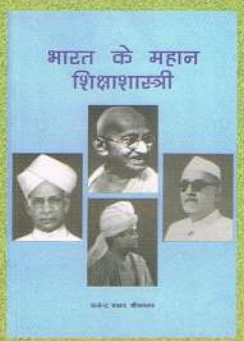

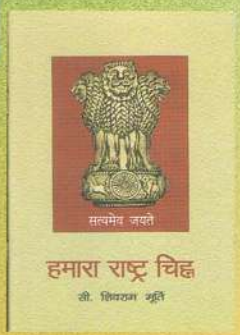

अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें:
व्यापार व्यवस्थापक प्रकाशन विभाग,
सूचना भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स,
लोधी रोड, नई दिल्ली.110003
फोनः 011-24365610, 24367260,
फैक्सः 011-24365609
ईमेलः dpd@mail.nic.in
dpd@sb.nic.in
वेबसाइटः publicationsdivision.nic.in

DPDB-H-11/12

हमारे विक्रय केंद्र और उनके फोन नंबर :
नई दिल्ली (011-24365610, 24367260) दिल्ली (011-23890205) कोलकाता (033-22488030) नवी मुम्बई (022-27570686)
चेन्नई (044-24917673) तिरुअनंतपुरम (0471-2330650) हैदराबाद (040-24605383) बेंगलूरु (080-25537244)
पटना (0612-2683407) लखनऊ (0522-2325455) गोवाहाटी (0361-2665090) अहमदाबाद (079-26588669)